लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

सातवां सत्र
[Seventh Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
24-8-12
Parliament Library

[खंड 26 में अंक 31 से 40 तक है
Vol. XXVI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 34, शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1973/16 चैत्र, 1895 (शक)
No. 34, Friday, April 6, 1973/Chaitra 16, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
641	चमड़े और खालों का निर्यात	Export of Hides and Skins	1–2
642	केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व में प्रत्यक्ष कर के भाग में कमी	Decline in share of Direct Taxes in Total Revenue of Central Government	2–3
643	वर्ष 1973–74 में अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति में सुधार के लिये उपाय	Steps to Improve Favourable Balance of Trade in 1973-74 . . .	3–5
646	विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से निश्चित राशि से अधिक राशि निकलवाया जाना	Overdrafts taken by various State Govts. from Commercial Banks . .	5–6
648	समस्त देश में समाज के कमजोर वर्गों के लिये ब्याज की रियायती दरों सम्बन्धी योजना का लागू किया जाना	Extension of Scheme of Preferential Rates of interest to weaker sections of Society throughout the Country . .	6–8
652.	एशियाई विकास बैंक में भारत का अंशदान	India's Contribution to Asian Development Bank	
653	तस्करी का सोना और चांदी आदि का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Gold and Silver etc. . .	9–10
654	राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई धनराशि	Amount of money granted by I.F.C. to Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat . . .	11–12
655	मार्च, 1973 में भारत और सूडान के अधिकारियों के बीच वार्ता	Talks held between the officials of India and Sudan in March, 1973 .	12

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

M/B(D)3LSS—2(a)

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषत	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
644	उड़ान भरने से पहले हर हवाई अड्डे पर विमान चालकों की डाक्टरी परीक्षा	Medical Check up of Pilots at every Airport before conducting flights	13
645	पैंशन के भुगतान में बिलम्ब	Delay in payment of pension	13–14
647	मध्य प्रदश में अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of Scheduled Banks in Madhya Pradesh . . .	15
649	कलकत्ता लाइसेंस्ड मैसर्ज लिमिटड का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Calcutta Licensed Measures Limited	15
650	पांचवीं योजना में पर्यटन विकास के लिये कुल परिव्यय	Total Outlay for Tourism Development in Fifth Plan	15-16
651	मैसर्ज नेशनल जूट कम्पनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल में कुप्रबन्ध	Mismanagement in respect of M/s National Jute Co. Ltd. W. Bengal . .	16
656	राज्य व्यापार निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खरीद	Purchase of Tobacco by S.T.C. in Andhra Pradesh	16
657	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ति	Appointment of Study Team to inquire into the working of Nationalised Banks . .	16
658	शल्य चिकित्सा (आपरेशन) में काम आने वाले औजारों का आयात	Import of Surgical Instruments . . .	17
659	मार्क के प्रस्तावित पुर्नमूल्यांकन और अन्य मुद्राओं की विनिमय दर से मुक्त करने के प्रस्ताव का भारतीय रुपये पर प्रभाव	Impact of proposed revaluation of Mark and Floatation of other currencies on Indian Rupee	17
660	ग्रामीण बचत योजना	Rural Savings Scheme	17–19
अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.			
6251	एशिया '72' में हाल आफ नेशन्स' और 'हाल आफ इंडस्ट्रीज' के निर्माण के लिये दिया गया ठेका	Contract for Construction of Hall of Nations and Hall of Industries at Asia 72 . . .	19
6252	इस्टीच्यूट आफ मैनजमेंट डिवैलपमेंट (प्रबन्ध विकास संस्थान)	Institute of Management Development . .	19–20
6253	राजस्थान के बारे में दूसरे केन्द्रीय अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Second Central Study Team to Rajasthan	20

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6254	रूस को निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य	Value of Goods exported to U.S.S.R. . .	21
6255	मैसूर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों सम्बन्धी केन्द्रीय दल का प्रतिवेदन	Report of Central Team on Drought affected areas of Mysore . .	21
6256	हावड़ा में अपमिश्रित चाय का पकड़ा जाना	Seizure of Adulterated tea at Howrah . .	22
6257	राज्यों के बजट में घाटा	Deficits in the Budgets of States . .	22–23
6258	नारियल जटा तथा उसके उत्पादों का निर्यात	Exports of Coir and Coir Products . . .	23
6259	तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच के लिये वित्त मंत्रालय में क्रियान्वित सैल की स्थापना	Setting up of Implementation Cell in the Ministry of Finance to Process the recommendations of Third Pay Commission	24
6260	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वाधाओं को समाप्त करने हतु वार्ता	Talks to Dismantle International Trade Barriers . .	24
6271	स्टेट बैंक आफ इंडिया, छोटा नागपुर (बिहार) के एजेंट द्वारा क्लर्कों की नियुक्ति	Appointment of clerks by Agents of S.B.T., Chhota Nagpur (Bihar) . .	24
6262	स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया गें नियुक्ति कें लिए कसौटी	Criteria for appointment in State Bank of India .	24–25
6263	केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क विभाग में विशेष वेतन वाले पदों पर नियुक्ति के लिये डिप्टी कलेक्टरों का चयन	Selection for appointment of Deputy Collectors to Special Pay Posts in Central Customs and Excise Department .	25
6264	मदुरै स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टर द्वारा तीसरी पार्टी की वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Third Party Goods by Collectorate of Central Excise, Madurai	25–26
6265	मैसज हावड़ा काटन टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कलकत्ता के बारे में पंजीकरण प्रमाणपत्र का समाप्त किया जाना	Revocation of the Registration Certificate in respect of M/s Howrah Cotton Textile Mills Ltd., Calcutta. . .	26
6266	भारतीय रूई निगम द्वारा कपास की खरीद	Purchase of Cotton by C.C.I.	26–27

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6267	मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और पूर्व निमाड़ जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में गबन के मामले	Cases of Embezzelement in Nationalised Banks in Hoshangabad and East Nimar Districts of Madhya Pradesh . .	27–28
6268	मध्य प्रदेश में हथकरघा डिजाइनिंग केन्द्र की स्थापना	Setting up of Handloom Designing Centre in Madhya Pradesh .	28
6269	मध्य प्रदेश में बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना	Setting up of Weaver's Service Centre in Madhya Pradesh . .	28
6271	बंगलौर और कसराव के बीच एक ट्रक से तस्करी का सोना पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Gold from a truck between Bangalore and Kasrou .	28–29
6272	पंजाब में तस्करी का समान पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Goods in Punjab . . .	29
6273	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कनिष्ट अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठ विश्लेषक के पद पर नियुक्ति	Appointment of C.S.S. Junior Section Officers to the post of Senior Analysts	29
6274	जूतों का निर्यात	Export of Shoes	29–30
6275	केंन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमाशुल्क के समाहर्ता के दिल्ली स्थित कार्यालय में आशुलिपियों की भर्ती	Recruitment of Stenographers in the Office of Collector, Central Excise and Customs, Delhi	30
6276	इस्पात के पाइपों और ट्यूबों का निर्यात	Export of Steel Pipes and Tubes . . .	30
6277	बिजली के सामान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना	Levy of Excise Duty on Domestic Electric Appliances . . .	30–31
6278	सरकारी कर्मचारियों द्वारा किराय की रसीदें प्रस्तुत करना	Production of House Rent Receipts by Govt. Employees . .	31
6279	चाय बोर्ड कर्मचारी एसोसियशन का ज्ञापन	Memorandum from Tea Board Employees Association . . .	31–32
6280	सूती कपड़ा उद्योग द्वारा स्वेच्छा से निर्यात	Voluntary Export from Cotton Textile Industry	32
6281	दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को चाय का निर्यात	Export of Indian Tea to Hard Currency Areas.	32–33

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6282	त्रिपुरा में ग्राम उद्योग का विकास	Development of Village Industries in Tripura.	33
6283	न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात घटाकर 1:10 करना	Bringing down the ratio between Minimum and Maximum Salary to 1 : 10	33–34
6284	औद्योगिक परियोजनाओं के लियें जापानी सहायता	Japanese Assistance for Industrial Project .	34
6285	कृषि और पशुपालन में सुधार के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दी गई राशि	Amount of advanced by nationalised banks for improvement of Agriculture and Animal Husbandry . . .	34
6286	सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में चाय कम्पनी की स्थापना	Formation of Tea Company by Government in Public Sector . . .	34
6287	असम में विभिन्न हवाई अड्डों पर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या	Total number of employees working in various Airports in Assam . .	35
6288	वर्ष 1972 में इंडियन एयर लाइंस द्वारा कलकत्ता में असम, मनीपुर, त्रिपुरा और वहां से वापिस कलकत्ता के लिय चलाई गई विमान सेवायें	Number of Flights operated by Indian Airlines from Calcutta to Assam, Manipur, Tripura and back during 1972. .	35
6289	विश्व मंडी में भारत के बारदाने का हिस्सा	India's share of hessian in world market . . .	35–36
6290	विदेशी सहायता और विदेशी मुद्रा की निधि में कमी आना	Decline in Foreign Exchange Reserves . . .	36
6291	असम कोआपरटिव जूट मिल, सिलघाट	Assam Cooperative Jute Mill, Silghat . .	36
6292	विश्व बैंक के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री में हुई वार्ता	Talks between Vice-President of World Bank and Chief Minister of U.P.	37
6293	असम के सीमान्त क्षत्रों में तस्कर व्यापार	Smugglers on Border Areas of Assam . . .	37
6294	अशोक लेलैंड का आयात-निर्यात लाइसेंस जारी करना	Issuing of Import/Export Licences to Ashoka Layland	37–38
6295	श्री ए० के० मिश्र द्वारा आरम्भ किये गये फिल्म वितरण के कारोबार की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. enquiry into the Film Distribution Business started by Shri A. K. Mishra . . .	38

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6296	दिल्ली में युवकों द्वारा डिसकोथज में चरस तथा पाट का उपयोग	Use of Charas and Pot by young people in Discotheques of Delhi . .	38
6297	एशिया मेले में चाय बोर्ड के स्टाल का निर्माण	Construction of tea Board's stall in Asian Fair .	38
6298	चाय बोर्ड के अध्यक्ष के मुख्य कार्यालय को दिल्ली स्थानान्तरित करना	Transfer of Headquarters of Tea Board Chairman to Delhi . . .	39
6299	चाय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अपनी मोटर बेचने के लिय पूर्व अनुमति लिया जाना	Prior permission by Chairman Tea Board to sell his car . . .	39
00	पश्चिम बंगाल की विद्युत चालित करघा सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to West Bengal for Development of Power-loom Cooperatives .	38–40
6301	आयकर विभाग तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की इमारतों के लिय बम्बई नगर निगम द्वारा 'नो ओबजेक्शन सार्टिफिकेट' जारी करना	Issue of No Objection Certificate by Bombay Municipal Corporation for the Building occupied by Income Tax Department and Nationalised Banks in Bombay . .	40
6302	बिहार के धनकनाल जिलें के बाद पीड़ित लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of people affected by Flood in Dhankanal District, Orissa . .	40
6303	इलाहाबाद के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सहायता	Assistance to Drought affected areas in Allahabad . . .	40–41
6304	यूरोप से औद्योगिक संयंत्रों की खरीद	Purchase of Industrial Plants from Europe .	41
6305	कृत्रिम रेशमी वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Art Silk Textile Industry . .	41
6306	बिहार राज्य में सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिय केन्द्रीय अध्ययन दल	Central Study Team to Bihar to assess Drought Situation in that State	41
6307	भूतपूर्व नरेशों के विदेशी बैंकों में खाते	Accounts of Former Rulers in Foreign Banks . .	42
6308	पाकिस्तान से विभाजन से पूर्व की ऋण बकाया राशि की वसूली	Recovery of Pre-Partition Debt due from Pakistan	42
6309	भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा विदेश स्थित भारतियों की नीतियां स्पष्ट करना	Explanation of Policies by Indian Investment Centre to Indians abroad .	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6310	नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेंज बैंक द्वारा करों की अदायगी	Payment of Taxes by National and Grindlays Bank . . .	42-43
6311	वर्तमान बजट के घाटें में वृद्धि	Rise in Deficit of the Current Budget . .	43
6312	जनरल इंशयोरेंश कम्पनी, पटना में घोटाला	Bungling in General Insurance Company, Patna	43-44
6313	दक्षिणी अमरीका को भेजा जाने वाला चाय प्रतिनिधिमंडल	Tea Delegation to South America . . .	44
6314.	ब्रिटिश सहयोग परियोजनाओं की निर्यात सम्बन्धी विशिष्ट जिम्मेंवारियां	Specific Export Obligations on British Collaboration Projects. . .	45
6315	बंगलौर की शराब बनाने वाली कम्पनी (कोडेज) द्वारा आयकर का अपवंधन	Evasion of Income-tax by Koday's Manufacturer of Liquor in Bangalore	45
6316	केंन्द्रीय करों में बिहार के भाग में वृद्धि	Increased Share of Bihar in Central Taxes . .	45
6317	राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिये इलायची का क्रय	Purchase of Cardamom for Export by S.T.C. . .	45
6318	दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध की गयी आलोचनात्मक टिप्पणियां	Stricture passed by Delhi High Court against Hindi Officer of Finance Ministry	46
6319	भारत सरकार के कार्यालयों में विदेशी कारों स्टाफकारों के रख रखाव पर किया गया व्यय	Amount spent on Maintenance of Imported Cars/Staff Cars in Government of India offices	46
6320	युगोस्लाविया के प्रतिनिध मंडल के साथ माल डिब्बों के निर्यात के लिय बातचीत	Discussion with Yugoslavia Delegation for Export of Wagons . . .	46
6321	पीतल और कांसा उद्योग का धीरे धीरे समाप्त होना	Gradual extinction of Brass and Bell metal Industry . . .	46-47
6322	पीतल और कांमा उद्योग में काम करने वाले का ीगर बिचौलिये और व्यापारी	Artisans, Middlemen and Traders engaged in Brass and Bell Metal Industry	47
6323	बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ में अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन	Enquiry, Report on Irregularities in Bihar Khadi Gramodyog Sangh	47

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6324	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग संघ के बारे में बाडेरा समिति का प्रतिवेदन	Wadhera Report on Bihar State Khadi Gramodyog Sangh . . .	48
6325	बिहार राज्य ग्रामोद्योग के कर्मचारियों की भविष्य निधि का गोल-माल	Misappropriation of Provident Funds of Employees of Bihar State Khadi Gramodyog . .	48
6327	यूनियन बैंक बम्बई से लेजाई गई धनराशि	Amount of Money taken away from the Union Bank, Bombay .	48–49
6328	विश्व बैंक के दलों का भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा	Visit by World Bank Team to Drought Affected Areas in India . .	49
6329	आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया	Procedure for Grant of Import Licences .	49
6330	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों द्वारा 5 मार्च, 1973 को भूख हड़ताल किया जाना	Hunger Strike by Employees M.M. T.C. on 5-3-73 .	49–50
6331	बिहार में राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यालयों का खोला जाना	Opening of S.T.C. and M.M. T.C. Offices in Bihar	50
6332	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा बिहार से लौह अयस्क खरीदा जाना	Purchase of iron ore by M.M.T.C. from Bihar	50
6333	वैगनों का निर्यात	Export of Wagons	50
6334	भारत में लौह अयस्क में जापान की निधि कम होना	Declining interest of Japan in India's iron-ore .	51
6335	जर्मन जनवादी गणतन्त्र को परम्परागत वस्तुओं का निर्यात	Export of traditional item to G.D.R. . .	51
6336	जोधपुर के निकट एक गिरोह के अफीम के दूध का पकड़ा जाना	Seizure of opium milk from a gang near Jodhpur	51
6337	इंडियन एयरलाइंस के विमानों की देर से उड़ाने	Delayed Flights of Indian Airlines . . .	52
6338	वर्ष 1972-73 में इण्डियन एयरलाइन्स में बोइंग तथा अन्य विमानों के उपयोग का प्रतिशत	Percentage of utilisation of Boeings and other aircraft in Indian Airlines during 1972-73. . . .	52
6339	रक्षालेखा नियंत्रक के पटना स्थित कार्यालय में व्यय वृद्धि	Increase in expenditure in the Office of Controller of Defence Accounts, Patna	52–53

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6340	ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में निर्धारित न्यूनतम संख्या में छोटे उद्योगों के विकास में सहायता देने के संबंध में प्रत्येक बैंक शाखा पर उत्तरदायित्व डालना	Fixing of responsibility on every Bank Branch to help growth of prescribed minimum number of small industries in rural/urban areas . .	53
6341	अखिल भारतीय लघु लैम्प निर्माता संघ से ज्ञापन	Memorandum from All India Small Scale Lamp Manufacturers Association	53
6342	ग्राम-उद्योग का समन्वय और विकास सम्बन्धी कार्यक्रम	Programme for Co-ordination and Development of Village Industries .	53–54
6343	खादी ग्रामोद्योग आयोग में भ्रष्टाचार	Corruption in Khadi Gramodyog Commission .	54
6344	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ज्ञापन को लौह अयस्क का निर्यात	Iron ore Exports to Japan by M.M.T.C. . .	54
6345	कम बैंको वाले और अधिक बैंकों वाले राज्यों की बीच बैंकिंग सुविधाएं	Gap in banking facilities between under banked and over-banked states . . .	54–55
6346	अमरीका की सिंगर स्युइंग मशीन कम्पनी द्वारा "मैरिट" मशीन की बिक्री करके लाभ को स्वदेश भेजना	Repatriation of foreign exchange by Singer Sewing Machine Company of U.S.A. by Sale of Meritt machines	55
6347	एशियाई बिकास बैंकों से ऋण	Loan from Asian Development Bank . . .	55
6348	केरल के उन नगरों के नाम जिनके लिये विमान सेवा की मांग की गई	Names of Cities in Kerala for which Air services have been demanded .	55–56
6349	राष्ट्रीय बैंकों की कृषि शाखाओं द्वारा मध्य प्रदेश में किसानों को दिया गया ऋण	Loan given to farmers in Madya Pradesh by Agricultural Branches of Nationalised Banks .	56
6350	मध्य प्रदेश के विभिन्न सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गई राशि	Amount given by R.B.I. for various Cooperative Banks in Madhya Pradesh . . .	56
6351	राष्ट्रीयकृत बैंकों में अस्थायी नियुक्तियों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को छूट देना	Grant of relaxation to S.C. and S.T. for temporary appointments in Nationalised Banks . .	57

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6352	सरकारी क्षेत्र के एजेंसियों के माध्यम से आयात	Import through Public Sector Agencies . .	57–58
6353	चालू योजना में कोटा (राजस्थान) को विमान सेवा के अन्तर्गत लाना	Proposed to Air Link, Kota (Rajasthan) during the current Plan . .	58
6354	मंत्रियों और संसद सदस्यों पर आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Ministers and Members of Parliament	58-59
6355	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयकर अधिकारी	Income-tax Officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	59
6356	ब्रिटिश व्यापार दल का भारत का दौरा	Visit by British Trade Team to India . . .	59
6357	बंगला देश के शरणार्थियों पर व्यय	Expenditure on Refugees from Bangladesh . .	59
6359	सहरसा, बिहार में बैंक आफ इंडिया के अधीन काम कर रही सहकारी समितियां	Functioning of Co-operative Socities under Bank of India in Saharsa, Bihar .	59–60
6360	कृषक बजत योजनायें	Farmers Saving Schemes	60
6361	बिहार में बैंक की शाखाएं और औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों के लिये दिये गए ऋण	Branches of Banks in Bihar and Loans given to Industrial and Agricultural Sector . .	60
6362	पश्चिम बंगाल और कूच बिहार में तम्बाकू की खेती लगाए गये उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व	Revenue from Excise Duty on Tobacco Cultivation in West Bengal and Cooch Behar . .	61
6363	तम्बाकू विकास निगम की स्थापना	Formation of Tobacco Development Corporation .	61
6364	देश में सूखे के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करने वाले केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव	Proposal to Establish Forecasting Centres in the Country . . .	61–62
6365	मणीपुर में कताई मिल की स्थापना	Setting up of a Shipping Mill in Manipur . .	62
6366	तुलिहल हवाई अड्डे (इम्फाल) में एक नये टर्मिनल का निर्माण	Construction of a New Terminal Building at Tulihal Aerodrome (Imphal)	62
6367	मणीपुर में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Manipur . . .	62–63

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6368	पटसन के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारण	Minimum Price Fixation for Jute . . .	63
6369	निर्यात के लक्ष्यों को पूरा न कर पाना	Decline in Export Targets	63
6370	डालर के अवमूल्यन का प्रभाव	Impact of Devaluation of Dollar . . .	63-64
6371	पर्यटन के विकास के बारे में पूर्वी राज्यों को सुझाव	Suggestions to Eastern States regarding Development of Tourism	64
6372	भारत के विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भाग लेने में उत्तरोत्तर वृद्धि की नीति	Policy of Progressive Increase in Public Sector share in India's Foreign Trade . . .	64
6373	भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार	Trade between India and Yugoslavia . . .	64-65
6374	इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात	Export of Engineering Goods . . .	65
6375	छठे वित्त आयोग का अंतिरम प्रतिवेदन	Interim Report of Sixth Finance Commission .	65
6376	उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के ढ़ाचे का पुनरीक्षण करने के लिये चौथे वेतन आयोग की नियुक्ति	Appointment of Fourth Pay Commission to Review the Pay Structure of Employees of Orissa Government . .	65
6377	सोने की तस्करी	Smuggling of Gold	66
6378	बिहार के पूर्वी भाग का पर्यटन स्थल के रूप में विकास	Development of Eastern Part of Bihar as a Tourist Spot	66
6379	हशीश तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी के अपराध में हिप्पियों की गिरफ्तारी	Arrest of Hippies for smuggling of Hashish and other Articles . .	66
6380	बेरूत से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में स्टेट बैंक की विदेशी ऋण नीति की आलोचना	"State Bank's Foreign Loan—Wisdom Questioned by Beirut Journal"	67
6381	सिने अभिनेता तथा अभिनेत्रियों पर आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income-rax against Film Actors and Actresses . . .	67
6382	सरकारी क्षेत्र के होटलों का कार्य	Performance of Public Sector Hotels . .	68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6383	बोइंग 747 विमान में सीटों पर संख्या लिखी होने के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा	Inconvenience caused to passengers due to lack of seat numbers in Boeing 747	68
6385	कम्पनियां द्वारा धनराशि का बाहर भेजना	Repatriation of Funds by Companies . . .	68
6386	भारत में 75 समृद्ध परिवारों से कर वसूली	Recovery of Taxes from top 75 Families in India	68–69
6387	बम्बई हवाई अड्डे पर 3 मार्च, 1973 को बिना टिकट यात्रा करने की घटना के बारे में जांच प्रतिवेदन	Inquiry Report on Stowaway Incident at Bombay Air Port on 3-3-1973 . . .	69
6388	दिल्ली हवाई अड्डे पर हशीश का पकड़ा जाना	Seizure of Hashish at Delhi Air Port . . .	69
6389	आयातित अनाज सहित खाद्यान्नों के लिये धन देने के बारे में वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश	Direction to Commercial Banks Re: Finance for Foodgrains including Imported Ones . .	69
6390	बन्दरों का निर्यात	Export of Monkeys . .	70
6391	वर्ष 1972-73 के दौरान सूअर की चर्बी, गाय तथा बछड़े की खालों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earnings from Export of Pig Tallow and Cow and Calf Hides during 1972-73 . . .	70
6392	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के नागरीक हवाई अड्डे को विमान यातायात के लिले खोलने का प्रस्ताव	Proposal to open Civil Airport at Gorakhpur (U.P.) to Air Traffic. .	71
6393	चाय उत्पादकों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं	Credit facilities to Tea Growers . . .	71
6394	सिविल सेवाओं पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on Civil Services . .	71–72
6395	1970, 1971 और 1972 के वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा पत्र-पत्रिकाओं और पर्यटक साहित्य के प्रकाशन पर व्यय	Expenditure on Publications and Tourist Literature brought out by the Department of Tourism during the years 1971 and 1972 . . .	72
6396	केनिया की हल्की इंजिनियरिंग वस्तुओं की सप्लाई के बारे में भारत की पेशकश	India's offer to Supply Light Engineering Goods to Kenya . . .	72
6397	कच्चे तम्बाकू के निर्यात में गिरावट	Decline in Export of Raw Tobacco . . .	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6399	भारत से चांदी की तस्करी	Smuggling of Silver out of India	73
6400	उत्तर प्रदेश में विदेशी कपड़ों का आयात करने वाले गिरोह का पता लगाना	Unearthing of Racket in the Import of Foreign Textiles in U.P. . .	73
6401	इंजीनियरिंग सामान के निर्यात पर इस्पात की कमी का प्रभाव	Effect of Steel shortage on Export of Engineering Goods . . .	74
6402	विदेशों के भाण्डागारों को अपने नियंत्रण में लेने के लिये चाय बोर्ड और पत्तन आयुक्त, कलकत्ता के बीच करार	Agreement between Tea Board and Port Commissioner, Calcutta for taking over the warehouses of Foreign countries	74
6403	पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारतीय व्यापार में गिरावट	Decline in Indian Trade with E.E.C. . . .	74
6404	अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा-खातों को बढ़ाना	Mobilisation of Deposits under Small Saving Schemes . .	74–75
6405	स्टेट बैंक आफ इंडिया, कोटद्वारा (उत्तर-प्रदेश) द्वारा प्राप्त ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्र	Loan Applications received by S.B.I. Kotdwara .	75
6406	पांचवीं योजना के दौरान केरल में पर्यटन-केन्द्र का विकास	Development of Tourist resorts in Kerala during Fifth Plan . . .	75
6407	कोलम्बो में 20 मार्च, 1973 को हुआ विभिन्न देशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Ministers of Tourism of various countries in Colombo on 20th March, 1973 . .	75–76
6408	भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर तस्करी को रोकने के लिये जांच समिति का गठन	Setting up of an Enquiry Committee to check smuggling Activities at various Airports in India	76
6409	अफीम का निर्यात	Export of Opium . .	76–77
6410	इंडियन एयर लाइंस तथा एयर इंडिया के विमानों में यात्रा करने वालों की जांच पड़ताल करने में पहले से अधिक सख्ती बरतने का प्रस्ताव	Proposal to tighten the system of making search of passengers travelling in the Planes of Indian Airlines and Air India .	77
6411	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम और औद्योगिक ऋण तथा पूंजी निवेश निगम द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to States by I.D.B.I., I.F.C. and I.C.I.C.I. . .	77–78

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6412	दम दम हवाई अड्डे को जुम्बो जेट विमानों के लिये उपयोग में लाने का निश्चय	Decision on using Dum Dum Airport for Jumbo Jets	78
6413	लीड बैंक के रूप में सेन्ट्रल बैंक द्वारा छोटे व्यापारियों, शिल्पिओं, बुनकरों और खेतीहरों को दिया गया ऋण	Loan advanced by Central Bank as a Lead Bank to Small Businessmen, Artisans, Weavers and Agriculturists . .	78–79
6414	कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) में लीड बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Lead Banks in Cooch-Behar, West Bengal .	79
6415	तमिलनाडु में स्टेट बैंक की नागरकोइल शाखा के साथ धोखाधड़ी	Cheating of Nagerciol Branch of State Bank in Tamil Nadu . .	80
6416	महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा भविष्य निधि लेखों की विवरणियां जमाकर्ताओं को भेजना	Sending of Provident Fund Accounts Sheets to Subscribers by A.G.C.R.	80
6417	चाय बोर्ड द्वारा दार्जिलिंग स्थित दूतेरिया, और कालेज वैली टी एस्टेट्स को दी गई राज सहायता	Subsidy granted by Tea Board to Dooteriah and Kalej Valley Tea Estates in Darjeeling . .	80–81
6419	हवाई अड्डों की सुरक्षा का कार्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षादल को सौंपने का प्रस्ताव	Proposal to entrust Airport security to Central Industrial Security Force	81
6420	राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों की वसूली के लिये बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण	Loan obtained by State Government from Banks and Financial Institutions for procurement of food	81–82
6421	कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Airport	82
6422	गिरीडीह और झुमरीतलैया के अमुक निर्यातक द्वारा कम राशि के बीजक बनाना	Under-invoicing by Mica Exporters of Girdih and Jumri Tilaiya . .	82–83
6423	वीरणम परियोजना के लिये तमिलनाडु को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange to Tamil Nadu for vearanam Project .	83
6424	कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े के मूल्यों को अधिक बनाये रखने के लिये अपने उत्पादन के भाग को बाहर भेजना	Diversion of a large part of output by Textile Mills to keep up prices of cloth . . .	83
6425	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात	Export by M.M.T.C. during the current Financial year	84

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ट/PAGES
6426	ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश करने के पश्चात् भारतीय निर्यात व्यापार का अन्य साम्यवादी देशों में विस्तार	Expansion of India's Trade with other Socialist countries after Britain's entry into E.E.C. . .	84
6427	विभिन्न हवाई अड्डों पर पर्यटक यातायात को अविलम्ब निपटाने के लिये उपाय	Steps to clear Tourist Traffic at various Airports without delay .	84
6428	नई दिल्ली स्थित विभिन्न सरकारी होटलों द्वारा निर्धारित विशेष शुल्क दरें	Social Traffics fixed by various Government Hotels in New Delhi .	85
6429	यूनियन कार्बाइड द्वारा श्रिम्पों के निर्यात के बारे में जांच	Investigation into Shrimp Exports by Union Carbide . . .	85
6430	विदेशी मुद्रा निधि	Foreign Exchange Reserves	85—86
6431	प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व	Revenue from Direct and Indirect Taxes . .	86
6432	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों, मध्यम उद्योगों को तथा कृषि विकास के लिये दिये गये ऋण	Loans advanced to Small Scale and Medium Industries and for Agricultural Development by Nationalised Banks .	87
6433	लीड बैंकों द्वारा राज्यों के पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण	Survey undertaken by Lead Banks in Backward Districts of States	87—88
6434	अधिक मुनाफा कमाने हेतु सूती कपड़ा मिलों द्वार अपने उत्पादन के एक अंश को सिन्थेटिक कपड़ा के स्थान पर सूती कपड़ों में परिवर्तित करना	Switching over part of loomage by Textiles Mills from Cotton Fabrics to Synthetics to earn higher profit	88
6435	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वर्ष 1972 के दौरान निर्यात किये गये ताजा फल तथा अर्जित विदेशी मुद्रा	Fresh fruit exported through S.T.C. during 1972 and Foreign Exchange earned	88—89
6436	मूल्यों से अधिक तथा मूल्य से कम बीजक बनाने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Leakage of Foreign Exchange due to over-invoicing and under invoicing . . .	89
6437	वर्ष 1972 के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातित कृत्रिम धागे का मूल्य	Value of Artificial Yarn imported through S.T.C. during 1972 . .	90
6438	गत दो वर्षों में राज्यों में पर्यटन के विकास पर खर्च किया गया धन	Amount spent for Development of Tourism in states during the last two years . . .	90—91

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6439	राज्य व्यापार निगम में प्रबन्धकीय सवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति	Appointment of S.C./S.T. candidates against reserved posts in Managerial Cadre in S.T.C. .	91—92
6440	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of branches of Nationalised Banks in Hill Districts of U.P .	92
6441	वित्तीय संस्थानों द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को रियायती दरों पर दिया गया वित्त	Concessional finance provided by Financial Institutions to Hill Districts of U.P. . . .	92
6442	एशिया 1972 और राष्ट्रीय उद्योग मेले में मण्डप बनाने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त संगठनों के नाम	Names of Ministeries, Departments and autonomous Organisations which put up their Pavilions in Asia 1972 and National Industries Fair	93
6443	डेबोलिम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा	Declaration of Dabolim as an International Airport	93
6444	डेबोलिम में असैनिक हवाई टर्मिनल	Civilian Air Terminal at Dabolim . .	93
6445	डेबोलिम और बंगलौर के रास्ते बम्बई से हैदराबाद तक विमान सेवा	Air link from Bombay to Hyderbad *via* Dabolim and Bangalore . .	93
6446	बिड़ला, टाटा और साहू जैन समूहों को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिया गया धन	Amount given by Industrial Finance Corporation to Birlas, Tatas and Sahu Jain . . .	93
6447	ओपियम फैक्टरी, गाजीपुर का विस्तार	Expansion of opium Factory, Ghazipur .	94
6448	अन्तर्राष्ट्रीय जूट एजेन्सी की स्थापना	Setting up of International Jute Agency . .	94
6449	कराधान सम्बन्धी वांचू समिति की सिफारिशें	Recommendations of Wanchoo Committee on Taxation . .	94
6450	निर्यात करने हेतु रबड़ का उत्पादन	Production of Rubber for Export	94—95

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	95
मुख्य कोसी नहर के ध्वस्त होने की सम्भावना के बारे में बिहार के सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का समाचार	Reported Statement by the Minister of Irrigation and Power of Bihar regarding the possibility of destruction of main Kosi Canal .	95—101
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	101
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills .	102
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—25वां और 26 वां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings—Twenty-fifth & Twenty-sixth Reports . . .	102
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की कमेटी की हाल में हुई बैठक के बारे में वक्तव्य	Statement Regarding Recent Meeting of the Committee of the Board Governors of International Monetary Fund	102—106
टेक्सटाइल समिति (संशोधन) विधेयक—पुर: स्थापित	Textiles Committee (Amendment) Bill—*Introduced* . . .	106
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में	Re. Pay Commission Report	
डफला जनजाति द्वारा 6 छात्रों की हत्या किये जाने के बारे में	Re. Killing of Six Students by Dafla Tribes . .	
स्टेनटोन पाइप एण्ड फाउन्डरी, उज्जैन के श्रमिकों की हड़ताल के बारे में	Re. Strike by Workers of Stenton Pipe and Foundry Ujjain . . .	
धागे की अनुपलब्धता के बारे में	Re. Non-Availability of Yarn . . .	
सदस्य का वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member . . .	
अनुदानों की मांगें, 1973-74	Demands for Grants, 1973-74	108
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग	Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture	108

M/B(D)3LSS—3(a)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini .	108—109
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S.L. Saksena	109—110
श्री दलीप सिंह	Shri Dalip Singh . .	110
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Maha Deepak Singh Shakya . . .	110—111
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi . . .	111
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip .	111
श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A.K.M. Ishaque .	111—112
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	112—113
प्रो० एस० नुरूल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	113—116
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 62 और 65 में संशोधन)—पुरः स्थापित	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 62 and 65)—*Introduced*	117
संविधान (संशोधन) विधेयक, श्री अर्जुन सेठी का (सप्तम अनुसूची में संशोधन)—वापस लिया गया विचार करने का प्रस्ताव	Constitution (Amendent) Bill—by Shri Arjun Sethi (Amendment of Seventh Schedule)—Withdrawn . . .	118
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya	118
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla .	
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	118—119
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . . .	119
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E.R. Krishnan	119—120
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai .	120
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	120—121
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar . .	121
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Girdhar Gomango	121
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G Mavalankar .	122
श्री डी० पी० यादव	Shri D.P. Yadav .	122
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi .	123
संविधान (संशोधन) विधेय (अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापन) विचार करने का प्रस्ताव	Constitution (Amendment) Bill—(Substitution of article 335) Motion to consider— . .	123
श्री सी० टी० दंडपाणि	Shri C.T. Dhandapani .	123—124
श्री शम्भू नाथ	Shri Shambhu Nath .	124

लोक सभा वादविवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1973/16 चैत्र, 1895 (शक)

Friday, April 6, 1973/Chaitra 16, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चमड़े और खालों का निर्यात

*641. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1973 के दौरान चमड़े और खालों का निर्यात ठप्प हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। जनवरी 1973 के मास के दौरान लगभग 17.5 करोड़ रु० मूल्य की अर्ध-साधित खालें तथा चमड़ियां निर्यात की गई थीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri R. B. Paswan : May I know whether it is a fact that there is so much shortage of skins and hides in the country that the industries based on these products have been facing great difficulties ? What steps Government proposed to take to meet the indigenous requirements of hides and skins while making future exports ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया जा चुका है। यह सच है कि 1972-73 में खालों और चमड़े के अधिक मात्रा में निर्यात के कारण जूते बनाने वाले और मोचियों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा है। अतः निर्यात की मात्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और 1 अप्रैल, 1973 से आगामी पांच वर्ष की अवधि के लिये हम इसमे कमी कर रहे हैं जिससे हम 1972-73 में किये जा रहे निर्यात की तुलना में 25 प्रतिशत कमी निर्यात कर सकें। ऐसा करने से कच्चे माल की कमी कम हो जायेगी।

Shri R. B. Paswan : I want to know whether the Government will consider to export raw and semi-finished hides and skins so that more foreign exchange may be earned and their makers do not have to face unemployment.

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूं कि केवल तैयार माल अथवा तैयार चमड़े का निर्यात करना उचित होगा। लेकिन चूंकि यह परम्परागत निर्यात काफी लम्बे समय से चला आ रहा है हम इसको एक दम समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से व्यापार में बाधा पड़ेगी। कुछ समय में हम निर्यात को 25 प्रतिशत ले आयेंगे जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या खालों और चमड़े के निर्यात पर कोई शुल्क लगाया गया है। यदि हां, तो कितना शुल्क लगाया जाता है ?

श्री ए० सी० जार्ज : आधी कच्ची खालों पर पहले ही से शुल्क लगाया जाता था। 20 मार्च, 1973 से हमने चमड़े पर भी 10 प्रतिशत शुल्क लगाना आरम्भ कर दिया है।

Shri B. P. Maurya : I want to know whether incentive is given for such type of hides which the Ministry allows for export and if so, whether there is any scheme to stop it ?

श्री ए० सी० जार्ज : वास्तव में हम चमड़े और खालों के निर्यात को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जिससे चमड़े का माल तैयार किया जा सके।

श्री बी० पी० मोर्या : आप कृपा 'हां' अथवा 'ना' में उत्तर दें।

श्री ए० सी० जार्ज : जी, नहीं।

Shri Hukum Chand Kachwai : The Hon. Minister has just stated that there has been more export of skins during the last five years. I want to know whether it was done taking into consideration the requirements of the country ? I want to know whether due to excessive exports the prices have increased and the small shoe makers do not get reasonable prices for their goods. I also want to know the extent of increase in the prices and the rate at which the Government purchases and sells the goods.

श्री ए० सी० जार्ज : वर्ष 1972-73 में जब ब्राजील, अर्जनटिना, जैसे प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों ने निर्यात पर रोक लगा दी थी तब आधी कच्ची खाले और चमड़े के निर्यात में वृद्धि हो गई थी। हमे यह पता लगा है कि आधे कच्चे चमड़े और खालों के अधिक मात्रा में निर्यात किये जाने के परिणामस्वरूप कच्चे माल की कमी हो गई थी ! हमने 14 दिसम्बर, 1972 से इस बारे में नियम बनाने आरम्भ कर दिये थे और हम उनका विभिन्न तरीकों से पालन कर रहे थे और विशेष कोटा प्रतिबन्ध से छोटे उत्पादकों, मोचियों और जूते बनाने वालों को सहायता मिलेगी।

केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व में प्रत्यक्ष कर के भाग में कमी

†*642. **श्री नवल किशोर शर्मा** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व में प्रत्यक्ष कर के भाग में कमी होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी का देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) केन्द्रीय सरकार की कुल राजस्व की तुलना में प्रत्यक्ष करों का अनुपात (राज्यों का शुद्ध भाग) प्रत्येक वर्ष भिन्न भिन्न है। कुल मिलाकर उक्त अनुपात में पहले कुछ कमी हुई है।

(ख) सरकार के विचार से इस कमी से देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

Shri Nawal Kishore Sharma : From the answer given by the Hon. Minister it appears that neither this decline has its effect on the economy of the country nor the ratio between direct and indirect taxes has increased.

May I know the ratio between the direct and the indirect taxes during the last three years year-wise ?

Is it not the principle of economics that when the indirect taxes are imposed the prices go up and they have their impact on the national income...

Mr. Speaker : Please ask a direct question,

Shri Nawal Kishore Sharma : I want to know whether as a result of it there has been adverse effect on the national economy during the last three years ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य को अप्रत्यक्ष करों के गत तीन वर्षों के वसूली के आंकड़े दे सकता हूं। वर्ष 1971-72 में प्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता 19.7 थी और अप्रत्यक्ष करों कि 80.3 थी। 1972-73 में प्रत्यक्ष करों की 20.6 अर्थात गत वर्ष से कुछ अधिक और अप्रत्यक्ष करों कि 79.4 प्रतिशत थो। वर्ष 1973-74 अभी शुरू हुआ है अत: मैं इस वर्ष के आंकड़ों के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह उठाया था कि क्या अप्रत्यक्ष करों के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हुई है। मूल्यों में इसके परिणामस्वरूप कुछ सीमा तक वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जब हम अप्रत्यक्ष करों का सहारा लें तो इस बात की ओर ध्यान दें कि उन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न हो जिनका मूल्य वृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस बारे में यही विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अर्थ-विज्ञान कहता है कि अप्रत्यक्ष करों का मूल्यों पर प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थ-शास्त्र की दृष्टि से यह ठीक है। लेकिन अन्ततः यह प्रत्येक देश की अर्थ व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि भारत में योजना के परिणामस्वरूप जिन लोगों को लाभ हुआ है और जो व्यक्ति अधिकतम कर देने वाली श्रेणी में आ गये हैं उन्हें पहले से कम भुगतान करना पड़ रहा है जबकि अमरीका जैसे पूंजीवादी देश में अधिकतम कर देने वाली श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को अधिक कर देना होता है। भारत जैसे समाजवादी देश में अधिकतम कर देने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आने पर लोग कम कर देते हैं। क्या मंत्री महोदय के पास इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे पास इस बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में अपनी सामान्य धारणा का उल्लेख कर सकता हूं। जहां तक निगमित क्षेत्र का सम्बन्ध है यह कहना गलत है कि उक्त क्षेत्र अन्य क्षेत्र से कम कर दे रही है। माननीय सदस्य ने अमरीका का उल्लेख किया है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह कहूंगा कि अमरीका में अधिकतम कर देने वाली श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के करों के स्तर में कमी की गई है। यदि उसकी तुलना भारतीय कर स्तर से की जाये, तो मैं यह कहूंगा कि वह बहुत कम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह विदित होता है कि 1970-71 में निगम क्षेत्र ने अपने लाभ, बिक्री और आस्तियों में भारी वृद्धि दिखाई है जबकि एक ओर निगम क्षेत्र के कर ढांचे में गत दस वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दूसरी ओर इन लोगों को प्रोत्साहन देने के बहाने करों में छूट दी गई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी, नहीं। केवल इसी वर्ष हमने निगमित क्षेत्र के ढांचे में परिवर्तन किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निगमित क्षेत्र के कर ढांचे में कोई भारी परिवर्तन हुआ है। दूसरी ओर प्रोत्साहन के बहाने विभिन्न कर राहतें दी जा रही हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : गत तीन वर्षों में हमने दिये जाने वाले अनेक प्रोत्साहन वापिस ले लिये हैं। हमने केवल कुछ प्राथमिकता क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में विकास छूट वापिस लेने के अपने आशय की घोषणा की है, जैसा कि बजट में उल्लेख किया गया है।

वर्ष 1973–74 में अनुकूलित व्यापार सन्तुलन की स्थिति में सुधार के लिये उपाय

*643. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री विभूति मिश्र :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 के दौरान विदेशों के साथ अनुकूल व्यापार सन्तुलन बनाये रखने और उसमें सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : अप्रैल 1972-जनवरी 1973 के पहले 10 महीनों के व्यापार आंकड़ों से पहले ही पता चल गया है कि 151 करोड़ रु० का अनुकूल व्यापार संतुलन है जबकि गत वर्ष की उसी अवधि में 251 करोड़ रुपये का घाटा था। हम इस संतुलन में और सुधार करने के लिए और बातों के साथ साथ निम्नोक्त अतिरिक्त उपाय भी कर रहे हैं :

(क) निर्यात आधार को बढ़ाने के लिये उपाय ताकि प्राप्य निर्यात योग्य अतिरिक्त माल में वृद्धि हो सके ;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी कीमतों पर निर्यातकों को कच्चे माल की व्यवस्था करना ;

(ग) आयात प्रतिपूर्ति, निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी का और अधिक उदार रूप से आयात करने के लिए निर्यात एककों को अनुमति देने आदि के संबंध में नई आयात निर्यात मे समुचित परिवर्तन करना।

विदेशी बाजारों का पता लगाने और विदेशों में प्रभावोत्पादक ढंग से बिक्रीकारी करने के सम्बन्ध में प्रयासों को और अधिक तीव्र करने का विचार है।

Shri Bibhuti Mishra : The Government should be thanked for converting the Rs. 251 crore loss into Rs. 151 crore favourable balance of trade. In connection with the reply to part (a), (b) and (c) by the Minister may I know the steps being taken to increase the export and to reduce the import in the country ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इस बारे में पहले ही उत्तर दे चुका हूं। इस बारे में यह ही कह सकता हूं कि कच्चे माल की सप्लाई और निर्यात योग्य वस्तुओं के कुछ तत्वों और वित्तीय राहत देने तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में हमने कुछ कार्यवाही की है और आशा है कि हमारे निर्यात व्यापार में और अधिक वृद्धि होगी।

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether it is not a fact that there have been cases of under-invoicing and over-invoicing in the country ? I want to know what steps Government have taken to arouse 'swadeshi' feelings from President House to Parliament House and in the Government Offices from the lowest level to the highest level for reducing the consumption of such goods in the country which can result in saving foreign exchange. The Hon. Minister has not answered my question. Unless it is done there can be no improvement in our economy and there will not be a favourable balance of trade.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : 'अंडर-इंवायसिंग और ओवर-इंवायसिंग की समस्या बहुत अस्पष्ट है। यदि इस बारे में कोई विशेष मामला हमारे सामने लाया जायेगा, तो मैं आश्वासन देता हूं कि हम इस ओर ध्यान देंगे। विभिन्न दावतों और पार्टियों में दिये जाने वाले व्यंजनों के बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

Shri Bibhuti Mishra : The Govevnment should bring the feeling of 'swadeshi' first. The Government gives advise to others but does nothing itself.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि विदेशों में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मंडलों पर किये जाने वाले भारी खर्च में कमी की जा रही है। इसके विपरीत सभा में इस बात की आलोचना की गई है कि विदेशों का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडलों को दी जाने वाली राशि उनके साधारण व्यय के लिये भी अपर्याप्त है।

श्री वसन्त साठे : विदेशी मुद्रा की बचत करने और इसके परिणाम स्वरूप आयात में कमी करने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि प्रतिवर्ष 100 करोड़ रूपए के रूई के आयात को अब कम किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशेष प्रश्न है। सामान्य प्रश्न पूछिये।

श्री वसन्त साठे : मेरा प्रश्न आयात और निर्यात् से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री वसन्त साठे : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार का मुख्यतया विदेशी मुद्रा सूती कपड़े से और वह भी देश में निर्मित रूई से बने 'स्टैन्डर्ड' कपड़े से प्राप्त होती है, क्या सरकार रूई के आयात को घटाकर व्यापार संतुलन में सुधार करेंगी ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मांग और बाजार की स्थिति को देखते हुए हम कभी कभी अवश्य आयात करते हैं, लेकिन जब मांग अधिक नहीं होती है और हमारे लिये आयात न करना सम्भव होता है तो हम आयात के कोटे में हमेशा कमी करते हैं।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या यह सच है कि 1100 करोड़ रूपये के आयात लाइसेंस बिना निर्यात के दायित्व के जारी कर दिये गये थे और इससे व्यापार संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो सरकार का स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम निर्यात दायित्व के बिना तब तक लाइसेंस जारी नहीं करते जब तक देश में खपत के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये ऐसा करना अत्यावश्यक न हो। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह अनुकूल है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मेरा प्रश्न यह था कि क्या बिना निर्यात दायित्व के 1100 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस देने की अनुमति दी गई थी ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : माननीय सदस्य ने विशेष आंकड़ों का उल्लेख किया है। इस मामले में मैं उचित नोटिस के बिना कुछ नहीं कह सकता।

श्री हरिकिशोर सिंह : यदि हम बंगला देश को किये जाने वाले निर्यात को घटा दें तो हमारे निर्यात के आंकड़े क्या होंगे और सरकार इस स्थिति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यदि हम बंगला देश को किये जाने वाले निर्यात को न भी शामिल करें तब भी हमारे आंकड़े अनुकूल ही रहेंगे।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि एक विशेष वर्ष में हमारा व्यापार संतुलन अनुकूल रहा है। सरकार को परम्परागत निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और तैयार उत्पादों से कितने प्रतिशत विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने और तैयार माल के निर्यात में वृद्धि करने की कितनी गुंजाइश है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इतना कह सकता हूं कि परम्परागत और गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात का अनुपात धीरे-धीरे बदल रहा है। अब हम अधिक से अधिक गैर-परम्परागत वस्तुओं और कम से कम परम्परागत वस्तुओं का निर्यात कर रहे है।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या ब्रिटेन द्वारा योरूपीय सांझा बाजार में शामिल होने से भारत की निर्यात नीति अथवा अन्ततोगत्वा व्यापार संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ? दूसरे क्या मंत्री महोदय ने उस वक्तव्य को पढ़ा है जो हाल ही में समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि लन्दन स्थित ओवरसीज ट्रेड डेवेलपमेंट इन्स्टीच्यूट ने कुछ ब्यौरेवार अध्ययन किया है और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? यह कहा गया है कि ब्रिटेन के योरूपीय सांझा बाज़ार में शामिल होने से भारत के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : निर्यात के सम्बन्ध में अपनी नीति बनाते समय हम ने उस बात को ध्यान में रखा है कि योरूपीय सांझा बाज़ार से हमारे निर्यात पर मात्रा के रूप में तथा टैरिफ के रूप में कुछ पाबन्दियां लगेंगी परन्तु हमने जो बातचीत की है, उससे पता चलता है कि इससे हमारे व्यापार पर आगामी चार या पांच वर्षों तक कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा : अब भी बातचीत चल रही है परन्तु उसका परिणाम कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। यह इस मामले का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि जैसा कि मैंने कहा है कि हमने अपने निर्यात व्यापार के कुछ अन्य शक्तिशाली संसाधनों का पता लगाया है और तत्सम्बन्धी परिणाम उत्साहजनक भी है और अनुकूल भी।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से निश्चित राशि से अधिक राशि निकलवाया जाना

*646. **श्री डी० डी० देशाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से निश्चित राशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा बन्द किये जाने के बाद कई राज्य सरकारों ने वाणिज्यिक बैंकों से निश्चित राशि से अधिक राशि निकालना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) वर्ष 1970-71, 1971-72 और दिसम्बर, 1972 तक विभिन्न राज्य सरकारों ने वाणिज्यिक बैंकों से निश्चित राशि से कितनी अधिक धनराशि निकलवाई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) : सामान्यत: राज्य सरकारें खाद्य उपलब्धि संचालन कार्य, उर्वरक और कृमि नाशक पदार्थों का वितरण तथा विभागीय रूप से चलने वाले उद्यमों जैसी विशिष्ट योजनाओं के लिये वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों के ओवर ड्राफ्ट रोकने के लिये योजना के क्रियान्वयन के बाद उन्होने वाणिज्यिकि बैंकों से ओवर ड्राफ्ट नहीं लिये हैं।

(ख): मार्च 1971 के अन्तिम शुक्रवार, 1972 और मार्च 1973 के दूसरे शुक्रवार को खाद्यान उपलब्धि संचालन कार्य के लिये राज्य सरकारों को क्रमशः 26.9 करोड़, 34.1 करोड़ और 23.4 करोड़ रूपये के ऋण दिये थे।

श्री डी० डी० देसाई : क्या राज्य सरकारों के ओवर ड्राफ्टों के भुगतान को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ऋणों के रूप में बदल दिया गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह अलग प्रश्न है :।

समस्त देश में समाज के कमजोर वर्गों के लिए ब्याज की रियायती दरों संबंधी योजना का लागू किया जाना

*648. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में समाज के कमजोर वर्गों के लिए ब्याज की रियायती दरों की योजना लागू करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस योजना का विस्तार हाल ही में और सीमांतिक कृषक कृषि श्रमिक जिलों तक किया गया है। 338 जिलों में से 265 जिले इस योजना के अन्तर्गत आ गये हैं। इसके अतिरिक्त देश भर में कमजोर वर्ग की कुछ विशिष्ट श्रेणियों अर्थात् शारीरिक विकलांग व्यक्तियों, अनाथों, निराश्रित स्त्रियों आदि को ब्याज की रियायती दरों का अधिकारी बना दिया गया है। चूंकि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में यह एक नई योजना है अतः इसके और अधिक विस्तार का विचार इसके कार्यचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर किया जा सकता है।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि यह योजना शरीरिक रूप से विक्लांग व्यक्ति, अनाथों, निराश्रित महिलाओं आदि के सम्बन्ध में भी लागू कर दी गई है। परन्तु इस योजना का प्रयोजन समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना है और इधर कुछ अवधि के बाद जमा हुए ब्याज की राशि अपेक्षाकृत कम होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस योजना का विस्तार क्यों नहीं करती और समस्त देश में गरीब वर्गों, कारीगरों, कृषि श्रमिकों और गरीब किसानों पर लागू करने में यदि कोई कठिनाई है तो वह क्या है ? मैं वित्त मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल के हाल ही के एक उदाहरण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें विधानमंडल ने बटाईदारों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करने के लिये एक कानून पास किया है। उस संदर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूं कि रियायती दर ऋण देने की यह व्यवस्था समस्त देश में बटाईदारों और अन्य कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में क्यों नहीं लागू की जा सकती ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह योजना शारीरिक रूप से विक्लांग व्यक्तियों, अनाथों, निराश्रित महिलाओं आदि पर ही लागू नहीं होती बल्कि यह उन वर्गों में केवल एक वर्ग है जिन पर यह योजना लागू होती है। वास्तव में यह योजना अन्य कई वर्गों पर भी लागू होती है। वार्षिक आय को देख कर यह योजना लागू की जाती है और अब इसको और भी उदार बनाया जा रहा है जैसा कि मैंने अपने बजट सम्बन्धी भाषण में घोषित किया है।

उपरोक्त योजना में दो मुख्य सुधार किये गये हैं : (1) इस सम्बन्ध में भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार किया गया है और इसमें 100 और जिले जोड़ दिये गये हैं और (2) आय की परिसीमा को भी और उदार बनाया गया है और रियायती ब्याज पर दी जाने वाली धनराशि को भी बढ़ा दिया गया है।

जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है यह ऋण देने की नयी योजना है। हमें यह देखना होगा कि इस योजना का इन जिलों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसको ध्यान में रखकर इसको और उदार बनाने पर विचार किया जा सकता है। उल्लिखित जिलों में इन योजनाओं में छोटे किसानों को भी लाभ पहुंचेगा।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने पश्चिम बंगाल के उस कानून के संदर्भ में बात की थी जिसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में बटाईदार राज्य सरकार की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या बटाईदारों का यह वर्ग भी, जिस के लिये राज्य सरकार जमानत देती है, ब्याज की रियायती दर पर यह ऋण प्राप्त कर सकता है और दूसरे क्या समस्त देश में यह वर्ग ऋण प्राप्त कर सकता है ?

श्री यशवतन्राव चव्हाण : यदि वे इस योजना में सम्मिलित वर्गों में से किसी में आते हैं तो वे निश्चय ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं भले ही वह अधिनियम हो या न हो, राज्य सरकार गारंटी दे या न दे अथवा वे बटाईदार हों या न हों, यदि वे उल्लिखित कसौटी पर ठीक उतरते हैं और यदि वे इन जिलों के हैं और यदि वे वार्षिक आय की परि-सीमा के अन्दर आते हैं तो उन्हें अवश्य ऋण मिल सकेगा। मुझे इस में कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना सारे देश पर लागू होती है ? दूसरे क्या चमार, कुम्हार, देहातों के बढई और बुनकर तथा इस प्रकार के समाज के अन्य कमजोर वर्ग, जो उत्पादन के कार्यों में लगे हैं और समुदाय की बहुत सेवा करते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है। परन्तु मै पहले यह देखना चाहता हूं कि 265 जिलों में इस योजना का क्या प्रभाव होता है। परन्तु माननीय सदस्य के सुझाव में सार है और उसपर विचार किया जा सकता है। परन्तु मैं कोई वचन नहीं देना चाहता। यह योजना इन्हीं किस्मों के लोगों के लिये है। हमारा विचार यह है कि हम एक वर्ष तक देखे कि इस योजना का क्या सुझाव होता है। इस योजना का क्षेत्र बढ़ाने का भी हमारा विचार है परन्तु उससे पूर्व हम इसका प्रभाव देखना चाहते हैं।

श्री के० मालन्ना : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि सीमान्तिक किसान कृपक कृषि श्रमिक योजना के अन्तर्गत कितने लोग आते हैं और इस योजना से कितने लोगों को सहायता मिलेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है और यह कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। जैसा कि मैंन बताया है यह योजना उन्हीं जिलों पर लागू होगी, जिनका उल्लेख किया गया है। छोटे किसानों और सीमान्तिक किसानों के बारे में कृषि मंत्रालय जानकारी दे सकता है।

Shri Bhagirath Bhanwar : May I know the criteria laid down for giving loans at preferential rates of interest to these people and whether additional staff has been arranged in the banks for this purpose so that they can be given loans immediately after scrutiny ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस योजना को आरम्भ करने के लिये इस समय हमने उनको 8 या 10 शाखाओं में से एक शाखा चुनने के लिये कहा है ताकि वे इस विषय की ओर विशेष ध्यान दें सकें। इस समय यह विशेष व्यवस्था की जा रही है। बाद में उचित कर्मचारी उपलब्ध होने पर विस्तार इस योजना का भी किया जाना स्वाभाविक है।

Shri Sarjoo Pandey : May I know the areas which are covered by this scheme at present, maximum amount of loan that can be given under this scheme and the date of interest charged thereon ?

Shri Yashwantrao Chavan : I do not have complete list of all these districts.

340 या 345 जिलों में से यह योजना 265 जिलों में लागू है जिसका अर्थ यह है कि देश के दो तिहाई से अधिक ज़िलों में यह लागू है।

Shri Sarjoo Pandey : What is the rate of interest.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बैंक दर 4 प्रतिशत है।

Shri Bibhuti Mishra : The Hon. Minister has stated that geographical area covered by this scheme has been increased. May I know whether all the banks would give loans and what is the income limit for giving loans ? Secondly may I know the steps taken to remove official barricades while giving loans ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक ऋण की शर्तों का सम्बन्ध है, व्यक्तियों के लिये आय की निर्धारित कसौटी उल्लिखित संगठनों पर लागू नहीं होगी। प्रत्येक मामले का निर्णय गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा। पात्रता के लिये आय की अधिकतम सीमा शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 3000 रुपये प्रतिवर्ष आये ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में 2000 रुपये प्रतिवर्ष तक बढ़ा दी जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति को ऋण की अधिकतम राशि कार्य पूंजी के लिये 1500 रुपये और निर्धारित अवधि के लिये ऋण के रूप में 5000 रुपये की राशि दी जा सकती है। ऋण प्राप्त करने वाले ऐसे लोगों को भी इस योजना के अन्तर्गत ऋण लेने का अधिकार होगा जो मुख्यत: अपना काम स्वयं करते हैं अथवा-अपने परिवार के सदस्यों से सहायता प्राप्त करते हैं या किसी को साझीदार रखते हैं और नियमित रूप से कर्मचारी नियुक्त नहीं करते हैं।

Shri Hukan Chand Kachwai : The Hon'ble Minister had mentioned in his budget speech that Rs. 20 crores will be kept for the weaker sections of the society. I think this amount is negligible. I would like to know the time by which all the areas would be covered by this scheme. The hon'ble Minister has

said that out of 8 or 10 banks one bank will give loan. But in the absence of any publicity people do not know whether this loan is admissible to them or not. I would like to know the steps taken to tell the people about availability of this loan and to increase the amount of Rs. 20 crores ?

Shri Yashwantrao Chavan : In so far as the publicity is concerned, I had mentioned it my budget speech. I would request the hon. Members to co-operate in this matter and inform the people about the provisions. In case some literature is required to be published, we shall certainly consider it.

श्री बयालार रवि : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि एशियाई विकास बैंक में हमारी सरकार के तीन प्रतिनिधि हैं किन्तु अपने देश के हित में परियोजनाएं अथवा ठेके प्राप्त करने में उन्हें भारी असफलता मिली है। यह भी बताया गया है कि ठेकों का जापानी मूल्य बढकर 1383.47 लाख डालर हो गया है, जो लगभग 69.2 प्रतिशत है, भारत का न्यूनतम है, हालांकि भारत का अधिकतम अंशदान देने वालों में तीसरा स्थान है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एशियाई विकास बैंक से और अधिकतम लाभ उठाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या वह वित्त मंत्रालय के अन्य कर्मचारियों को वहां से वापस बुलायेंगे ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वस्तुतः वहां जो डायरेक्टर है, वह वित्त मंत्रालय का कर्मचारी नहीं है।

श्री बयालार रवि : वह वित्त मंत्रालय का है। मेरे पास सब रिकार्ड है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वहां जो वैकल्पिक डायरेक्टर है, वह वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध है। किसी मंत्रालय विशेष का इसके लिये उत्तरदायी ठहरानें से कोई लाभ नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जितना हमारा अंशदान है उसकी तुलना में हमें प्राप्त निर्यात और सप्लाई आदि उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये। जहां तक इस सम्बन्ध में की कार्यवाही का सम्बन्ध है, स्वयं मंत्रिमंडल ने इस पहलू विशेष पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और इस मामले में उचित कार्यवाही के लिये हमने यहां एक विशिष्ट सैल की स्थापना की है। जब बैंक परियोजनायें मंजूर करता है तो उस समय अन्तर्राष्ट्रीय प्रति स्पर्द्धा होती है और हमें भी इस दौड़ में भाग लेना पड़ता है तथा प्रति स्पर्द्धा की परीक्षा पास करनी पड़ती है इसीलिये विशिष्ट सैल की स्थापना की गई है और यहां बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर नजर रखता है साथ ही उन व्यक्तियों से सम्पर्क करता है जो अपेक्षित सेवाएं और माल निर्यात के रूप में सप्लाई कर सकते हैं। यह नया दायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक ग्रुप गठित किया गया है जो इस मामले का लगातार ध्यान रखेगा।

श्री बयालार रवि : मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने इन बातों की ओर ध्यान दिया है। क्या उन तीन भारतीय प्रतिनिधियों में से एक वाइस-प्रेजीडेंट है और दूसरा गत पांच वर्षों से पीठासीन अधिकारी के पद पर चला आ रहा है और इस प्रकार से यह दल पूर्णतः असफल रहा है। क्या वित्त मंत्री उन्हें वापस बुलाकर उनके स्थान पर नये व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे जो काम करने में सक्षम हों।

श्री यशवन्तराव चह्व्हाण : वहां का वाइस-प्रेजीडेंट वह होता है जिसे बोर्ड चुनता है। अतः उसे वापस बुलाने का प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में, यह तो भारत के लिये गौरव की बात है कि एक अनुभव भारतीय बैंक का वाइस-प्रेजीडेंट है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे कौन हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वह एक स्वतंय बैंक और व चुनाव करते हैं। संसद के प्रति मैं उत्तरदायी हूं वह बैंक नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन्तु उन्हें आपके माध्यम से जाना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले डायरेक्टरों की नियुक्ति सरकार करती है और, उनके लिये मैं आपके समक्ष जिम्मेदार हूं। किन्तु वाइस-प्रेजीडेंट का चुनाव बोर्ड द्वारा किया जाता है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : प्रश्न यह है कि क्या वित्त मंत्री उन प्रतिनिधियों के काम से संतुष्ट हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां। उसकी नियुक्ति केवल 6 मास पूर्व ही की गई थी।

Seizure of smuggled Gold and Silver etc.

653. Shri Lalji Bhai :

Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of smuggled gold, silver, diamonds and jewels seize during the years 1971-72 and 1972-73; and

(b) The value of foreign exchange seized during these years ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1971–72 में तथा 1972–73 में फरवरी तक पकड़े गये तस्करी के सोने, चांदी, हीरे और रत्नों का मूल्य इस प्रकार है :–

वस्तु	वर्ष (भारतीय बाजार दर पर मूल्य–लाख रुपयों में)	
	1971–72	1972–73 (फरवरी तक)
सोना	342	288
चांदी	26	75
हीरे और रत्न	7	13

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों तथा प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा वर्ष 1971–72 में पकड़ी गई विदेशी मुद्रा का मूल्य 56.1 लाख रुपये है तथा 1972–73 में फरवरी तक पकड़ी गई विदेशी मुद्रा का मूल्य 44.5 लाख रुपये है।

Shri Lalji Bhai : Sir, I would like to know the names of the places from where the smuggled goods were seized and also the names of persons from whom they were seized.

Mr. Speaker : It is a general question and it is not possible to give the names of all concerned. If you had asked such detailed information in original question, that would have been made unstarred question.

Shri Lalji Bhai : At least the names of the places can be told.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Lalji Bhai : Let the Hon. Minister tell me the names of those arrested in this connection.

Mr. Speaker : In the original question you asked only value of the seized goods. If you want to know the names of places and persons, you should have asked this information in original question so that the Minister comes here equipped with requisite information.

Shri Lalji Bhai : It may be told as to what is the quantity of foreign and indigenous goods therein seperately.

Mr. Speaker : You may ask such questions as what kind of gold and jewels were seized and why was the value of seized goods recorded more or less than the actual value thereof. I have asked the question in your place.

Shri Lalji Bhai : What action has been taken against them ?

Mr. Speaker : I have disallowed this question. If you want to know about persons, give a fresh notice of question. Ministers are not encyclopaedia and they cannot answer each and every question which is not directly related to the main question.

Shri Mahadeepak Singh Shakiya : The figures given by the Minister in his statement show that smuggling in this country is taking place on large scale and it is done with the collusion of government officials with the smugglers. Goods are smuggled into foreign countries on this basis. Smugglers derive advantage from this. You punish the smugglers. How are you going to deal with corrupt Government machinery ?

श्री के० आर० गणेश : यह कहना ठीक नहीं है कि इस देश में तस्करी सरकारी अधिकारियों की सांठ–गांठ से होती है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : माननीय मंत्री ने फरवरी 1973 तक के आंकड़े दिये हैं । विदेशों में हाल ही में सोने के भावों में जो तेजी आयी है, क्या उसके बाद भारत में तस्करी की प्रवत्ति को वढावा मिला है ?

श्री के० आर० गणेश : अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में सोने का मूल्य बढ़जाने के बाद जितना सोना पकड़ा गया है उससे यह अनुमान लगता है कि सोने की तस्करी घटी है ।

श्री वसन्त साठे : क्या यह सच है कि अधिकांश तस्करी का पता नहीं लग पाता है क्योंकि तस्करी के पास नयी किस्म की नौकाएं हैं जबकि उन्हें पकड़ने के लिये काम में लाई जाने वाली नौकायें पुरानी किस्म की हैं ।

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं । हमें तस्करी को रोकने वाले कर्मचारियों को उतनी ही तेज चलने वाली नौकायें अभी देनी हैं जैसी तस्कर प्रयोग में लाते हैं । सरकार इस पर विचार कर रही है । एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी जिसने इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन दे दिया है । हमने विमानों के बारे में भी निर्णय कर लिया है किन्तु उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है । हम उन्हें शीघ्र से शीघ्र लेने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Achal Singh : May I know whether all the goods caught from the smugglers has been seized.

Shri K. R. Ganesh : Yes, Sir, Government have seized all such goods.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री के अनुमान के अनुसार कितने प्रतिशत तस्करी का माल पकड़ लिया जाता है ?

श्री के० आर० गणेश : यह बताना कठिन है कि कितने प्रतिशत माल पकड़ा जाता है ? इस विषय पर नियुक्त की गई कौल समिति ने जो आंकड़े दिये थे माननीय सदस्य उन्हें जानते हैं ।ठीक प्रतिशतता बताना मुश्किल है ।

श्री एच० एम० पटेल : यह उच्चशक्ति प्राप्त समिति कब नियुक्त की गई थी और अपेक्षित किस्म की नौकाय और उपकरण उपलब्ध कराने में सरकार को कितना समय लगेग, ।

श्री के० आर० गणेश : हमारे सामने ऐसी नौकाएं विदेशों से प्राप्त करने की समस्या है । हम उन्हें प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं । सरकार इस आवश्यकता स अवगत है और उन्हें प्राप्त करने के उपाय खोज रही है ।

श्री एच० एम ० पटेल : प्रश्न यह था कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति कब नियुक्त की गई थी ? सरकार ने इस मामले पर कब से विचार करना शुरू किया है और इस सम्बन्ध में निर्णय लेने अथवा नौकाओं के लिये क्रमा देश देने में सरकार को कितना समय लगेगा ।

श्री के० आर० गणेश : उच्चशक्ति प्राप्त समिति के गठन के बाद इस विषय पर विचार किया गया और इसे फिर दूसरी समिति को सौंपा गया । उसमें कुछ देर लगी है । माननीय सदस्य को जितनी चिन्ता है, हमें भी उतनी ही चिन्ता है । जितना जल्दी होगा हम उस कार्य को करना चाहते हैं ।

Amount of Money Granted by I.F.C.to Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat.

654. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of money granted by the Industrial Finance Corporation to Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat during the last two years,

(b) whether this amount has not primarily been utilised in the backward areas; and

(c) If so, the steps being taken by Government in this regard ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ख) में एक विवरण सभा–पटल पर रखता हूं ।

विवरण

(क) से (ग) : भारतीय वित्त निगम उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सहायता देता है जो लिमिटेड कम्पनियां हैं और औद्योगिक सहकारी समितियां हैं । यह निगम वित्तीय सहायता के लिये प्रत्येक व्यक्ति के आवेदनपत्र पर गुणावगुण के आधार पर विचार करता है बशर्ते कि वे तकनीकि व्यवहार्यता और आर्थिक क्षमता के मानदंडों पर पूरे उतरते हों। किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष उद्योग के लिये निधियों का कोई आवंटन नहीं होता । निगम ऐसे जिलों में स्थापित या स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता के लिये आवेदन–पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है जिन जिलों को योजना आयोग ने औद्योगिक दृष्टिकोण से कम विकसित करार दिया है और उन्हें रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता देना है । निगम उपयुक्त उपायों द्वारा इस बात को सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सहायता प्राप्त प्रतिष्ठान धन का उचित प्रयोग करें । निगम द्वारा 1970–71 और 1971–72 (जुलाई–जून) में राजस्थान मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में स्थित परियोजनाओं के लिये स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता की राशि इस प्रकार है :–

(लाख रुपयों में)

राज्य	1970–71		1971–72	
	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित
1. राजस्थान				
(क) अधिकृत पिछड़े जिले	75.50 (45.50)	–	–	66.50
(ख) अन्य जिले	5.60	4.00	122.70	33.77
जोड़	81.10	4.00	122.70	100.27
2. मध्य प्रदेश				
(क) अधिकृत पिछड़े जिले	–	–	–	20.00
(ख) अन्य जिले	45.00	25.70	29.32	92.85
जोड़	45.00	25.70	29.32	112.85
3. गुजरात				
(क) अधिकृत पिछड़े जिले	140.00 (140.00)	1.00	300.00	10.00
(ख) अन्य जिले	305.96	43.52	185.22	103.60
जोड़	445.96	44.52	485.22	113.60

टिप्पणी 1. कोष्ठकों में दिखाए गए आंकड़े ऋण की उस राशि को प्रकट करते हैं जो रियायती शर्तों पर स्वीकृत की गयी है ।

2. वितरित राशि में पहले से स्वीकृत राशि का वितरण भी शामिल है निगम ने 30 जून 1972 को समाप्त होने वाले उपर्युक्त दो वर्षों में राजस्थान, मध्य प्रदेज और गुजरात राज्यों से प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं किया है ।

Dr. Laxminarayan Pandeya : Mr Speaker, it has been accepted by the Minister in the statement that the loan is advanced to those districts which are identified as industrially backward districts. But the second part of my question as to whether this amount has not primarily been utilized in the districts and for the purpose for which it was given, still remains to be answered, as it has not been answered in the statement. I would like to know whether Government have received any complaint in this regard; if so, the follow-up action taken by Government.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक इन तीनों राज्यों का सम्बन्ध है, गत दो वर्षों में कोई भी आवेदन पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया है। किन्तु निगम केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार कर सकता है जो उसके पास हैं। वस्तुतः स्वयं पिछड़े जिलों से इस मामले में पहल होनी चाहिये। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रियायती सूद की दर पर ऋणों की घोषणा करने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि इन पिछड़े जिलों में अन्य मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न हों। उदाहरणार्थ वहां बिजली उपलब्ध होनी चाहिये और संचार-साधन विकसित होने चाहिये। यदि ऐसी सुविधायें भी किसी जिले में नहीं हैं तो कोई भी वहां पूंजी-निवेश के लिये तैयार न होगा। ये काम राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों को करने चाहियें।

Dr. Laxminarayan Pandeya : Is it a fact that the procedure adopted by Industrial Finance corporation is too defective and complicated to be followed by the institutions desirous of taking loan from this Corporation and therefore they give up all efforts of getting loans in disgust. If so, will the Governments take steps to improve the said procedure ?

Shri Y. B. Chavan : There may be defects, I agree. But I will try to bring improvement in it and I hope you will also give some suggestions

सूडान को तकनीकि ऋण सुविधाएं प्रदान करना

*655. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 मार्च 1973 को भारत और सूडान के अधिकारियों के बीच कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) तथा (ख) : एक सुडानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 6 से 12 मार्च, 1973 तक नई दिल्ली का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल से भारत-सुडानी व्यापार प्रबंधों के कार्यकरण में "तकनीकि ऋण" की एक योजना शुरू करने के लिये वार्ताएं की गई थीं। जो करार हुआ उसमें "तकनीकि ऋण" की पर्याप्त राशि की व्यवस्था है जो आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्षों के लिये उपलब्ध हो सकेगी। "तकनीकि ऋण" की यह योजना व्यापार योजना के कार्यकरण में 1 अगस्त, 1973 से शुरु होगी।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : किन-किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जायेगा और उनका मूल्य कितना होगा? व्यापार संतुलन अनुकूल होगा अथवा प्रतिकूल ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : भारत से सूडान को मुख्य रूप से चाय, पटसन से बनी वस्तुयें, इंजीनियरिंग तथा तत्सम्बन्ध उत्पाद, मसाले, कुछ अनिवार्य किस्म के तेल का निर्यात किया जायेगा और भारत वहां से लम्बे रेशे वाली रूई और कुछ मात्रा में अरबी गोंद आयात करेगा।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : इस निर्यात और आयात का मूल्य क्या होगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : प्रस्तावित व्यापार करार लगभग 100 करोड़ रुपये के मूल्य का होगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विकासशील देशों में सूडान ऐसा देश है जिसका भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अब समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उड़ान करने से पहले हर हवाई अड्डे पर विमान चालकों की डाक्टरी परीक्षा

*644. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ान भरने से पहले प्रत्येक हवाई अड्डे पर विमान चालकों की उचित डाक्टरी परीक्षा की जाती है और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) यद्यपि एयरलाइनों के विमान चालकों की प्रत्येक उड़ान करने से पूर्व डाक्टरी परीक्षा नहीं की जाती है, उन्हें विमान नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार हर छः महीने में डाक्टरी परीक्षा करानी होती है। यदि आवश्यक होता है तो उनकी अधिक बार भी डाक्टरी परीक्षा की जाती है।

Delay in Payment of Pension

***645. Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether undue delay takes place in payment of pension to the retired Central Government Employees ;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to prevent this delay ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh):

(a) to (c) Under Rule 60 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972 the authority to sanction pension is vested in the Head of Department or any other authority competent to make appointment to the post substantively held by the retiring Government servant. Pensions are thus sanctioned not on a centralised basis but by numerous authorities at various levels spread all over the country. Up-to-date information regarding the time taken by the various pension sanctioning authorities or the reasons therefor is not, therefore, readily available centrally. Under the existing procedure which came into effect on 1st October, 1969 (salient features given in the annexure) in the case of non-gazetted Government servants upto three-fourths of gratuity and provisional pension not exceeding the maximum pension as worked out by the Head of Office is required to be disbursed by him to the retiring Government servant from the first day of the month following the month of retirement until final amount of pension and gratuity is worked out and authorised by the Audit Officer. In the case of gazetted Government servants the Audit Officers are responsible for authorising the amounts of gratuity and pension. In their case also the rules provide for sanction of anticipatory pension and gratuity where a Government servant retires before his pension can be finally settled. The question of simplifying and improving the procedures of sanctioning pensions remains constantly under review so as to ensure expeditious disposal of pension cases.

Statement

ANNEXURE

Salient features of the procedure introduced with effect from 1st October 1969

(i) To keep the Audit Officers informed lists will be prepared by every Head of Department every 6 months of the persons due for retirement 12 to 18 months hence and these lists would be forwarded to the Audit Officer also. In the case of officers occupying Government accommodation the Directorate of Estates would also be addressed one year before the anticipated date of retirement of the officers for issue of No Demand Certificate.

(ii) Application for pension would be submitted by the gazetted officer direct to the Audit Officer and by the non-gazetted officer to the Head of Office one year in advance of the date of retirement.

(iii) Pensions once sanctioned would not be subject to revision to the disadvantage of the retired Government servants except on discovery of clerical error.

(iv) In the case of a gazetted Government servant the Head of Department is required to communicate the orders of the pension sanctioning authority to the Audit Officer not later than the date of his retirement. If this intimation is not received by the Audit Officer by that time he will assume that the retiring officer has been allowed full pension and gratuity.

(v) In the case of non-gazetted Government servants the Head of Office will process the pension papers and forward the same to the Audit Officer. After the papers have been sent to the Audit Officer the Head of Office will draw provisional pension not exceeding the maximum and $\frac{3}{4}$th of the gratuity as may be admissible under the rules and arrange to disburse the same on the first day of the month following the month in which the officer retires from service and the payment of pension will continue until the final pension is determined and authorised by the Audit Officer.

(vi) Government dues against the retiring Government servant should be adjusted within a period of 6 months from the date of his retirement. In the case of Government accommodation this period will reckon from the date of retirement or from the date of complete vacation of Government accommodation whichever is later. After the lapse of this period the cash deposits obtained from the retiring Government servant or the amount of with-held gratuity would be released to him.

Nationalisation of Scheduled Banks in Madhya Pradesh

***647. Shri G.C. Dixit :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of those Scheduled Banks in Madhya Pradesh which have not so far been nationalised; and

(b) whether Government propose to nationalise these banks ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) There is one scheduled commercial bank with its head office in Madhya Pradesh viz. Krishnaram Baldeo Bank Ltd., which has not been nationalised.

(b) : The policy with regard to nationalisation of private sector banks has been indicated in the House on more than one occasion in the past and there is no change in the Government's stand in this regards.

कलकत्ता लाइसेंन्स मेसर्ज लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

*649. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता लाइसेंस्ड मैसर्ज लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के लिये उनके मंत्रालय को कोई ज्ञापन पेश किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कलकत्ता लाइसेंस मैसर्ज लोकल एसिस्टेंन्ट्स एसोसिएशन्ज को सरकारी संगठन में परिवर्तित करने के लिये उनसे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस अनुरोध को मानने का मंत्रालय का विचार नहीं है ।

पांचवी योजना में पर्यटन विकास के लिये कुल परिव्यय

*650. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में विदेशी पर्यटन यातायात के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

(ख) पांचवीं योजना की अवधि में प्रति वर्ष कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की आशा है ; और

(ग) पांचवीं योजना की अवधि में पर्यटन विकास के लिये कुल कितने परिव्यय की व्यवस्था की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1978 के अंत तक 800,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(ख) पांचवीं योजनावधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा का अनुमान निम्न प्रकार लगाया गया है :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में) प्राक्कलित अनुमान
1974	66.00
1975	75.00
1976	87.00
1977	100.00
1978	114.00

(ग) पांचवीं योजना में पर्यटन विकास के लिये निर्धारित कुल परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मैसर्ज नेशनल जूट कम्पनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल में कुप्रबन्ध

*651. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मैसर्ज नेशनल जूट कम्पनी लिमिटेड, रायगंज, पश्चिम बंगाल में अत्याधिक कुप्रबंध और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं और क्या प्राप्त शिकायतों के बारे में किसी जांच के आदेश दे दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह आशंका है कि यदि सरकार इस मिल को बचाने के लिये हस्तक्षेप नहीं करती तो, भारत की यह सबसे बड़ी जूट मिल बंद हो सकती है ; और

(ग) इस कम्पनी पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का कितना ऋण बकाया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) से (ग) जनवरी, 1973 में पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्रीय सरकार के ध्यान में इस बात को लाई थी कि नेशनल कं० पर्याप्त कार्यवाही पूंजी के अभाव में लगभग बंद होने जा रही थी। यह भी बताया गया था कि (क) केन्द्रीय जांच व्यूरो ने इस मिल के विरूद्ध कुछ जांच–पड़ताल की है, (ख) कम्पनी के पास गत तीन वर्षों का कोई लेखा–परीक्षित संतुलन–पत्र नहीं है, तथा (ग) प्रबन्धकों ने औद्योगिक उपक्रम की आस्तियों पर ऋण भार डाल दिये थे और एक ऐसी स्थिति में ले आये थे जिससे मिल में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। राज्य सरकार ने मिल के कार्यों की उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अतर्गत जांच करवाने का सुझाव दिया था।

2. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के इस सुझाव पर अभी किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है। इस बीच में, मिल में उत्पादन हो रहा है तथा बंद नहीं हुई है।

3. मिल कम्पनी के अनुसार बकाया ऋणों की राशि 572.62 लाख रुपये है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खरीद

*651. **श्री पी० नरसिंहा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने चालू फसल के दौरान आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खरीद आरम्भ कर दी है; और

(ख) गत फसल में खरीद के दौरान अपनाये गये अनुचित तरीकों के बारे में की गई शिकायतों को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं, राज्य व्यापार निगम चालू मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खरीद दारी का कार्य उस प्रकार नहीं कर रहा है जिस प्रकार उन्हें 1972 के दौरान करने को कहा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति

*657. **श्री मुख्तियार सिंह मालिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक अध्ययन दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन दल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

(ग) क्या इस अध्ययन दल ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Import of Surgical Instruments

***658. Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity and nature of surgical equipment being imported from the foreign countries and

(b) the names of the countries from where the equipment is being imported and the terms and conditions thereof ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) : statement showing imports of different items of surgical equipments/instruments, the value, quantity and country of imports is laid on the Table of the House.

[Placed in Library Sec. No. LT. 47387/3]

मार्क के प्रस्तावित पूनर्मूल्यांकन और अन्य मुद्राओं की विनिमय दर से मुक्त करण के प्रस्ताव का भारतीय रुपये पर प्रभाव

*659. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम के जर्मनी मार्क का प्रस्तावित उच्चतर पुर्नमूल्यांकन तथा सांझा बाजार के छः देशों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से अपनी मुद्राओं को डालर की विनिमय दर से मुक्त रखने के प्रस्ताव का भारतीय रुपये पर पड़ने वाले प्रभाव का ठीक–ठीक क्या मूल्यांकन किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : पश्चिम जर्मनी के मार्क का पुर्नमूल्यन और सांझा बाजार के छः देशों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से अपनी–अपनी मुद्राओं को विनिमय दर से संयुक्त रूप से मुक्त कर दिये जाने के निर्णय के बाद से, जो 19 मार्च 1973 को मुख्य विदेशी मुद्रा बाजारों के फिर से खुलने के बाद प्रभावी हुआ था, पौण्ड स्टर्लिंग का मूल्य कुछ बढ़ने लगा है । यूरोपीय आर्थिक समुदाय के छः देशों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य भी तदनुरूप बढ़ा है । विदेशी मुद्रा विनिमय बाजारों की स्थिति अत्यन्त अस्थिर और अनिश्चित सी है । यह अनिश्चितता निस्सन्देह हमारे निर्यात के लिये भी हानिकारक हो सकती है । परन्तु इसके प्रभाव का इस समय, अनुमान लगाना कठिन है ।

ग्रामीण बचत योजना

*660. **श्री चिरंजीव झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बचत योजना के अधीन वर्ष 1972 में कुल कितना धन एकत्र हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों से इसमें कितना धन प्राप्त हुआ ;

(ख) क्या सरकार भारतीय उर्वरक निगम, ग्राम पंचायतों और राज्य सरकारों के सहयोग से ग्रामीण बचत योजना को लागू करेगी ; और

(ग) ग्रामीण बचत योजना की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :

(क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें वित्तीय वर्ष 1971–72 में ग्रामीण तथा शहरी डाकघरों के माध्यम से संगृहीत अल्प बचतों की राशि का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है । बाद की अवधि के इस प्रकार का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) इस तरह की कोई अलग ग्रामीण बचत योजना नहीं है । एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें ग्रामीण बचतों को जुटाने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

ग्रामीण और शहरी डाक घरों की मार्फत वर्ष 1971–72 के दौरान जुटायी गयी छोटी बचतों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

परिमण्डल राज्य का नाम	संगृहीत राशियां		जोड़
	ग्रामीण डाकघर	शहरी डाक-घर	
1. आन्ध्र प्रदेश	9,37	15,03	24,40
2. असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैण्ड, त्रिपुरा, और मिजोराम	9,51	15,33	24,84
3. बिहार	29,52	39,42	69,34
4. दिल्ली	19	36,67	36,86
5. गुजरात	25,56	25,71	51,27
6. जम्मू और कश्मीर	1,77	4,30	6,07
7. केरल	12,59	9,90	22,49
8. मध्य प्रदेश	4,15	21,64	25,79
9. महाराष्ट्र	30,41	115,97	146,38
10. मैसूर	4,70	18,80	23,50
11. उड़ीसा	8,11	16,64	24,75
12. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल	27,49	60,93	88,42
13 राजस्थान	3,63	9,94	13,57
14. तमिल नाडु	17,20	38,10	54,30
15. उत्तर प्रदेश	42,48	94,97	137,45
16. पश्चिम बंगाल	28,93	59,41	88,34
जोड़	255,01	582,76	837,77

विवरण

ग्रामीण बचतों को जुटाने के लिये उठाये गये कदम

1. अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में से चुने हुए इलाकों में, विशेष रूप से गन्ने, तम्बाकू, आलू और गेहूं जैसी नकदी जैसी फसलों से होने वाली आय में से बचत करने के पक्ष में प्रचार करने के लिए वृहद् योजनाएं तैयार की गयी हैं।

2. भारतीय खाद्य निगम, विपणन समितियों, राज्य सरकारों और खरीद-केन्द्रों में कार्य करने वाले अन्य वसूली अभिकरणों की सहायता से रबी और खरीफ के फसल-कटाई के मौसमों के दौरान विशेष अभियान चलाये गये थे। इन संस्थाओं की सहायता से, राष्ट्रीय बचत संगठन, विपणन समितियों, अधिकृत अभिकर्ताओं, आदि के कर्मचारियों ने अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और दरमियाने दर्जे के किसानों से सम्पर्क स्थापित किया जिन्हें चैकों के जरिये अदायगी की जाती है। बचतों में निवेश तत्स्थान पर ही कर दिये गये। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में रबी अभियानों के दौरान पिछले वर्ष इन विभिन्न केन्द्रों पर अल्प बचतों के रूप में 4.75 करोड़ रुपये संगृहीत किये गये।

3. गैर-विभागीय शाखा डाकपालों को, उनके डाकघरों के काउंटरों पर 3 और 5 वर्षीय मीयादी जमा खातों में जमा करायी जाने वाली रकमों पर 1 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन दी जाती है। गैर-विभागीय शाखा डाकपालों को

डाकघर बचत बैंक खातों में पिछले वर्ष में जमा रकमों की तुलना में, 500 रुपये से अधिक होने वाली वृद्धि पर भी 1 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन दी जाती है। अप्रैल-दिसम्बर, 1972 की अवधि में 68,625 ग्रामीण डाकपालों में से 22,941 डाकपालों को इस कार्य का प्रशिक्षण दिया गया था और उन्होंने 1.38 करोड़ रुपये का संग्रह किया।

4. स्थानीय लोगों का उत्साह बढ़ाने और प्रतियोगिता की भावना का सम्बन्ध करने के लिए, अल्प बचतों का प्रचार करने के लिए किये गये विशेष अभियानों के दौरान, अपने अपने इलाकों में सबसे अधिक संग्रह करने वाले प्रत्येक खण्डपंचायत प्रमुख को 150 रुपये के नकद इनाम दिये गये।

एशिया, 72 में "हाल आफ नेशन्स" और "हाल आफ इंडस्ट्रीज" के निर्माण के लिय दिया गया ठेका

6251. **श्री राम सहाय पांडे : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एशिया '72 में 'हाल आफ नेशंन्स' और 'हाल आफ इंडस्ट्रीज' तथा कुछ अन्य भवनों के निर्माण का ठेंका टेण्डर के आधार पर मैसर्स पुरी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था ;

(ख) क्या उक्त फर्म द्वारा दिया गया टेंडर सब से कम मूल्य का था और यदि नहीं तो सरकार ने उसे यह ठेका किस आधार पर दिया था,

(ग) क्या उक्त फर्म बहुत बड़ी राशि निर्माण आरम्भ करने के लिये पेशगी दी गई थी परन्तु उसका काम मान्य स्तर से घटिया पाया गया ; और

(घ) क्या सरकार ने इस पहलू की जांच की है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। हाल आफ नेशन्स और हाल आफ इंडस्ट्रीज के तीन एककों का निर्माण-कार्य निविदा आधार पर मै० पुरी कंस्ट्रक्शन (प्रा०) लि०, को दिया गया था। तथापि, इंडस्ट्रीज के चौथे एकक का निर्माण कार्य निविदा आमंत्रित किये बिना निर्माण तथा आवास मंत्रालय के निर्माण-कार्य परामर्शदात्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित उन्हीं दरों व शर्तों पर दिया गया था जिन पर हाल आफ नेशन्स तथा हाल आफ इंडस्ट्रीज के तीन एककों का निर्माण कार्य दिया गया था।

(ख) जी हां ।

(ग) तथापि, बाद में, फर्म की क्षतिपूरण बंध पत्र तथा बैंक गारंटी के आधार पर कड़ाई के साथ करार की शर्तों के अनुसार स्थल पर लाए गये स्टेजिंग माल के आधार पर अग्रिम राशि दी गई थी। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नर्माण कार्य अपेक्षित स्तर का हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Institute of Management Development.

6252. **Shri Dhan Shah Pradhan** Will the Minister of **Finance**: be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to set up an Institute of Management Development and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) (a) & (b) : The Industrial Finance Corporation of India—one of the public sector term lending financial institutions, has sponsored a Management Development Institute which has been registered under the Societies Registration Act, 1860, on the May, 1972 in New Delhi. It has been inaugurated on the 8th March 1973.

The Institute is intended to provide training in modern management techniques to the clients of the Corporation, particularly to new entrepreneurs and technologists who promote industrial projects with the help of financial assistance from the Corporation. Apart from imparting training in modern management techniques to the Corporation's clients, the Institute would impart

training to the staff of the Corporation at all levels as also to the staff of the term-lending financial institutions at the State and All-India levels in development banking.

Amongst other sources, the Institute it to be financed out of grants made available to the Corporation by the Central Government from the interest differential funds arising out of the lines of credits in DM sanctioned to the Corporation by the Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Federal Republic of Germany.

The general superintendence direction and control of the affairs of the Society and its income and property shall be vested in the governing body of the Society called the Board of Governors, Management Development Institute, New Delhi.

राजस्थान के बारे में दूसरे केन्द्रीय अध्ययन दल का प्रतिवेदन

6253. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे दल ने जिसे मौजूदा सूखे की स्थिति से निपटने के लिये राजस्थान की वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए भेजा गया था, केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ; यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ;

(ख) इस दल के सीधे सहायता कार्य के लिये तथा कलपुर्जों के लिये कितना-कितना धन देने का सुझाव दिया है ; और

(ग) प्रथम दल की सिफारिशों की तुलना में यह सिफारिशें क्या हैं और इसमें से राज्य सरकार को उपयोग के लिय अब तक कितना धन दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : वर्ष 1972-73 के दौरान तीन केन्द्रीय दलों ने, सूखा सहायता उपायों पर होने वाले व्यय की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये राज्य का दौरा किया था। इन दलों में से प्रत्येक की सिफारिशों के आधार पर स्वीकार की गयी अधिकतम सीमाएँ सभापटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। सूचित व्यय की प्रगति के आधार पर 1972-73 के दौरान राज्य-सरकार के लिए 11 करोड़ रुपय की राशि जारी की गयी है। और अधिक राशि, राज्य सरकार द्वारा, स्वीकृत अधिकतम सीमा परिपक्ष्य में सूचित व्यय की प्रगति के आधार पर तथा केन्द्रीय दल द्वारा कार्यों पर हुए व्यय के नियतकालिक मूल्यांकन के अनुसार जारी की जाएगी ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	सहायता की मदें	ऋण की मदें	जोड़	अवधि
पहला दल	218.81	–	218.81	जून-जुलाई 1972
दूसरा दल	318.00	123.00	441.00	अगस्त 1972 मार्च-1973
तीसरा दल	सहायता कार्य कोई अधिकतम सीमा नहीं सहायता की अन्य मदें 354.00	158.00	512.00†	*अक्टूबर 1972 से सितम्बर 1973

*तीसरे केन्द्रीय दल द्वारा अनुशासित अधिकतम सीमा द्वारा दूसरे केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर आधारित सीमा रद्द हो जाती है।

†इसमें सहायता कार्य का व्यय शामिल नहीं है।

Value of Goods exported to U.S.S.R.

6254. Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of goods exported to Soviet Union during 1970-71 and 1971-72 in Indian currency and

(b) the estimated value of the goods proposed to be exported during the financial year 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (**Shri A.C. George**) :

(a) The value of goods exported to Soviet Union during 1970-71 and 1971-72 is indicated below :—

	(In Rs. crores)
1970-71	209·85
1971-72	208·70

(b) The value of goods exported too Soviet Union during 1972-73 is estimated at about Rs. 230 crores.

मैसूर के सुखाग्रस्त क्षेत्रों संबंधी केन्द्रीय दल का प्रतिवेदन

6255. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दल ने मैसूर राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) केन्द्र द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां, ।

(ख) केन्द्रीय दल ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय दल द्वारा अनुमोदित सहायता कार्य द्वारा रोजगार देने पर होने वाला खर्च केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जाएगा । अन्य मदों के लिये केन्द्रीय दल ने 5.12 करोड़ रुपये अधिकतम सीमा की सिफारिश की है ।

(ग) ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गयी है । 1972-73 के दौरान राज्य सरकार को वित्तीय सहायता के रूप में 16.5 करोड़ रुपये की राशि दे दी गयी है । इसके बाद का भुगतान, सहायता कार्यों पर व्यय के बारे में केन्द्रीय दल द्वारा समय समय पर लगाये जाने वाले अनुमान तथा स्वीकृत अधिकतम सीमा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बताये जाने वाले व्यय की प्रगति के आधार पर किया जायेगा ।

हावड़ा में अपमिश्रित चाय का पकड़ा जाना

6256. **श्री आर० वी० बड़े :**

श्री हुकुम चन्द कछवाय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1973 में हावड़ा में लगभग 16 हजार किलोग्राम चाय पकड़ी गई थी ;

(ख) क्या चाय में ऐसी अनेक वस्तुएं मिली हुई थीं जो मानव उपयोग के लिये उपयुक्त नहीं थीं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : हावड़ा में एक गोदाम से 9-10 मार्च, 1973 को 1053 बैगों में लगभग 52,000 किलो ग्राम चाय वेस्ट पकड़ी गई थी । उक्त गोदाम से निम्नोक्त माल भी पकड़ा गया था :

(1)	सा डस्ट	2 बैग
(2)	स्टोन चिप	1 बैग
(3)	सैंड (कलर्ड ब्लैक)	2 बैग
(4)	सैंड तथा लैदर डस्ट जैसे पदार्थ मिला कोकोनट फाइवर	129 बैग
(5)	ब्लैक डस्ट जो डस्ट टी दिखाई देती थी	188 बैग
(6)	कलर्ड डस्ट जो सा डस्ट तथा काउडंग डस्ट जैसी दिखाई देती थी	4 बैग
(7)	2000 बोतलें जिनमें द्रव था और जिनपर ढाका के साधना औषधालय के "सरीबदी सालसा" लेबल लगे हुए थे ।	100 लकड़ी के बक्से

अपराधियों के विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार ने उचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है । पकडे गये सामान के प्रतिनिधि नमूनें इन्होंने रासायनिक विश्लेषण के लिये भेज दिये हैं ।

राज्यों के बजट में घाटा

6257. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों के बजट में कुल कितना घाटा दिखाया गया है तथा उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बजट में घाटे को कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बताये हैं और यदि हां, तो उन पर विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए वित्तीय सहायता के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है और उस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

(ख) चालू वर्ष के लिये राज्यों के आयोजना संबंधी परिव्यय राज्य-सरकारों से विस्तृत परामर्श करने के बाद और पूर्ण वित्तपोषण के आधार पर निर्धारित किये गये हैं । राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि सभी भावी क्रियाकलाप आत्म-वित्तपोषण के आधार पर होने चाहिए और साधनों और व्यय के प्रवाह के मध्य संतुलन कायम रहना चाहिए । किसी भी राज्य ने कोई आपत्ति नहीं की है ।

(ग) मैसूर सरकार ने अपने 1973-74 के घाटे की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिये कहा है । सरकार ने सिद्धान्ततः उन राज्यों को, जिनके बारे में योजना आयोग द्वारा यह निर्धारण किया जाए कि उनके साधनों में अपरिहार्य अन्तर है, विशेष सहायता (ऋणों के रूप में) देना स्वीकार किया है । वर्ष 1973-74 के लिए अभी यह निर्धारण नहीं किया गया है ।

विवरण

राज्यों के 1973–74 के बजट में दिखाये गये घाटे/अधिशेष

	(करोड़ रुपयों में)
	+0.08
आंध्र प्रदेश	*
असम	
बिहार	−38.47
गुजरात	−2.29
हरियाणा	−11.48
हिमाचल प्रदेश	−9.98
जम्मू और कश्मीर	−2.03
केरल	−30.66
मध्य प्रदेश	−18.30
महाराष्ट्र	−33.32
मणिपुर	−3.28
मेघालय	−9.82
मैसूर	−36.14
नागालैण्ड	−0.12
उड़ीसा	−2.04
पंजाब	−24.94
राजस्थान	−24.10
तमिलनाडु	**
त्रिपुरा	−6.35
उत्तर प्रदेश	−8.44
पश्चिम बंगाल	−0.07
सभी राज्य	−261.84
	(+0.08)
	(−261.92)

*नियमित बजट अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**नाम मात्र का घाटा।

नारियल जटा तथा उसके उत्पादकों का निर्यात

6258. **श्री रामचन्द्र कडन्नापली : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रिटेन के साँझा बाजार में शामिल हो जाने से नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों का निर्यात पर प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : चालू वर्ष के अन्त तक भारतीय कयर निर्मित वस्तुओं के लिये ब्रिटिश टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्द्धित समुदाय को भारतीय कयर निर्मित वस्तुओं के लिये सन्तोष जनक व्यापारिक प्रबन्ध करने हेतु समुदाय के साथ पहले से ही बातचीत चल रही है।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच के लिये वित्त मंत्रालय में क्रियान्विति सेल की स्थापना

6259. **श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए इस मंत्रालय में कोई क्रियान्विति सेल स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु स्थापित किए गए सेल का स्वरूप क्या है और इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) उस कक्ष में एक अपर सचिव, दो उप सचिव, दो अवर सचिव तथा अन्य सहायक कर्मचारी हैं। अपर सचिव तथा अन्य अधिकांश कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बाधाओं को समाप्त करने हेतु वार्ता

6260. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या व्यापार बाधाओं को समाप्त करन के लिये इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत में किन विषयों पर चर्चा होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। टैरिफ तथा व्यापार सामान्य करार के तत्वावधान में 1973 के दौरान जेनेवा में नई व्यापक बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिये जाने की सम्भावना है। वार्ताओं का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में टैरिफ, तथा गैर-टैरिफ दोनों प्रकार की बाधाओं को हटाना अथवा उन्हें उदार बनाना है। वार्ताओं में, उष्ण कटिबन्धीय उत्पादों सहित औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी दोनों उत्पाद शामिल होंगें। तकनीकों तथा रूपात्मकताओं और साथ ही साथ वार्ताओं के लिये 'ग्राउण्ड रूल्स' के बारे में गाट के विभिन्न उन्नुषंगी अंगों में विचार-विमर्श चल रहे हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, छोटा नागपुर (बिहार) के एजेंट द्वारा क्लर्कों की नियुक्ति

6261. कुमारी कमला कुमारी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर (बिहार) स्थित स्टेट बैंक आफ इंडियां के एजेन्ट बैंकों में क्लर्कों की नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा नहीं लेते ; और

(ख) वर्ष 1972 में कितनी बार परीक्षा ली गई और कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये और क्या नियुक्तियां प्रतिस्पर्धा के आधार पर की जाती हैं ?

वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि छोटा नागपुर प्रभाग के उनके कार्यालयों में क्लर्कों/खजाना विभाग के कर्मचारियों की भर्ती क्षेत्रीय परीक्षाओं के आधार पर की जाती है जो आम तौर पर रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद में आयोजित की जाती है। बताया गया है कि 1972 के वर्ष में छोटा नागपुर प्रभाग में उनके कार्यालयों के लिये 74 क्लर्कों-टंककों तथा खंजाचियों की नियुक्ति, 1971 में ली गई परीक्षा के आधार पर की गई है। बैंक ने सूचना दी है कि क्लर्कों-टंककों तथा खजांचियों के पदों को भरने के लिए 1972 में जमशेदपुर में जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उनमें से 32 प्रत्याशियों को अब तक नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है।

स्टेट बैंक आफ इन्डिया में नियुक्ति के लिये कमेटी

6262. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया में उन लोगों को ही रोजगार मिलता है जो स्टेट बैंक के उच्च अधिकारियों क परिचित होते हैं और राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर उनकी कोई प्रतियोगात्मक परीक्षा नहीं ली जाती ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्लर्कों तथा चपरासियों की नियुक्ति की मुख्य कसौटी क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा लिपिकीय तथा अधीनस्थ संवर्ग में सभी रिक्त स्थानों पर नियुक्ति स्थानीय नियोजन केन्द्रों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों में से सीमित संख्या में सीधे आने वाले उम्मीदवारों में से, जिनमें अस्थायी कर्मचारी या बैंक कर्मचारियों के आश्रित शामिल होते हैं, की जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये भी रिक्त स्थानों का विशिष्ट अनुपात सुरक्षित रखा जाता है। यद्यपि लिपिकों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है तथापि अधिनस्थ कर्मचारियों का चुनाव केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है।

सभी उम्मीदवारों के लिए बैंक द्वारा नियुक्तियों के लिए निर्धारित मुख्य मापदंड इस प्रकार है :

लिपिकों के लिय

(i) उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए अर्थात् मैट्रिक में प्रथम और इंटरमीडियेट में दूसरी श्रेणी या स्नातक ;

(ii) उनकी उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए ; और

(iii) उन्हें बैंक द्वारा ली गयी लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में उपयुक्त समझा जाना चाहिए ; और

चपरासियों के लिए

(i) उम्मीदवारों को मैट्रीक्यूलेट नहीं होना चाहिये ; और

(ii) उनकी उर्म 18 स 25 वर्ष के बीच होनी चाहिये।

अनुसूचित/जातियों।अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में उपयुक्त मानदंडों में ढील दी जा सकती है।

केन्द्रीय सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क विभाग में विशेष वेतन वाले पदों पर नियुक्ति के लिए डिप्टी कलैक्टरों का चयन

6263. **श्री के० सुर्यनारायण : क्या वित्त** मंत्री 23 फरवरी, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत तथा विशेष वेतन वाले पद पर नियुक्ति के लिए जिस पर डिप्टी कलेक्टर को नियुक्त किया गया है, जिसका उत्तर के भाग (ग) में उल्लेख किया गया है; कोई नियम बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सीमा शुल्क तथा उत्पादनशुल्क बोर्ड के कार्यालय अथवा किसी अन्य कार्यालय में विशेष वेतन वाले पदों पर नियुक्ति के लिये डिप्टी कलेक्टरों का चयन किस ढंग से किया गया और क्या ऐसा अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है अथवा अन्य प्रकार ; और

(घ) इस पद के लिये चयन इस समय किस ढंग से किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। इस विशेष वेतन पद को सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के उप-समाहर्ताओं के संवर्ग में शामिल किया गया है। इस पद पर किसी उप-समाहर्त्ता की नियुक्ति, उप-समाहर्त्ता के ग्रेड से पदोन्नति का मामला नहीं है अपितु उसी संवर्ग में एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण मात्र है।

(ग) तथा (घ) बोर्ड के कार्यालय अथवा इसके अधीन अन्य कार्यालयों में विशेष वेतन वाले पदों पर नियुक्त किये जाने के लिये उप-समाहर्ताओं का चयन उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है जिसमें अधिकारी के ज्ञान, अनुभव तथा अभिरुचि आदि का ध्यान रखा जाता है। इस प्रयोजन के लिये, उप-समाहर्ता के ग्रेड के कई अधिकारियों के मामलों पर उनकी वरीयता के आधार पर जो अखिल भारतीय आधार पर होती है, विचार किया जाता है। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित विशेष वेतन वाले पद पर जिस अधिकारी को नियुक्ति किया गया है, उसका चुनाव भी इसी आधार पर किया गया था। बोर्ड के कार्यालय में, विशेष वेतन वाले पदों पर उप-समाहर्ताओं की नियुक्तियां, मन्त्रिमंडल की नियुक्ति समिति की पूर्व-स्वीकृति से की जाती हैं जो केंद्रीय सरकार के सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति संबंधी योजना की शर्तों के अनुसार है।

मदुरे स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टोरेट द्वारा तीसरी पार्टी की वस्तुओं का पकड़ा जाना

6264. **श्री० के० सूर्यनारायण : क्या वित्त** मंत्री 23 फरवरी, 973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 618 के उत्तर तथा पहले के प्रश्न में दिये गये आश्वासन की क्रियान्विति के सम्बन्ध में सभा पटल पर रखे गये विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार खरीददारों द्वारा मूल लाइसेंस धारियों अथवा निर्माताओं को वहां से वस्तुओं के हटाये जाने से पूर्व दिये गये उत्पादनशुल्क को वापस लेने अथवा खरीददार को इसे वापस दिलाने के लिये, जिसका उन्हीं वस्तुओं के लिये दुगुना शुल्क देना पड़ा था, क्या उपचारी कार्यवाही करने का है ;

(ख) खरीददारों द्वारा मूल लाइसेंस-धारियों अथवा निर्माताओं को दिये गये शुल्कों, जिसकी वैध रसीदें उनके पास हैं, की वसूली न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसी वस्तुओं के भण्डार शुल्क की वसूली के क्या कारण हैं, जिन पर उत्पादन शुल्क हटाये जाने के पूर्व ही दे दिया गया था ; और

(घ) भण्डार शुल्कों का भुगतान न किये जाने के कारण रोकी गई वस्तुओं को छोड़ने के बारे में वर्तमान स्थितियां क्या हैं और सरकार का विचार कठिनाई के ऐसे सच्चे मामलों में क्या राहत देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जैसा कि इसी विषय पर इन्हीं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न आश्वासन को पूरा करने में प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र में पहले ही स्पष्ट किया गया है, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग का सम्बन्ध या तो निर्माता द्वारा सरकार के खाते में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी किये जाने से है, अथवा यदि अन्य व्यक्ति को बिक्री के लिए कारखाने से माल की निकासी पूर्व उसके द्वारा शुल्क की अदायगी नहीं की गई है तो उस व्यक्ति द्वारा अदायगी किये जाने से है जिसके पास शुल्क की अदायगी नहीं की गई इस प्रकार का माल पहुंच जाता है। यदि खरीददार, शुल्क के बराबर की रकम मूल्य के भाग के रूप में निर्माता को अदा करता है परन्तु इस रकम के सरकारी खाते में उत्पादनशुल्क के रूप में जमा नहीं किये जाने पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग खरीदा द्वारा अदायगी की गई ऐसी रकम की निर्माता से वसूली करने में अथवा खरीददार को इसकी वापसी सुनिश्चित करने में व्यापारिक लेनदेनों में हस्तक्षेप कर सके। ऐसी स्थिति में, यदि खरीददार असन्तुष्ट महसूस करता हो तो वह विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है।

(ग) शुल्क की अदायगी के बारे में स्थिति भाग (क) और (ख) के उत्तर में ऊपर स्पष्ट की गई है। गोदाम में रखने के किराये के बारे में कानूनी स्थिति यह है कि यह उन वस्तुओं के स्वामी द्वारा देय होता है जो पकड़ी जाती हैं तथा जब्त किये जा सकने के लिये रोक ली जाती हैं। जिस माल पर उचित शुल्क की अदायगी सरकारी खाते में की जा चुकी है तथा जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसके संबंध में, गोदाम में रखने के किराये के वसूली योग्य हो जाने का प्रश्न नहीं उठेगा।

(घ) इस समय ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें, गोदाम में रखने के किराये की अदायगी नहीं किये जाने के कारण माल को रोका गया हो।

मैसर्स हावड़ा काटन टेक्सटाईल मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता के बारे में पंजीकरण प्रमाणपत्र का समाप्त किया जाना

6265 **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2609 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज हावड़ा काटन टैक्सटाईल मिल्स लिमिटड, कलकत्ता के बारे मे पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने का मामला इस समय किस अवस्था में है ; और

(ख) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) तथा (ख) मैसर्ज हावड़ा काटन टैक्सटाईल मिल्स लि० के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के आदेश 16 मार्च, 1973 को जारी किये गये थे।

Purchase of Cotton by C.C.I.

6266. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) Whether the Indian Cotton Corporation has opened some centres in Madhya Pradesh or the purchase of cotton and if so, the number thereof and the names of places where they have been opened ; and

(b) the progress made by these centres so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) & (b) : The Cotton Corporation of India has opened 11 centres in Madhya Pradesh for purchase of cotton during the currenet cotton season 1972-73. Their location and purchases made there upto 24-3-73 are as under :—

Centre	Purchase of Cotton in Bales
Anjad	593
Barwaha	1,050
Burhanpur	123
Dhamnod	887
Khandwa	933
Khargone	611
Pandhurna	1,132
Sanawad	690
Sendhwa . .	228
Ujjain	358
Badanwar	127
	6,732

Cases of Embezzlement in Nationalised Banks in Hoshangabad and East Nimar Districts of Madhya Pradesh

6267. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there were cases of embezzlement in the nationalised banks in Hoshangabad and East Nimar Districts of Madhya Pradesh during the last three years;

(b) the action taken by Government in this regard; and

(c) whether in some cases loans have been written off and if so, the amount of loss suffered by Government as a result thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) : The Punjab National Bank has reported that there have been cases of malpractices and irregularities at its Pipariya Office in Hoshangabad District in the year 1970. One police case and civil suits against several other parties are pending. The Officer Incharge of the branch at the relevant time has been dismissed from the Bank's service and his Provident Fund (Bank's contribution) and gratuity have been with-held by the Bank. The Bank has further reported that a sum of Rs. 1,01,558 has been written off in respect of above cases.

The other 13 nationalised banks have not reported any cases of embezzlement in Hoshangabad and East Nimar Districts of Madhya Pradesh during the last three years.

Setting up of Handloom Designing Centre in Madhya Pradesh

6268. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government of India have decided to set up a Handloom Designing Centre in Madhya Pradesh. ;

(b) if so, the time by which the said Centre would start functioning and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is already a Weavers' Service Centre at Indore in Madhya Pradesh.

Setting up of Weavers' Service Centre in Madhya Pradesh

6269. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any proposal for setting up a Weavers' Service Centre in Madhya Pradesh has been received from the State ; and

(b) if so, the broad outlines thereof and Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George)

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Seizure of Smuggled Gold from a Truck Between Bangalore and Kasrov

6271. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a large quantity of foreign gold was recovered from a truck between Bangalore and Kasrov during December, 1972 ;

(b) the value in Indian currency of the gold so recovered ,

(c) the number of persons arrested in this regard; and

(d) the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) Officers of the Central Excise Mangalore Division effected a seizure on 8th December, 1972 of 93·3 Kg. of gold with foreign markings worth about

Rs. 25 lakhs at Indian market rate. The gold was seized from a lorry at Adyar-Kannur check post near Mangalore when it was on its way from Kasargod to Bangalore.

(c) & (d) Three persons have been arrested in this connection. Further investigations are in progress.

Seizure of Smuggled Goods in Punjab

6272. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value in Indian currency of the smuggled goods seized in Punjab during the last five months ;

(b) the number of persons arrested in this connection ; and

(c) the value of gold so seized ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the table of the House.

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कनिष्ठ अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठ विश्लेषक के पद पर नियुक्ति

6273. **श्री झारखंड राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के द्वितीय श्रेणी के कुछ कनिष्ठ अनुभाग अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) नियमों का उल्लघंन करके 1 जनवरी 1968 में प्रथम श्रणी के विश्लेषकों के पदों पर नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या उनमें से कुछ अधिकारी अब भी उन पदों पर हैं जबकि मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने उनके मंत्रालय को बताया है कि ऐसी नियुक्तियां अनियमित हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

जूतों का निर्यात

6274. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों को वर्षवार कुल कितने जूतों का निर्यात किया गया है ;

(ख) क्या इन वर्षों में विदेशों को बेचे गये जूतों का मूल्य बढ़ा है और यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या जूतों के विक्रय मूल्य में वृद्धि से सप्लायरों और जूता बनाने वालों की आय बढ़ी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस अवधि में सरकारी संस्थानों द्वारा कितने जूते बनाये गये हैं और निजी व्यापार द्वारा कितने जूतों की सप्लाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान चमड़े के जूतों के लिये किये गये निर्यात निम्नांकित प्रकार हैं :

1970–71	9.24 करोड़ रु०
1971–72	8.63 करोड़ रु०
अप्रैल 72–जनवरी, 1973 (अनुमानित)	8.17 करोड़ रु०

(ख) तथा (ग) : चमड़े के जूतों की निर्यात कीमतों में 3 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। तथापि की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण, संभरकों तथा जूते बनाने वालों की आय में उतनी वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ! निर्यातों के लिये सरकारी संस्थानों द्वारा सप्लाई किये गये जूतों की संख्या नगण्य है और अधिकांश सप्लाई गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा की गई थी।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा सीमाशुल्क के समाहर्ता के दिल्ली स्थित कार्यालय में आशुलिपिकों की भर्त्ती

6275. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क के समाहर्ता के दिल्ली स्थित कार्यालय ने केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल कार्मिक विभाग, नई दिल्ली से 30 जुलाई 1972 को इस आशय का कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, तथा सीमा शुल्क के समाहर्ता के दिल्ली स्थित कार्यालय में नामांकन करने के लिये उक्त कार्यालय के पास कोई आशुलिपिक उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो रिक्त स्थानों की संख्या क्या है केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल, नई दिल्ली को यह सूचना किस तिथि को दी गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। संबंधित 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी कक्ष) से 30 जुलाई, 1972 को नहीं अपितु 10 जुलाई 1972 को प्राप्त किया गया था।

(ख) फालतू कर्मचारी कक्ष से 6 रिक्त पद 1-2-1972 को सूचित किये गये थे।

इस्पात के पाइपों व और ट्यूबों का निर्यात

6276. **डा० गोविन्द दास रिंधारिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी इस्तपात की ट्यूबें निर्यात की गई ; और

(ख) अधिकाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करने हेतु इस्पात ट्यूब उद्योग को अपने उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उन्हें क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में इस्पाती पाइपों तथा ट्यूबों का निर्यात निम्नांकित प्रकार रहा है :

	मूल्य लाख रु० में
1969-70	1,127
1970-71	719
1971-72	741
1972-73 (अप्रैल 72 से जनवरी 73)	675

(स्रोत : इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्)

(ख) निर्यात उत्पादन को बढ़ाने के लिये इस्पात ट्यूब उद्योग को दी गई सुविधाओं में ये शामिल हैं : देशी स्रोतों तथा मार्गीकृत अभिकरणों के माध्यम से आयोजित बल्कि आयातों से मुख्य कच्चे माल अर्थात् एच० आर० स्ट्रिप्स तथा स्केल्प की व्यवस्था, शुल्कों की वापसी, इस्पात की पूर्तियां अवकलन की वापसी, रेल भाड़े में रियायत आदि।

बिजली के घरेलू सामान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना

6277. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रीकल एप्लाएंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेसन, मल्का गंज दिल्ली ने बिजली के सामान पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में उन्हें एक ज्ञापन दिया है।

(ख) क्या 1969-70 में घरेलू बिजली के सामान पर प्रथन बार 10 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो यह शुल्क लगाने के फलस्वरूप वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में कितने राजस्व की अपेक्षा की गई थी और इनमें प्रत्येक वर्ष इससे वास्तव में कितना राजस्व प्राप्त हुआ ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) सूचना नीचे दिये अनुसार है :

वर्ष	अनुमानित राजस्व की रकम (लाख रुपयों में)	वास्तविक वसूली की रकम (लाख रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
1970–71	25	33
1971–72	40	49
1972–73	50	45*

*अप्रैल, 72 से जनवरी, 73 तक के 10 महीनों से संबंधित आंकड़े

सरकारी कर्मचारियों द्वारा किराये की रसीद प्रस्तुत करना

6278. **श्री अम्बेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा दिये गये मकान किराये पर आय-कर में छूट प्राप्त करने के लिये मकान किराये की रसीद पेश करनी होती है ;

(ख) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे सरकारी कर्मचारी को आयकर में छूट प्राप्त करने के लिये मकान किराये की रसीद उससे नहीं मांगी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर अधिनियम के अधीन मकान किराये भत्ते पर किसी छूट कि इजाजत नहीं है। इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ख) तथा (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

चाय बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन ज्ञापन

6279. **श्री बी० पी० साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाय बोर्ड कर्मचारी एसोसियेशन, नई दिल्ली, से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) चाय बोर्ड कर्मचारी एसोसिएशन, नई दिल्ली की मांगें इस प्रकार हैं :

(1) मकान किराया भत्ता बढ़ाकर 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत करना ;

(2) बोनस देना ;

(3) अटेंडरों की पदोन्नति ;

(4) स्टाफ क्वाटरों की व्यवस्था ;

(5) डिमान्सट्रेटरों, सब-इन्सपेक्टरों, हैड-क्लर्कों, एकाउन्टेन्ट आदि के खाली पद भरना ;

(6) आन्तरिक युक्तिसंगत स्थानान्तरण नीति का क्रियान्वियन ;

(7) क्षेत्रीय कार्यालय में स्टाफ के लिये स्वास्थ्यप्रद आवास स्थान ;

(8) एसोसिएशन के कार्यालय में पुन : बिजली लगाना ;

(9) श्रमिक विरोधी नीति, कर्मचारियों को सताना तथा पक्षपात आदि को पूरी तरह रोकना ;

(10) विशेष अधिकारी को हटाना ; और

(11) चाय के डिबों के वितरण तथा सभी हैड्म आदि पर हुए व्यय के सम्बन्ध में खुली जांच।

(ग) एसोसिएशन द्वारा की गई मांगों पर विचार किया जा रहा है।

सूती कपड़ा उद्योग द्वारा स्वेच्छा से निर्यात

6280. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के सूती कपड़ा उद्योग ने स्वेच्छा से यह दायित्व अपने ऊपर ले लिया है कि वह 1973 में अपने उत्पादन का 15 प्रतिशत भाग निर्यात करेगा ;

(ख) सूती कपड़ा उद्योग के बारे में सरकार द्वारा निश्चित निर्यात लक्ष्य इस दायित्व से कहां तक पूरे होंगें ; और

(ग) सरकार अपने कार्यक्रम और नीति के अनुसार उत्पादन के दृढ़ विनियमन के लिये क्या कदम उठा रही है ताकि मिलों द्वारा ऐसा कोई उत्पादन न हो जिसकी घोषणा न हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) संकेत है कि धागे को छोड़कर, जिसके उत्पादन में बिजली की कमी के कारण क्षति पहुंच चुकी है, सभी निर्यात लक्ष्य पूरे कर लिये जायेंगे।

(ग) सरकार अलग अलग मिलों की उत्पादन पद्धति का विनियमन नहीं कर रही है। जहां तक मिलों द्वारा अघोषित उत्पादन किये जाने का सम्बन्ध है, इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वस्त्र माल पर उत्पादन शुल्क लगता है और उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा उस सभी माल का लेखा–जोखा रखा जाता है जो मिल परिसर से बाहर जाता है। सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अन्तर्गत धागे, कपड़े तथा परिष्कृत फैब्रिक्स के सभी विनिर्माताओं के लिये कानूनी तौर पर यह अपेक्षित है कि वे प्रति मास अपने उत्पादन के पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत करें।

दूर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को भारतीय चाय का निर्यात

6281. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को भारतीय चाय के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) कमी होने के क्या कारण हैं और

(घ) सरकार का विचार इन मण्डियों में अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिये क्या उपाय करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) मुक्त मुद्रा क्षेत्रों को चाय के निर्यातों में गत तीन वर्षों के दौरान कमी होती रही है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(हजार कि०ग्रा० में)

देश	1970	1971	1972
ब्रिटेन	96,619	70,234	57,213
आयरलेंड	4,841	5,649	5,957
पश्चिम जर्मनी	3,255	3,535	5,168
सं रा० अमरीका	7,116	9,046	7,070
कनाडा	3,280	3,845	2,883
आस्ट्रेलिया	3,688	3,062	3,150
न्यूजीलैंड	285	313	337
अन्य मुक्त–मुद्रा देश	12,833	16,688	26,509
योग मुक्त मुद्रा	131,917	112,372	108,287

(ग) मुक्त मुद्रा क्षेत्रों को निर्यातों में कमी होने के कुछ कारण ये हैं (1) द्विपक्षीय व्यापार देशों द्वारा भारतीय नीलामियों में खरीदारी का जोर, (2) बढ़ते हुए घरेलू बाजार का दबाव, (3) अन्य उत्पादक देशों, विशेषत: श्रीलंका, अफ्रीकी देशों अर्जनटीना तथा इन्डोनेशिया, जो कि अपेक्षाकृत कम कीमतों पर चाय दे सकते हैं, के साथ बढ़ती हुई प्रतियोगिता।

(घ) मुक्त मुद्रा क्षेत्र को चाय व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

(1) 1 मार्च, 1970 से चाय पर निर्यात शुल्क की समाप्ति ;

(2) 15 अप्रैल 1970 से निर्यात के समय उत्पादन शुल्क में कीमत के अनुसार रिबेट ;

(3) विभिन्न परम्परागत तथा नये बाजारों को भारतीय चाय के निर्यात की अपेक्षाकृत अधिक सम्भाव्यता पैदा करने के लिये लन्दन, न्यूयार्क, ब्रुसेल्स, तथा सिडनी में स्थापित चाय बोर्ड के कार्यालयों द्वारा संवधनात्मक कार्यकलाप ;

(4) स्थानीय ब्लैडरों/पैकरों के सहयोग से, चुने हुए विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के विशेष पैकों का संवर्धन ;

(5) विदेशों में प्रचार के उपयुक्त माध्यमों से विज्ञापन ;

(6) व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

(7) चाय के हित सबंर्धन के लिये व्यापारियों तथा विशेषज्ञों के दौरों का आदान-प्रदान ;

(8) पैकिट बन्द तथा ब्लैंडेड चाय के निर्यात हेतु सरकारी क्षेत्र में एक चाय व्यापार निगम की स्थापना ; और

(9) अन्य हल्के पेयों के मुकाबले में चाय की खपत को बढ़ाने के लिये आयातक देशों के स्थानीय चाय व्यापारी वर्ग और अन्य चाय उत्पादक देशों के साथ मिलकर सामान्य संवर्धन में भाग लेना।

त्रिपुरा में ग्राम उद्योगों का विकास

6282. **श्री दशरथ देब** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में ग्राम उद्योग के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन से उद्योगों का विकास किया जायेगा ?

वणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला कि हथकरघा, वनों पर आधारित ग्रामोद्योग, अनाज तथा दालों का साधित करना, घानी का तेल, चमड़ा, चीनी मिट्टी के बर्तन, माचिसों का कुटीर उद्योग, गुड़ तथा खांडसारी तथा हाथ से कागज बनाने के उद्योगों के विकास करने की गुंजाइश है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 1963-64 से विभागीय गतिविधियां आयोजित कीं। आजकल खादी का काम तीन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। 170 संशोधित तेल घानियां स्थापित की गई। 3,255 शहद के छत्ते 747 गांवों में बांटे गये। चीनी के बर्तन बनाने वाली सात ग्राम सहकारी समितियां तथा दो फाइबर एकक काम कर रहे हैं। कारीगरों की कुल 54 सहकारी समितियां संगठित की गई। खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये वार्षिक विकास कार्यक्रम त्रिपुरा राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा सीधे सहायता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से बनाये जाते हैं तथा कार्यान्वित किये जाते हैं।

Bringing down the Ratio between Minimum and Maximum Salary to 1 : 10.

6283. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government propose to take steps to bring down the ratio between minimum and maximum salary to 1:10 ;

(b) if so, the time by which steps in this direction are likely to be taken; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The recommendations of the Third Pay Commission regarding revised salary structure including the minimum and maximum salary proposed by the Commission for Central Government employees have only recently been received and these are under examination. The exact position regarding the disparity ratios emerging from these recommendations can be gauged after the Government have taken decisions on the various recommendations.

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जापानी सहायता

6284. **श्री के० मालन्ना :**
श्री धनशाह प्रधान : } क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ औद्योगिक परियोजनाओं के विकास के लिये जापान से विशेष सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां तो वे औद्योगिक परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) और (ख) सरकार उर्वरकों और इस्पात के अतिरिक्त उत्पादन के लिए जापान से सहायता प्राप्त करने की संभावना की जांच कर रही है ।

कृषि और पशुपालन में सुधार के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दी गई राशि

6285. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि और पशुपालन में सुधार के लिए कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी, और

(ख) कितने भूमिहीन और छोटे भूस्वामियों को इससे लाभ मिला ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कृषि सुधार और पशुपालन के लिए दिये जाने वाले बैंक अग्रिमों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते । जून 1972 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कृषि अग्रिम की रकम 379.96 करोड़ रुपये थी ।

(ख) दिसम्बर 1971 के अन्त तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5 एकड़ तक की भूमि वाले भूमि धारकों के ऋण खातों की संख्या जिन्हें सरकारी क्षेत्र के बैंकों से धन मिला 4,21,274 थी । इसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों का ऋण शामिल नहीं हैं जो उन्हें दूध देने वाले पशुओं मुर्गियों की खरीद आदि के लिए दिया गया है ।

सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में चाय कम्पनी की स्थापना

6286. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक चाय कंपनी बनाई है; और

(ख) यदि हां तो उस कम्पनी के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य कौन-कौन हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । सरकार ने सरकारी क्षेत्र में भारतीय चाय व्यापार निगम लि० की स्थापना की है ।

(ख) चाय बोर्ड के अध्यक्ष श्री बी० आर० वोहरा इस निगम के अंशकालिक अध्यक्ष हैं तथा श्री डी०के० नाग इसके प्रबन्ध निदेशक हैं । अब तक नियुक्त किये गये अन्य निदेशक इस प्रकार हैं :

(1) श्री वी० वी० पारेख प्रबन्ध निदेशक
आवास तथा नगरीय विकास निगम नई दिल्ली ।

(2) श्री एम० एन० मिश्र निदेशक
राज्य व्यापार निगम नई दिल्ली ।

(3) श्री एल० एन० सकलानी
निदेशक वाणिज्य मंत्रालय नई दिल्ली ।

असम में विभिन्न हवाई अड्डों पर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या

6287. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि : असम में विभिन्न हवाई अड्डों पर श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4739/73)

वर्ष 1972 में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कलकत्ता से असम, मनीपुर त्रिपुरा और वहां से वापिस कलकत्ता के लिए चलाई गई विमान सेवाएं

6288. **श्री रोबिन ककोटी : क्या पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में कलकत्ता से असम मनीपुर त्रिपुरा और वहां से वापस कलकत्ता के लिये इण्डियन एयरलाइन्स ने कुल कितनी विमान सेवाएं चलाई ;

(ख) उनमें कितनी उड़ाने विलम्ब से की गई या रद्द की गई और क्यों ; और

(ग) इन सेवाओं में सुधार के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कलैण्डर वर्ष 1972 के लिये अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि अक्तूबर से दिसम्बर 1972 तक की अवधि के दौरान कलकत्ता से असम, मणिपुर तथा त्रिपुरा सेक्टरों के लिये तथा वापिस परिचालित की गयी उड़ानों की कुल संख्या 3,735 थी।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न कारणों से 30 मिनट से अधिक की देरी से हुई उड़ानों (रद्द की गयी उड़ानों सहित) की संख्या नीचे दी गयी है :

क्रम सं०	कारण	देरी से की गयी उड़ानों की कुल संख्या	रद्द की गयी उड़ानों की कुल संख्या
1	इंजीनियरी	34	4
2	वाणिज्यिक (यातायात खान-पान तथा सुरक्षा जांचे)	8	—
3	परिचालन	24	—
4	परिवहन	2	—
5	मौसम	112	11
6	परिणामी	600	60
7	विविध	19	51
8	विमान यातायात नियंत्रण	2	—
	कुल	801	126

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स अपनी सेवाओं के समय पालन में सुधार करने के लिये निरन्तर उपाय कर रही है। प्रत्येक देरी के कारणों की जांच की जाती है तथा उन्हें जहां कहीं संभव होता है उपचारी उपाय किये जाते ।

विश्व मण्डी में भारत के बारदाने का हिस्सा

6289. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता जूट फैब्रिक्स शिपर्स एसोसिएशन ने सरकार को सूचित किया है कि यदि तुरन्त उपचारात्मक उपाय नहीं किए गये तो विश्व मण्डी में भारत के बारदानों का हिस्सा काफी कम हो जाएगा और यह उद्योग जो 250 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता था विश्व मण्डी से अपना स्थान गवां बैठेगा ; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हाल के पत्र-व्यवहार में कलकत्ता जूट फैब्रिक्स शिप्पर्स एसोशिएशन ने भारतीय पटसन निर्मित माल को हमारे प्रतियोगिओं से प्रतियोगिता करने में समर्थ बनाने तथा संश्लिष्टों के अतिक्रमण को रोकने के लिए पटसन के बने माल पर निर्यात शुल्क समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है ।

(ख) सरकार ने एसोसिएशन का सुझाव नोट कर लिया है । निर्यातों के क्रम तथा निर्यात शुल्क के प्रभाव का निरन्तर पुर्नविलोकन किया जाता रहता है ।

विदेशी सहायता और विदेशी मुद्रा की निधि में कमी आना

6290. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972–73 के दौरान विदेशी सहायता में भारी कमी हुई है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा की निधि में भी तेजी से कमी हुई है ;

(ग) यदि हां तो गत तीन वर्षों में विदेशी सहायता और विदेशी मुद्रा की निधि में हुई कमी के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(घ) हमारी अर्थ व्यवस्था और योजना क्रियान्वयन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्या इसमें और अधिक घाटे की अर्थ व्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा ;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) विदेशी सहायता के लिये 1972–73 में इससे पहले के दो वर्षों की तुलना में कम वचन दिये गये ।

(ख) हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशियों में 1971–72 के मुकाबले मामूली सी कमी हुई है यद्यपि 1970–71 की स्थिति के मुकाबले हमारी स्थिति अच्छी है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में विदेशी सहायता के लिए दिये गये वचनों तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशियों की सही स्थिति इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	वचन बद्ध सहायता की राशि	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशि
1970–71	761.9	723.8
1971–72	929.2	848.7
1972–73	670.9	815.8 (अनन्तिम)

(घ) सरकार इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयत्न करती है कि आयोजना के क्रियान्वयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और घाटे की वित्त व्यवस्था का अधिक सहारा न लिया जाये ।

असम कोआपरेटिव जूट मिल सिलघाट

6291. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगांव जिले में सिलघाट स्थित आसाम कोआपरेटिव जूट मिल को गंभीर वित्तीय संकट का सामना है और वह बन्द होने वाली है ; और

(ख) यदि हां तो इस संकट को दूर करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आसाम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सिलघाट में कोआपरेटिव जूट मिल संभरण तथा निपटान महानिदेशालय को टाटों की सप्लाई करने का अपना दायित्व पूरा करने में कठिनाईयां अनुभव कर रही है । मिल के बन्द होने का कोई खतरा नहीं है ।

(ख) इस संबंध में कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी गई है ।

Talks between Vice-President of World Bank and Chief Minister of U.P.

6292. **Shri Krishna Chandra Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government are aware of the talks held between the Vice-President of the World Bank and the Chief Minister and Finance Minister of Uttar Pradesh during the first week of February, 1973; and

(b) if so, a gist of the talks and the outcome thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) : The discussions which were of a general nature covered the development of Uttar Pradesh and also included the two projects in the State for which World Bank group assistance has been sought.

असम के सीमान्त क्षेत्रों में तस्कर व्यापारी

6293. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में सीमान्त क्षेत्रों में तस्करी करने वाले व्यक्ति बहुत सक्रिय हैं ;

(ख) वहां 1972 में तथा जनवरी 1973 तक कितने तस्कर व्यापारियों को गिरफ्तार अथवा नजर-बन्द किया गया है ; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) असम के सीमावर्ती इलाकों में तस्कर-व्यापारियों की कुछ गतिविधि नोटिस में आयी है ।

(ख) असम के सीमावर्ती इलाकों में तस्कर-व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1972 में 311 तथा जनवरी 1973 में 35 थी ।

(ग) इन सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्कर-व्यापार को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :

(i) सूचना को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का सन्देह हो, उन पर निगरानी रखना तथा स्थल-सीमाओं पर सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों की जांच करना। इसके अतिरिक्त इस सीमा पर तैनात सीमा-सुरक्षा दल तथा राज्य पुलिस भी तस्कर–व्यापार को रोकने में सहायता करती है ।

(ii) इस बात का इतमीनान करने के लिए कि सूचना के पारस्परिक आदान-प्रदान में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सीमासुरक्षा दल तथा राज्य सरकार की पुलिस जैसी प्रवर्त्तन एजेंशियों के बीच प्रायः बैठकें आयोजित करना, तथा

(iii) तस्कर-व्यापार विरोधी कार्य में लगे अधिकारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देना ।

अशोक लेलैन्ड को आयात निर्यात लाइसेंस जारी करना

6294. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-1971 और 1972 में "अशोक लेलैंड" मोटर गाड़ी निर्माण कम्पनी फिएट और हिन्दुस्तान मोटर्स को निर्यात और आयात के कितने लाइसेंस जारी किए गये ; और

(ख) क्या उक्त सब लाइसेंसों का उचित प्रयोग किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किये गये सभी आयात-निर्यात लाइसेंसों का व्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिस इम्पोर्ट लाइसेंसिस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस" में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में भेजी जाती हैं।

(ख) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत जिन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उनक नाम और लाइसेंसों के अनुचित उपयोग आदि, यदि कोई हों, के लिए इसके अधीन जारी किये गये आदेश भी उपरोक्त प्रकाशन में प्रकाशित किये जाते हैं।

श्री ए० के० मिश्र द्वारा आरम्भ किये गये फिल्म वितरण के कारोबार की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

6295. **श्री मधु दंडवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 29 अक्तूबर, 1972 के दिल्ली के हिन्दी साप्ताहिक "प्रतिपक्ष" में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जो राजधानी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री ए० के० मिश्र द्वारा आरम्भ किये गये फिल्म वितरण के कारोबार की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छानबीन के बारे में है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार श्री ए० के० मिश्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री ए० के० मिश्र के विरुद्ध कोई जांच नहीं की।

दिल्ली में युवकों द्वारा डिसकोथेज में चरस तथा पाट का उपयोग

6296. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के डिसकोथेज युवा पीढ़ी द्वारा चरस तथा पाट के उपयोग के अड्डे बन गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन डिसकोथेज में युवकों को हानिकारक औषध तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) पुलिस तथा स्थानीय आबकारी अधिकारी दिल्ली में डिसकोथेज की गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं जिससे उनके परिसरों में कोई हानिकर द्रव्य तथा नारकोटिक्स अथवा अन्य निषिद्ध नशीली वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सके। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये डिस्कोथेज युवा पीढ़ी द्वारा चरस तथा पाट के उपयोग के अड्डे बन गये हैं।

एशिया मेले में चाय बोर्ड के स्टाल का निर्माण

6297. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल में हुए एशिया मेले में चाय बोर्ड के स्टाल का निर्माण करने के लिये आर्किटेक्ट तथा ठेकेदार को कुल कितनी राशि अदा की गयी थी ;

(ख) आर्किटेक्ट के दार्जलिंग तथा अन्य क्षेत्रों के दौरों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) क्या बोर्ड ने सरकार के प्रदर्शनी निदेशालय के आर्किटेक्ट की तालिका पर विचार नहीं किया वरन ऐसे आर्किटेक्ट की नियुक्ति की जो नई दिल्ली में बोर्ड के एक वरिष्ट अधिकारी के मकान के निर्माण से सम्बन्ध रखता था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उममंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एशियाई मेले में चाय बोर्ड के मंडल के निर्माण के लिए 1,84,320 रु० की राशि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अस्थायी रुप से, अन्तिम समायोजन की शर्त पर, दी गई थी। आन्तरिक डिजाइन तथा सजावट के लिए आर्किटेक्ट को 8,000 रु० का तदर्थ भुगतान किया गया।

(ख) आर्किटेक्ट ने दार्जीलिंग तथा अन्य क्षेत्रों का कोई दौरा नहीं किया।

(ग) बोर्ड के मंडप के आन्तरिक डिजाइन के लिए आर्किटेक्ट की नियुक्ति एशियाई मेला प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई अनुमोदित आर्किटेक्टों तथा आन्तरिक डिजाईनरों की सूची में से की गई थी।

चाय बोर्ड के अध्यक्ष के मुख्य कार्यालय को दिल्ली स्थानान्तरित करना

6298. **श्री आर० एन० बर्मन**
श्री बी० के० दासचौधरी } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के अध्यक्ष के मुख्य कार्यालय को दिल्ली स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो 1971–72 और 1972–73 के दौरान वे नई दिल्ली में कितने दिन सरकारी काम पर रहे और दिल्ली में सरकारी काम के लिये उन्हें कितनी राशि का हवाई जहाज का किराया तथा दैनिक भत्ता दिया गया था ; और

(ग) क्या दिल्ली में मकान बनाने के लिये उन्हें कोई मकान बानने सम्बन्धी ऋण दिया गया था और यादि हां तो क्या उन्होंने अपने मकान को बनाने के लिये अर्जित अवकाश लिया था अथवा मकान बनाने की अवाधि में उन्हें दिल्ली कार्यालय में उपस्थित रहने की अनुमति दी गयी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

	1971–72	1972–73 (फरवरी, 73 तक)
(ख) नई दिल्ली में ड्यूटी पर बिताये गये दिनों की संख्या	77	95––112
हवाई जहाज का किराया	12203.10 रु०	17846.50 रु०
दैनिक भत्ता	1809.50 रु०	2244.25 रु०

(ग) अध्यक्ष, चाय बोर्ड को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भवन निर्माण ऋण दिया गया था। उन्होंने गत दो वर्षों में कोई छुट्टी नहीं ली।

चाय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अपनी मोटर कार बेचने के लिये पूर्व अनुमति लिया जाना

6299. **श्री आर० एन० बर्मन**
श्री बी० के० दास चौधरी } : **क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के अध्यक्ष ने अपनी मरसीड्ज मोटर कार को किसी चाय फार्म को बेचने के लिये पूर्व अनुमति ली थी और, यदि हां, तो उन्होंने कितना मूल्य प्राप्त किया ;

(ख) विक्रय की तिथि मूल-क्रय की तिथि तथा मूल्य क्या थी और गाड़ी कुल कितने मील तक चली थी ; और

(ग) क्या अपनी मरसीइज कार बेचने के बाद उन्होंने कोई कार एडवान्स लिया है ?

वाणिज्य मत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, । प्राप्त किया गया मूल्य 44,000 रु० था।

(ख) कार 4–1–71 को बेची गई।

कार जमर्नी में अक्तबर, 1961 में लगभग 10,000 रु० में खरीदी गई थी। 1965 में भारत में आयात करने पर सामान्य भाड़ा तथा बीमे के अलावा शुल्क के रुप में लगभग 11,000 रु० का भुगतान किया गया था। जिस तारीख को कार बेची गई थी, तब तक वह केवल 47,000 किलोमीटर चली थी।

(ग) जी नहीं।

पश्चिम बंगाल की विद्युत चालित करघा सहकारी समितियों को केन्द्रीय सहायता

6300. **श्री ज्योतिर्मय बसू :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल की विद्युत चालित करघा सहकारी समितियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी राशि की सहायता दी थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : पश्चिम बंगाल में शक्तिचालित करघा उद्योग का विकास करना प्रमुखतः राज्य सरकार का विषय है। राज्य को केन्द्रीय सहायता उसकी वार्षिक योजना स्कीम के लिए दी जाती है ; शक्तिचालित करघे ग्रामीण तथा लघु उद्योगों में शामिल किये जाते हैं जिनके लिए व्यवस्था राज्य की वार्षिक योजना में की जाती है। यह सहायता राज्य की सम्पूर्ण योजना के लिए ब्लाक ऋण तथा अनुदानों के रुप में प्रदान की जाती है और यह किसी विशिष्ट योजना या कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। गत तीन वर्षों में ब्लाक सहायता के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष रुप से शक्तिचालित करघा सहकारी समितियों के विकास के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है ।

आयकर विभाग तथा राष्ट्रीयकृत बैंक को इमारतों के लिए बम्बई नगर निगम द्वारा "नो आबजेक्शन सर्टिफिकेट" जारी करना

6301. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आयकर विभाग तथा कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों नें बम्बई में, कुछ ऐसे नव निर्मित भवनों पर कब्जा किया जिनमें निर्माण संबंधी अनियमितताएं थीं ;

(ख) क्या बम्बई नगर निगम ने शुरु में ही इन भवनों के बारे में 'नो ओबजेक्शन सर्टिफिकेट' जारी करने से इनकार कर दिया था लेकिन बाद में संबंधित पक्षों ने इसे 'नो ओबजेक्शन सार्टिफिकेट' जारी करने के लिए मनाया था; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : आयकर विभाग के संबंध में स्थिति यह है कि विभाग ने तारदेव, बम्बई में एक नया भवन किराये पर लिया था। बम्बई नगर ने निर्माण संबंधी अनियमितताओं के संबंध में कोई संकेत नहीं किया और विभाग नें भी ऐसी किन्हीं अनियमितताओं के नियमन के लिए निगम से संपर्क स्थापित नहीं किया था। परंतु इस मकान के वाणिज्यिक स्थान के रुप में प्रयोग को लेकर मकान मालिक निगम के साथ कुछ कठिनाई अनुभव कर रहा था और आयकर विभाग को उचित दरों पर अतिरिक्त आवास की बहुत जरुरी तौर से आवश्यकता थी। इसलिए आयकर विभाग ने मकान में जल्दी से दफ्तर खोलने की मंजूरी देने के लिए निगम आयुक्त को लिखा। नगर निगम द्वारा वास (Occupation)प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही मकान का बब्जा लिया गया।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किराये पर लिये गये मकानों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

बिहार के घनकनाल जिले के बाढ़ पीड़ित लोगों का पुनर्वास

6302. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 1972 में बिहार घेनकनाल जिले के 15 ब्लोकों में बाढ़ से जो 4 लाख लोग प्रभावित हुए थे उन्हें क्या पूर्णत : फिर से बसाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) 1972-73 के अन्त से पहले राहत कार्य पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सहायता कार्यक्रम बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य के लिए किये जाने वाले सहायता तथा पुनर्वास उपायों के लिए वित्तीय सहायता देती है। तूफान, सूखे और बाढ़ों के कारण 1972-73 में किये गये विभिन्न सहायता उपायों के खर्च के लिए राज्य सरकार को 9.42 लाख रुपये की राशि दी गई।

Assistance to brought Affected areas in Allahabad

6303. **Shri Shiv Kumar Shastry** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have provided assistance to the tune of Rs. 2 crores to the drought affected Tehsils of Karchhana and Bheja in Allahabad under the programme of providing relief to the drought affected areas and an assurance has been given to provide an equal amount in the next Five Year Plan ; and

(b) if so, the purpose for which this amount would be spent in these Tehsils ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Central assistance is provided towards expenditure in the State as a whole and not with reference to expenditure in particular areas. Selection of areas is the responsibility of the State Government. During 1972-73, and amount of Rs. 5·65 crores has been provided to the State Government as Central assistance for various flood and drought relief measures.

यूरोप से औद्योगिक संयंत्रों की खरीद

6304. **श्री नरेन्द्र कुमार सौन्घी : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप के कुछ औद्योगिक संगठनों ने अपने समूचे संयंत्रों को बेचने की पेशकश की है क्योंकि बढ़ती हुई श्रम लागत के कारण उनके उत्पादों में लाभ कम हो रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिन्हें सरकार ने अन्तिम रुप दे दिया है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4740 73)

कृत्रिम रेशमी वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

6305. **श्री राम भगत पासवान : क्या वाणिज्यप** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशमी वस्त्र उद्योग ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने सर्कुलर बुनाई मशीनों के आयात की अनुमति न देकर उनकी आधुनिकीरण की योजना हठात ठप्प कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो आयात की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : कुछ समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि कृत्रिम रेशम क्षेत्र में सरकुलर निटिंग मशीनों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, यह सही नहीं है। इन मशीनों के आयात के आवेदनों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार इसके आयात की अनुमति दी जाती है।

बिहार राज्य में सुखे की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये केन्द्रीय अध्ययन दल

6306. **श्री भागीरथ भंवर : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार राज्य में भयंकर सूखे की स्थिति तथा वहां की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये कोई केन्द्रीय दल बिहार भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 1972–73 के दौरान दो केन्द्रीय दलों ने राज्य का दौरा किया। पहले केन्द्रीय दल ने 3. 2 करोड़ रुपये की कुल सीमा की सिफारिश की थी। दूसरे केन्द्रीय दल ने इस सीमा को बढ़ा दिया और इसकी रिर्पोर्ट के आधार पर जो सीमा निर्धारित की गयी वह इस प्रकार है :

	(करोड़ रुपयों में)
सहायता की मदें	11.90
ऋण की मदें	1.50
जोड़	13.40

व्यय की प्रगति के आधार पर सीमा राशि में से राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं।

भूतपुर्व नरेशों के विदेशी बैंकों में खाते

6307. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :**
श्री बरके जार्ज : } क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषाधिकारों की समाप्ति से प्रमाणित किसी भूतपूर्व नरेश का निजी थैलियों की समाप्ति के समय विदेशी बैंकों में खाता था; और

(ख) यदि हां, तो इन भूतपूर्व नरेशों के नाम क्या हैं और सम्बन्धित बैंकों में इनकी कितनी धनराशि जमा थी ?

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 4741/73)

पाकिस्तान से विभाजन से पूर्व के ऋण की बकाया राशि की वसूली

6308. **श्री भरत सिंह चौहान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से विभाजन से पूर्व की 300 करोड़ रुपए के ऋण की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या इस राशि पर व्याज लिया जाता है और यदि हां, तो इस पर कितना व्याज बना ; और

(ग) क्या पाकिस्तान इस पर व्याज देने के लिए सहमत हो गया है और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चौहान) : (क) से (ग) दिसम्बर 1947 में हुए विभाजन सम्बन्धी प्रबन्धों के अन्तर्गत पाकिस्तान के विभाजन–पूर्व ऋण की रकम 15 अगस्त 1952 से शुरू करके मूलधन और व्याज की बराबर-बराबर की 50 वार्षिक किस्तों में चुकायी जानी थी। विभिन्न अवसरों पर किये गये प्रयत्नों के बावजूद, पाकिस्तान द्वारा देय ऋण की रकम के बारे में अभी तक किसी सम्मत निर्णय पर नही पहुंचा जा सका है और न ही पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में कोई रकम अदा की है ।

भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा विदेश स्थित भारतीयों को नीतियां स्पष्ट करना

6309. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निवेश केन्द्र की विदेश स्थित शाखायें भारतीयों को अपनी नीतियां स्पष्ट कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुविधाऐं दिये जाने की आशा है और निवेश केन्द्र ने स्वीकृति के लिये भारत सरकार को कितने मामले भेजे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) आयात नीति के अन्तर्गत विदेशों से वापस आने वाले/वहां रहने वाले उन भारतीयों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है जो भारत में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं । इस स्कीम के व्यौरे 1973–74 हेतु आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैडबुक वी०–1) में दिये गए हैं । भारतीय निवेश केन्द्र के माध्यम से अब तक 17 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा करों की अदायगी

6310. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा दिये गये भारतीय करों का व्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कोई कर बकाया है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक के एक भूतपूर्व अधिकारी से ऐसे पत्र प्राप्त किये हैं जिन में आरोप लगाये गये हैं कि बैंक ने कर अपवंचन किया है और यदि हां, तो ये आरोप किस प्रकार के हैं ; और

(घ) इन आरोपों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) गत तीन वर्षो के दौरान नैशनल और ग्रिण्डलेज बैंक द्वारा अदा किए गए आय-कर का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष	नियमित कर	अग्रिम कर	धारा 140ए के अधीन	योग
1969–70	2,53,000	37,57,000	3,99,000	44,09,000
1970–71	7,26,000	22,19,000	कुछ नहीं	29,45,000
1971–72	7,36,000	1,64,62000	3,36,000	1,75,34,000

(ख) 23 मार्च, 1973 को आयकर की कोई बकाया नहीं थी।

(ग) जी, हां। मंत्रालय को बैंक के भूत पूर्व अधिकारी से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें बैंक के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं। बैंक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में से कुछ निम्नानुसार हैं :–

(क) बैंक के चोटी के अधिकारियों को उपलब्ध अनुलाभों का अनुचित मूल्यांकन ।

(ख) बैंक की इमारतों/अन्य परिसम्पतियों के बारे में मूल्य–ह्रास के अनुचित दावे।

(ग) ब्रिटेन में बसे बैंक के पेंशनयाफ्ता लोगों द्वारा आय-कर का अपवंचन।

(घ) आदिवासियों को अदा किए जाने वाले ब्याज से स्रोत पर कर का न काटना।

(ङ) कुछ खर्चों के अनुचित दावे।

(घ) इन आरोपों तथा अन्य आरोपों के बारे में जांच-पड़ताल चल रही है।

वर्तमान बजट के घाटे में वृद्धि

6311. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च 1973 को वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों को बताया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से वर्तमान बजट का 85 करोड़ रुपए का घाटा 200 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे यह कहने के लिए अधिकृत किया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार को लगभग 115 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय करना पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के अग्रिम अनुमान के क्या आधार हैं ;

(घ) क्या वेतन आयोग की वित्त संबंधी वचनबद्धता के बारे में इस प्रकार की अग्रिम टिप्पणी आयोग के निर्णय को प्रभावित करने का अप्रत्यक्ष प्रयत्न नहीं है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकारी प्रवक्ता द्वारा इस प्रकार की अग्रिम टिप्पणी करने का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) से (ङ) यह प्रश्न स्पष्टत: वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा 1 मार्च 1973 को पत्रकारों को दी गयी सूचना के बारे में है वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से यह पूछे जाने पर कि क्या तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से बजट के घाटे में वृद्धि होगी तो बताया गया था कि घाटे का बजट संभवत: 200 करोड़ तक जा सकता है। वेतन आयोग जैसी उच्चाधिकार प्राप्त निकाय के मामले में यह संभावना तो हो नहीं सकती कि वह वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दिये गये इस प्रकार के किसी वक्तव्य से प्रभावित हो।

Bungling in General Insurance company Patna

6312. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news items published in the issues of 'Patna Times' dated the 31st December, 1972

and 18th February, 1973 under captions "Grave Bungling in General Insurance Company, (Patna Office)" (General Insurance Company mein Bhayanker Ghotala) and "Bungling in General Insurance Society (Patna Office)" (General Insurance Society mein Golmal) respectively; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Shushila Rohatgi) (a) Yes, sir.

(b) The allegations were :

(i) Representatives of capitalists continue to be Custodians of the Insurance Companies and a lot of corruption is going on in their patronage.

(ii) False or inflated motor insurance claims are being paid.

(iii) The Branch Manager at the Patna Branch of a general insurance company has appointed his relatives in key posts to cover the irregularities committed in the Branch. The Accountant of that Branch is a nephew of the Branch Manager and he has opened two accounts with the Punjab National Bank. If these accounts are examined, sensational truths would come to light.

(iv) A person working as a peon of an insurance company was appointed as the Superintendent and later as Inspector. The Branch Manager procures business in the name of another Inspector.

(v) A person working in the Collectorate is also working as an Inspector in an insurance company.

As the above allegations are not specific no action could be taken. If any specific allegations are received Government would look into them.

दक्षिणी अमरिका को भेजा जाने वाला चाय प्रतिनिधि मण्डल

6313. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चाय बोर्ड की, अमरीका को चाय के निर्यात में वृद्धि करने सम्बन्धी समिति नें पिछले तीन सालों में दक्षिण अमरीका को चाय का एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने के एक प्रस्ताव पर विचार किया था और यदि हां, तो समिति की टिप्पणियां क्या थीं ;

(ख) वर्ष 1972 में चाय बोर्ड के अध्यक्ष नें दक्षिण अमरीका के किन देशों का दौरा किया और दौरों का उद्देश्य क्या था; और

(ग) दक्षिण अमरीका के देशों में आयात शुल्क सहित चाय के आयात पर किस प्रकार का नियंत्रण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उत्तर तथा दक्षिण अमरीका को एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने की प्रस्थापना पर निर्यात संवर्धन समिति के पैनल 'बी' की बैठकों में, जो जुलाई 70 तथा मार्च 71 में हुई थी, विचार विमर्श किया गया था। प्रस्थापना को निलम्बित रखने का फैसला पैनल का विचार निर्यात संवर्धन समिति की बैठक में रखा गया था। समिति ने इसे स्थगित करने का निश्चय किया।

(ख) अध्यक्ष, चाय बोर्ड ने 1972 में किसी दक्षिण अमरीकी देश का दौरा नहीं किया।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रिटिश सहयोग परियोजनाओं को निर्यात सम्बन्धी विशिष्ट जिम्मेदारियां

6314. **श्री रानेन सैन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश व्यापार मिशन के नेता श्री नोएल बर्न, जो अब भारत का दौरा कर रहे हैं, ने कहा है कि ब्रिटिश उद्योग यह नहीं चाहेगी कि भारत सरकार सहयोग परियोजनाओं पर निर्यात सम्बन्धी कोई विशेष जिम्मेवारियां लगाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत सरकार को, ब्रिटिश व्यापार मिशन के नेता श्री बर्न द्वारा दिये गए ऐसे किसी वक्तव्य की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर की शराब बनाने वाली कंपनी (कोडेज) द्वारा आयकर का अपवंचन

6315. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सूचना में यह बात आयी है कि बंगलौर की एक शराब बनाने वाली कंपनी (कोडेज) आय-कर तथा केन्द्रीय विक्रय कर का अपवंचन कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) :कंपनियों के खोदे समूह द्वारा आयकर का अपवंचन किए जाने के संबंध में कुछ जांच पड़ताल की जा रही है । जांच के परिणामों के आधार पर कानून क अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

खोदे समूह के प्रतिष्टानों द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर के अपवंचन का जहां तक संबंध है, कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं अया है ।

Increased Share of Bihar in Central Taxes

6316. **Shri M. S. Purty** : **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Bihar Government have requested the Central Government to increase its share in the tax-revenue ; and

(b) if so, the main contents of the request and Central Government's reaction thereto ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) & (b) The Government of India have not received any request from the Bihar Government for increasing the share in Central taxes and duties.

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिये इलायची का क्रय

6317. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने कुर्ग किस्म की इलायची के निर्यात के लिये क्रय करने हेतु इलायची की मार्केट में प्रवेश कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज):(क) तथा (ख): राज्य व्यापार निगम ने नवम्बर 1972 में इलायची बोर्ड से विक्रेता के रूप में पंजीकरण-प्रमाणपत्र प्राप्त किया है तथा वर्ष 1972-73 के दौरान जापान को 0.28 लाख रुपये मूल्य की 500 किग्रा इलायची (कुर्ग ग्रीन) का निर्यात किया । इलायची की अतिरिक्त मात्रा के बेचने के प्रयास विदेशों में स्थित राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों के माध्यम से किये जा रहे हैं ।

दिल्ली उच्चन्यायालय द्वारा हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध की गयी आलोचनात्मक टिप्पणियां

6318. **श्री राम प्रकाश :**
श्री मूलचन्द डागा : } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस ढंग से और किन परिस्थितियों में; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : 1970 की सिविल रिट संख्या 1055 में दिल्ली के उच्च न्यायालय के निर्णय के प्राप्त होने पर प्रकट होता था कि यह मत निर्धारित करना सम्भव था कि न्यायालय ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के विरुद्ध कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। मामला विचाराधीन है।

भारत सरकार के कार्यालयों में विदेशी कारों स्टाफ कारों के रख रखाव पर किया गया व्यय

6319. **श्री नवलकिशोर शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के कार्यालयों में गत तीन वर्षों में काम में लाई जाने वाली विदेशी कारों स्टाफकारों के रख रखाव पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन कारों के लिए फालतू पुर्जों के आयात पर सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की ;

(ग) क्या सरकार इन विदेशी कारों के स्थान पर देश में बनी कारें रखने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन-पटलय पर रख दी जायगी।

(ग) और (घ) : आयातित कारों का प्रयोग पहले से ही बहुत कम किया हुआ है। उनका रख-रखाव, अति विशिष्ट व्यक्तियों के प्रयोग के लिए, राजनयाचार संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में अथवा किन्हीं विशिष्ट किस्म के क्षेत्रीय कार्यों के हेतु ही किया जा रहा है। फिर भी जब कभी वर्तमान आयातित कारों को बदलने का अवसर आता है तो उनके स्थान पर देशी मोटर गाड़िया रखने के प्रश्न पर अनिवार्यत विचार किया जाता है।

युगोस्लाविया के प्रतिनिधि मंडल के साथ निर्यात के लिए बातचीत

6320. **श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1973 में रेल के माल डिब्बों के निर्यात के लिये युगोस्लाविया के प्रतिनिधि मण्डल से कोई बात-चीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत किस प्रकार की थी और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : युगोस्लाविया का जो प्रतिनिधि मंडल मार्च 1973 में भारत आया था उसके साथ रेलवे वैगनों के निर्यात सौदे के बारे में, जिसके सबंध में एक करार पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं, कोई बातचीत नहीं हुई। तथापि, दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि रेलवे वैगनों जैसे अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच और आगे सहयोग की संभावनाएं हैं।

पीतल और कांसा उद्योग का धीरे-धीरे समाप्त होना

6321. **श्री रेणुपद दास :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतल और कांसा उद्योग धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिये कभी कोई विशिष्ट सुधार करने के सुभाव दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिये गये सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) : पीतल तथा बैल-मैटल उद्योग सहित हस्तशिल्प उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देन की सरकार की नीति है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड नए निर्यातोन्मुख डिजाइनों का विकास करके और अपने चार क्षेत्रीय डिजाइन केन्द्रो के माध्यम से उद्योग को उपलब्ध करा के देश में उत्पादन की लाइन में विविधता पैदा करने में पीतल तथा बैल-मैटल उद्योग की सहायता करता रहा है।

पीतल और कांसा उद्योग में काम करने वाले कारीगर, बिचौलिये और व्यापारी

6322. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में पीतल तथा कांसा उद्योग में काम करने वाले कारीगरों, बिचौलियों और व्यापारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में कारीगरों की खराब हालत की जानकारी है, यदि हां, तो प्रत्येक कारीगर प्रतिदिन की मजूरी की दर क्या है; और

(ग) पीतल और कांसे के तार बनाने के लिये कारीगरो को महीने में कितने दिन काम पर लगाया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) पश्चिम बंगाल में पीतल तथा कांसा उद्योग में लगभग 20,000 कारीगर तथा 2000 बिचौलिये व व्यापारी लगे हुए हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल में कारीगरों की कार्य स्थिति के संबंध में कोई विशेष बात नहीं है । कारीगरों की प्रतिदिन मजदरी दर 2 रु० से लेकर 5 रु० तक है जो कि एक कारीगर की दक्षता तथा कारीगरी पर निर्भर करती है।

(ग) एक मास में लगभग 20 दिन ।

Enquiry, Report on Irregularities in Bihar Khadi Gramodyog Sangh.

6323. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Commerce be** pleased to state :

(a) Whether the governing Board of the Bihar Khadi Gramodyog Sangh had constituted a committee of enquiry consisting of Shri B. Ramchandra and Ratoya Dastane to inquire into the irregularities being committed in the Khadi Gramogdyog in 1969;

(b) whether the Committee completed the enquiry and submitted a report ;

(c) if so, the broad outlines of the recommendations contained therein and

(d) the action taken by Government on those recommendations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George):

(a) Yes, Sir.

(b) The report of the Committee is still awaited.

(c) & (d) Does not arise in view of (b) above.

Vadhera Report on Bihar State Khadi Gramodyog Sangh

6324. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Shri Vadhera was appointed by the Central Government in 1970 to go into the working of the Bihar State Khadi Gramodyog Sangh:

(b) if so, the reasons for which his inquiry report has not so far been published ; and

(c) the time by which the Vadhera report is likely to be published by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George):

(a) No, Sir.

(b) & (c) Does not arise.

Misappropriation of Provident Funds of Employees of Bihar State Khadi Gramodyog

6325. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether some officers of the Bihar State Khadi Gramodyog have misappropriated huge amount of the provident fund of spinners, weavers and other workers ;

(b) if, so. whether Government have ordered an enquiry in the matter

(c) if so, the outcome thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George)

(a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Amount of Money taken away from the Union Bank, Bombay.

6327. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether an amount of Rs. 8,000/-was taken away by a person from the Union Bank, Bombay, as reported in the daily 'Veer Arjun' dated the 7th March, 1973; and

(b) if so, the name of that person and the action taken so far in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) (a) & (b) : Union Bank of India has reported that a sum of Rs. 8500/- (and not 8000/-) was stolen/snatched from the bank's counter at Mulund in Bombay on 5th March,

1973 and attempts to apprehend the culprit whose name is not known were not successful. The Bank has reported the matter to police and it is under Investigation.

विश्व बैंक के दलों का भारत में सुखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

6328. **श्री वसंत साठे:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दल ने जनवरी, 1973 में महाराष्ट्र, राजस्थान और मैसूर के राज्यों में सतत सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का दौरा करने का मुख्य प्रयोजन क्या था; और इस दौरे का क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या इस देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुछ परियोजनाएं आरम्भ करने का विश्व बैंक का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं, राज्यवार परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उन्होंनें कितनी धनराशि देने का वचन दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) विश्व बैंक के एक मिशन ने महाराष्ट्र राजस्थान और मैसूर राज्यों के उन कुछ जिलों का दौरा किया था जहां केन्द्र द्वारा प्रायोजित सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

(ख) मिशन के इस दौरे का उद्देश्य कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिये गये कार्यों का अध्ययन करना था ।

(ग) बैंक समूह से सहायता प्राप्त करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम पर पहले ही अमल किया जा रहा है । यह बताना अभी समय पूर्व होगा कि विश्व बैंक समूह से कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ।

Procedure for Grant of Import Licences

6329. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state whether licence has to be obtained for importing goods or machines and if so, the procedure laid down therefore and the time taken in granting licence or permit for importing goods or machines from foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : An import licence is necessary to import goods or machines which are subject to import control. A request in this behalf is required to be made to the concerned licensing authority as per rules and procedures contained in Hand Book– Import Trade Control and Import Trade Control Policy current at the time of making an application. If the application is complete in all respects, it takes about 60 days and 30 days to issue an import licence for machinery and raw materials/spares respectively.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कर्मचारियों द्वारा 5 मार्च 1973 को भूख हड़ताल किया जाना

6330. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कुछ कर्मचारियों ने 5 मार्च, 1973 को 24 घण्टे की भूख हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या थीं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) उनकी मांगों में, वेतन तथा भत्तों में वृद्धि, कुछ नये भत्तों की मंजूरी और संगठन और कार्मिक संबंधी कई मामले, कर्मचारी कल्याण, अनुषंगी लाभ तथा प्रबन्ध में अपेक्षाकृत अधिक भाग आदि आते हैं। मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

Opening of STC and MMTC offices in Bihar

6331. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the STC and MMTC have no offices in the main steel producing State of Bihar; and

(b) If so, the reasons therefor and when their offices are likely to be opened in the said State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) :(a) & (b) : As regards the S.T.C. the Corporation does not have any office in Bihar at present but has arrangements in hand for opening an office at Patna.

As regards M.M.T.C. the Corporation has the following offices in Bihar State :–

(a) Jhumri Talaya

(b) Barajamda

(c) Noamandi

(d) Gua, and

(e) Giridih

Purchase of iron ore by MMTC from Bihar

6332. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether iron ore containing certain specified percentage of iron for which MMTC has entered into contracts with foreign countries is available in Bihar also; and

(b) if so, the difficulty faced by MMTC in purchasing the iron are from Bihar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) & (b) : Yes, Sir. The Corporation has been purchasing iron ore from Bihar on regular basis without difficulty.

वैगनों का निर्यात

6333. **श्री बेकारिया : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कितने वैगनों का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : विगत तीन वर्षों के दौरान, निर्यात किये गये वैगनों की संख्या वर्ष-वार निम्नोक्त प्रकार रही है :

1969–70	24
1970–71	463
1971–72	691

भारत के लोह अयस्क में जापान की रुचि कम होना

6334. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारत के लोह अयस्क में जापान की रुचि कम होती जा रही है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्राजील जैसे अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही की जा रही कि जापान के साथ हमारे वर्तमान करार की अवधि समाप्त हो जाने पर इस उद्योग को अचानक किसी संकट का सामना न करना पड़े ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । भारत के लोह अयस्क मे जापान की रुचि कम नहीं हो रही है हालांकि वह लोह आवश्यकता आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, पेरु आदि जैसे सप्लाई के अन्य क्षेत्रों से भी पूरी करता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जर्मन जनवादी गणतंत्र को परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

6335. **श्री रामभगत पाश्वान :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतन्त्र सरकार ने उस देश को भारत द्वारा परम्परागत वस्तुओं का निर्यात न करने के कारण रोस व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Seizure of Opium Milk From a Gang near Jodhpur

6336. Shri Nawal Kishore Sharma : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Excise Department has captured red-handed a gang with one quintal of pure opium milk near Jodhpur and if so, the value of this milk ;

(b) whether some more arrests have been made in this connection; and

(c) the steps contemplated by Government to check smuggling of opium milk to Rajasthan across Rajasthan-Madhya Pradesh borders ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) & (b) No, Sir. The staff of the Central Excise Department has not made any seizure of opium milk near Jodhpur.

(c) The enforcement agencies of the State and the Central Government, such as State Excise, Police, Customs and Central Excise, Central Bureau of Investigation, Border Security Force, Railway Protection Force etc. are always on the alert to suppress illicit traffic in narcotic drugs. The watch extends to places in the interior as well as on the border. Preventive measures have also been tightened in poppy growing areas in the States of Rajasthan and Madhya Pradesh.

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों की देर से उड़ानें

6337. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में फालतू पुर्जों की कमी, श्रम विवादों तथा अन्य कारणों से इंडियन एयरलाइंस के विमानों की देर से की गई उड़ानों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कि विमानों की उड़ानें समय पर हों ताकि यात्रियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को कितनी हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों से देरी से हुई उड़ानों की कुल संख्या नीचे दी गई है :–

1970–71	32860
1971–72	26943
1972–73	32426

(ख) इंडियन एयरलाइंस अपनी सेवाओं के समय–पालन में सुधार करने के लिये निरंतर उपाय कर रही है। प्रत्येक देरी के कारणों की जांच की जाती है तथा जहां कहीं संभव होता है उपचारी उपाय किये जाते हैं ।

(ग) इंडियन एयरलाइंस देरी से हुई/रद्द की गयी उड़ानों के लिये मृदु जल–पान तथा भोजन की व्यवस्था करती है, तथा रद्द की गयी उड़ानों के मामले में होटल आवास की भी व्यवस्था करती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कारण से हुआ व्यय नीचे दिया गया है :–

	(लाख रुपयों में)
1970–71	21.81
1971–72	15.79
1972–73 (अनुमानित)	26.00

वर्ष 1972–73 में इण्डियन एयरलाइंस में बोइंग तथा अन्य विमानों के उपयोग का प्रतिशत

6338. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73 में इंडियन एयरलाइंस में बोइंग तथा अन्य विमानों का, अलग अलग, कितने प्रतिशत उपयोग हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 1972–73 (जनवरी 1973) तक के दौरान इंडियन एयरलाइंस में बोइंग तथा अन्य विमानों के उपयोग का प्रतिशत निम्न प्रकार है :–

विमान का प्रकार	1–4–72 से 31–1–73 तक की अवधी के लिये उपयोग का प्रतिशत
एच० एस–748	78.6 प्रतिशत
कार्वेल	89.3 „
बोइंग	88.5 „
एफ–27 (फोकर फ्रेंडशिप)	90.4 „
वाईकाउंट	86.2 „
डकोटा	68.8 „

रक्षा लेखा नियन्त्रक के पटना स्थित कार्यालय में व्यय की वृद्धि

6339. **श्री रामावतार शास्त्री:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में रक्षा लेखा नियंत्रक के पटना कार्यालय में यात्रा भत्ते, मंहगाई भत्ते, आकस्मिक व्यय और समयोपरि भत्तों पर कितना व्यय हुआ ; और

(ख) यदि व्यय में कोई वृद्धि हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) नियंत्रक रक्षा लेखा पटना के कार्यालय में व 1972–73 में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते-आकस्मिक व्यय और समयोपरि भत्ते खाते नीचे लिखे अनुसार व्यय हुआ :–

(i) यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	5,31,182 रु०
(ii) आकस्मिक व्यय	4,71,800 रु०
(iii) समयोपरि भत्ता	1,01,768 रु०

(ख) व्यय में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई है :–

(i) **यात्रा/भत्ता दैनिक भत्ता।**

वर्ष 1971–72 की तुलना में 1972–73 के व्यय में 25,056 रु० की वृद्धि हुई है। अतिरिक्त व्यय मुख्यत: अप्रैल 1972 से रेल किराये में वृद्धि होने से और नवम्बर 1971 में लगाये गये शरणार्थी राहत कर के कारण हुआ है और यह रकम पूरे वर्ष की वृद्धि की है।

(ii) **आकस्मिक व्यय**

पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1972–73 के व्यय में 27, 663 रु० की वृद्धि हुई। व्यय में वृद्धि नवम्बर 1971 से डाक दरों में हुई वृद्धि के पूरे वर्ष के प्रभाव के कारण और कार्यालय में प्रयोजनीय वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि के कारण हुई है।

(iii) **समयोपरि भत्ता**

अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम संख्या में छोटे उद्योगों के विकास में सहायता देने के संबंध में प्रत्येक बैंक शाखा पर उत्तरदायित्व डाल.ा

6340. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक बैंक शाखा पर उसके कार्यक्षेत्र में हर वर्ष निर्धारित संख्या में लघु उद्योगों के विकास में सहायता करने की जिम्मेदारी डालने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : चूंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास की गति, कच्चे माल की उपलब्धि, उत्पादनों का विपणन, समय पर ऋण की व्यवस्था आदि जैसी बहुत बातों पर निर्भर है। अत: लघु उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी केवल बैंकों पर नहीं डाली जा सकती। फिर भी बैंकों को लगातार यह सलाह दी गयी है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सक्षम लघु उद्योगों को समय पर ऋण मिलता रहे। राष्ट्रीयकरण के समय सरकारी बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम 25145 लाख थी जो अब बढ़ाकर जून 1972 के अन्तिम शुक्रवार को 53028 लाख रुपये हो गयी थी।

अखिल भारतीय लघु लैम्प निर्माता संघ से ज्ञापन

6341. **श्रीप्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लघु लैम्प निर्माता संघ ने उनके मंत्रालय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं पर प्रस्तावित उत्पादन शुल्क न लगाया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) जी, हां।

(ख) संस्था के ज्ञापन की जांच की जा रही है।

ग्रामउद्योगों का समन्वय और विकास संबंधी कार्यक्रम

6342. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खादी सहित ग्राम उद्योगों के समन्वय और विकास के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : इस मंत्रालय में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। इस संबंध में अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें एक नये संगठनात्मक ढांचे की स्थापना के संबंध में थी जिसके अन्तर्गत एक ग्रामीण आयोग इस समय विद्यमान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का स्थान ले लेगा और ग्रमीण क्षेत्रों में सभी कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के संवर्धन तथा समन्वयन के लिये शीर्ष निकाय होगा। यह निकाय, जिसकी सांविधिक शक्तियां होंगी, परामर्श देगा, प्रशिक्षण तथा गवेषणा का संचालन तथा प्रायोजन करेगा और साथ ही योजनाबद्ध कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का समन्वय करेगा।

यद्यपि हस्तशिल्प बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, कयर बोर्ड आदि जैसी निकाय अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ निकायों के रूप में कार्य करते रहेंगे, परन्तु उनके और ग्रामीण उद्योग आयोग के बीच संयुक्त रूप से परामर्श होंगे। इसके लिये, सुनियोजित समन्वयन समितियां स्थापित की जा सकती हैं। ऐसे ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में भ्रष्टाचार

6343. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग के विरुद्ध उनके मंत्रालय को कोई भ्रष्टाचार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जी नहीं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान को लोहा अयस्क का निर्यात

6344. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 से पहले खनिज धातु व्यापार निगम मुद्रा विनिमय दरों में यकायक अथवा बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव को रोकने के लिये सुरक्षात्मक उपाय के रूप में जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क के लिये वायदा विनिमय दर प्रणाली अपना रहा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1971 से यह प्रणाली छोड़ दी गई थी और इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या वर्ष 1971 और 1972 में अग्रिम सुरक्षात्मक उपाय न होने के कारण और डालर के लगातार अव-मूल्यन के कारणों विदेशी मुद्रा की आय में काफी कमी हुई है ; और

(घ) इस वजह से कितना घाटा हुआ है और कितना घाटा भविष्य में होने का अनुमान है और क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निदेशक मंडल से इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। निगम जापान को लौह अयस्क के निर्यातों पर अपनी प्रत्याशित बिक्री वसूलियों के आधार पर 1968 से केवल समिति सीमा तक अग्रिम सुरक्षात्मक उपाय करता रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अग्रिम सुरक्षात्मक उपाय न होने से निगम की विदेशी मुद्रा आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(घ) विदेशी मुद्रा आय के रुप में कोई घाटा नहीं है। अतः कोई स्पष्टीकरण मांगने का प्रश्न नहीं उठता।

कम बैंकों वाले और अधिक बैंकों वाले राज्यों के बीच बैंकिंग सुविधाओं में अन्तर

6345. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कम बैंकों वाले और अधिक बैंकों वाले राज्यों के बीच बैंकिंग सुविधाओं में अन्तर बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम बैंकों वाले क्षेत्रों में जमा की जाने वाली राशि की दर ज्यादा है ; और

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान इस असन्तुलन को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवतराव चव्हाण) : : (क) जी, नहीं।

(ख) निरपेक्ष रूप में, कम बैंकों वाले क्षेत्रों में जमा का संग्रह कुछ कम हुआ है तथापि इस क्षेत्रों ने कम जमा के आधार की तुलना में, उन क्षेत्रों की अपेक्षा, जहां अधिक बैंक हैं, वृद्धि की गति अधिक प्रतीत होती है।

(ग) सरकार का उन क्षेत्रों की, जहां बैंक नहीं हैं कम बैंक हैं, आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान देने की नीति जारी रखने का विचार है। हाल ही में शुरु किया गया एक ठोस उपाय यह है कि प्रत्येक बैंक ने 1973–75 की अवधि के लिये शाखा विस्तार के प्रयोजनार्थ तीन वर्ष की एक प्रवाही आयोजना तैयार की है। बैंकों को सलाह दी गयी है कि इन आयोजनाओं को तैयार करने में उन्हें उन क्षेत्रों की, जहां बैंक नहीं हैं कम बैंक हैं, आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का ध्यान रखना चाहिये।

अमरीका की सिंगर सूयुइंग मशीन कम्पनी द्वारा "मैरिट" मशीन की बिक्री करके लाभ को स्वदेश भजना

6346. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सिंगर स्युइंग मशीन कंपनी द्वारा भारतीय बाजार में अपनी "मैरिट" मशीन 245 रुपये प्रति मशीन की दर से बिक्री के परिणामस्वरूप अपने देश को भेजे गये लाभ की राशि के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है।

(ख) क्या वस्तुत: इन मैरिट मशीनों का निर्माण उत्तरी भारत में छोटे निर्माताओं द्वारा होता है और इनको सिंगर के नाम से बेचा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार जनता को धोखे में डालने और विदेशी मुद्रा को अवैध रूप में बाहर भेजे जाने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। सिंगर स्युइंग मशीन कम्पनी की भारतीय शाखा को 1963 और 1971 के बीच के कुछ वर्षों में हुई हानियों को समायोजित करने के बाद उसे इन वर्षों में कुल मिलाकर 13.05 लाख रुपये का लाभ हुआ था और यह राशि शाखा के मुख्यालय खाते में जमा की गयी थी। कम्पनी ने अब तक इस राशि में से केवल 2.67 लाख रुपये की रकम बाहर भेजी है।

(ख) पता चला है कि दिल्ली स्थित एक लाइसेंस शुदा सिलाई मशीन निर्माण एकक, सिंगर कम्पनी को सिलाई मशीनें मुहैया करता है और उक्त कम्पनी इन मशीनों को मैरिट" ब्रांड के नाम से बेचती है। हो सकता है कि सिंगर स्युइंग मशीन कम्पनी, लघु एककों से भी इस प्रकार की मशीनें प्राप्त कर रही हो।

(ग) कम्पनी के ये कार्यकलाप विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 18 क के उपबन्धों की सीमाओं के अन्तर्गत नहीं आते लेकिन नये विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक को अनियमित करते समय, जो अभी संसद के सम्मुख है, इन कार्यकलापों का पुनरीक्षण किया जायेगा।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

6347. **श्री वयालार रवि : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक से कोई भी ऋण न लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) इस बैंक से भारत को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) : यह निर्णय उस समय लिया गया था जब हम एशियाई विकास बैंक के सदस्य बने थे और यह निर्णय इस बात पर आधारित था कि बैंक के पास जो धन–राशि है उसकी तुलना में भारत की सहायता सम्बन्धी अपनी जरूरतें कहीं अधिक हैं और भारत के विशेष रूप से नरम शर्तों पर मिलने वाले ऋण उपलब्धि होने की संभावना नहीं है क्योंकि बैंक द्वारा संचित निधियां अपेक्षाकृत कम हैं और सबसे अन्तिम बात यह है कि भारत द्वारा सहायता दिये जाने पर छोटे देश सहायता से वंचित रह जायेंगे।

(ग) बैंक के पुनर्गठन के सम्बन्ध में बैंक की नीतियों के निर्माण में भारत की सलाह का स्वागत किया जाता है और हमने बैंक से ऋण न लेने का निश्चय किया है। इसके अलावा, एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं क लिये वस्तुओं और तकनीकि सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये भारत ने कुछ आर्डर प्राप्त किये हैं।

केरल के उन नगरों के नाम जिनके लिए विमान सेवा की मांग की गई

6348. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के उन नगरों के नाम क्या हैं जिनके लिये विमान सेवा की मांग की गई है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) :

केरल राज्य में जिन शहरों क लिये विभिन्न पक्षों द्वारा विमान सेवाओं की मांग की गई है वे ये हैं :–

(i) क्विलोन

(ii) केनानोर

(iii) कोज़ीकोडे (कालीकट)

इनमें से इंडियन एयरलाइंस की पांचवीं योजना की अवधि में कोज़ीकोडे (कालीकट) को विमान सेवा से जोड़ने की योजना है ।

Loan given to Farmers in Madhya Pradesh by Agricultural Branches of Nationalised Banks

6349. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loan given to the farmers in Madhya Pradesh by Agricultural Branches of the nationalised banks during the last one year ;

(b) the purposes for which loans were advanced to them;

(c) whether in the areas where such banks have been set up, the branches of co-operative banks and land development banks are also functioning; and

(d) whether difficulties are experienced in the functioning of these two types of banks at the same areas; and if so, the steps taken by Government to overcome the difficulties ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi)

(a) The outstanding amount of direct agricultural advances provided by the public sector banks in Madhya Pradesh as at the end of June, 1972 was Rs. 6·98 crores.

(b) The banks meet the credit needs of the farmers for all viable productive endeavours connected with agricultural production and allied activities.

(c) Yes, Sir.

(d) Coordination of the operations of various financing agencies is sought to be achieved through State Level and District Level Coordination Committees comprising officials of the State Governments and financing institutions.

Amount given by Reserve Bank of India for various Cooperative Banks in Madhya Pradesh

6350. Dr. Laximinarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount given by the Reserve Bank for various cooperative banks in Madhya Pradesh during the last two years ;

(b) the purposes for which the said amount was given; and

(c) the total amount asked for ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) to (c) A Statement is enclosed [Placed in Library. See No. L.T. 4742/73].

Grant of Relaxation to S.C. and S.T. for Temporary Appointments in Nationalised Banks

6351. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any relaxation of qualifications, age etc. has been granted to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates for temporary appointments in nationalised banks; and

(b) if so, the names of the posts in regard to which such relaxation has been given as also the nature of relaxation granted in this regard?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) & (b) Temporary appointments are not made by the Nationalised Banks in the supervisory cadre; these are made in clerical and/or in subordinate cadres only. The relaxations in regard to age and qualifications given to Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates in the clerical and subordinate cadres differ from bank to bank, though there are no different standards for temporary and permanent appointments. Most of the banks have reported that they have relaxed the upper age limit in respect of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates by five years and have generally prescribed lower educational qualifications both for clerical and subordinate cadres.

सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से आयात

6352. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा किन किन वस्तुओं का आयात किया गया ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई मापदंड निर्धारित किया गया है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या रूई, सूखे मेवे तथा प्लास्टिक के लिये कच्चे माल का आयात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है अथवा बंद करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) उन मदों की सूचियां, जिनके आयात 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत किये गये थे, संबंधित अवधि के लिये, समय समय पर संशोधित आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक-वोल्यूम 1) के खंड 3, में प्रकाशित हुई है।

(ख) निम्नांकित उद्योगों तथा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है :-

(1) सामूहिक सौदेबाजी तथा बल्क खरीददारियां के माध्यम से कीमतों तथा परिवहन प्रबंधों आदि में किफायत करके ;

(2) सट्टे वाली मदों तथा अधिक उंचे लाभों वाली मदों के लाभों को समाप्त करके ;

(3) सरकार के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके ;

(4) वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं विशेषत: लघु उद्योगों को उत्तम से । प्रदान करके ;

(5) जिन बातों में राज्य अभिकरणों ने विशेषज्ञता तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनमें उनकी भूमिका का विस्तार करके ।

(ग) (1) कपास का आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरण अर्थात् भारतीय रूई निगम के माध्यम से मार्गीकृत है । निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किये जा रहे आयातों की मात्रा 1970-71 में 26 प्रतिशत से बढ़कर चालू रूई वर्ष में 80 प्रतिशत हो गयी ।

(2) मेवे : यह विषय विचाराधीन है ।

(3) निम्नोक्त प्लास्टिक कच्चे माल के आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है :-

सैल्यूलोस एसीटेट फलैक्स

सैल्यूलोस एसीटेट शीट-फिल्में

सैल्यूलोस एसीटेट ब्यूटीरेट

सैल्यूलोस नाइट्रेट शीट तथा फलैक्स

मिथाइल मिथा एक्रिलेट पोनामर

पोलिविनायल क्लोराइड रेजिन पाउडर

मोल्डिंग पाउडर सहित पी० बी० सी० कम्पोजिशन

पोलिथिलेन मोलडिंग पाउडर (हाई तथा लो डैन्सिटी)

सक्रिलिक रेजिन

पोलिप्रो पीलीन

नायलर मोलडिंग पाउडर

ए० बी० एस० मोलडिंग पाउडर

Proposal to Air Link, Kota (Rajasthan) during the current Plan

6353. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal during the current plan to airlink, Kota (Rajasthan) by regular air flights from Delhi to Bombay via Jaipur; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Arrears of Income-Tax against Ministers and Members of Parliament

6354. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income-tax outstanding against Ministers of Central Government and Members of Parliament till to-date; and

(b) the name of the person against whom the highest amount of income-tax is outstanding ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) (a) & (b): The Members of Parliament are assessed/assessable by the Income-tax Officers scattered throughout the country and there is no centralised register or statement where information regarding the income-tax outstanding against Members of Parliament (numbering 767) is maintained.

The information in respect of the Ministers of Central Government as on 31-3-1973 is being collected from the Commissioners of Income-tax and will be laid on the Table of the House as early as possible.

अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के आयकर अधिकारी

6355. **श्री छत्रपति अम्बश :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में इस समय काम कर रहे आयकर अधिकारियों की संख्या का सर्किल वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उसमें से अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयकर अधिकारियों की संख्या का सर्किल वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

ब्रिटिश व्यापार दल का भारत दौरा

6356. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरमिंघम वाणिज्य मंडल के श्री एन० जे० बोर्न के नेतृत्व में भारत के दौरे पर आये 13 सदस्यी ब्रिटिश व्यापार दल ने भारतीय सामान की क्वालिटी और उसकी कीमतों की जहां प्रशंसा की, वहीं उन्होंने भारती निर्यात कर्त्ताओं के डिलीवरी स्तर और पेचीदा निर्यात–लाइसेंस प्रणाली की अलोचना की ;

(ख) यदि हां, तो दल के स्पष्ट टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ब्रिटिश व्यापार दल ने भारतीय माल की क्वालिटी और उसकी कीमतों की प्रशंसा करने के साथ साथ उन्होंने भारतीय निर्यातकों के डिलीवरी स्तर की और साथ ही पेचीदा निर्यात–लाइसेंस प्रणाली की भी अलोचना की थी ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

बंगला देश के शरणार्थियों पर व्यय

6357. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के अस्तित्व में आने से पहले भूतपूर्व–पाकिस्तान से शरणार्थीयों के आने के कारण भारत सरकार पर जो वित्तीय बोझ पड़ा था, वह स्माप्त हो चुका है;

(ख) विभिन्न प्रकार के बंगलादेश शरणार्थी शुल्कों से कितना अतिरिक्त या कम राजस्व प्राप्त हुआ ; और

(ग) अतिरिक्त राजस्व के उपयोग का यदि कोई प्रस्ताव है तो क्या है और यदि कम राजस्व प्राप्त हुआ है, तो उसकी किस प्रकार पूर्ति की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवतन्राव चव्हाण) : : (क) से (ग) : बंगलादेश से आये शरणार्थीयों पर कुल 306 करोड़ रुपये खर्च किये गए। इसकी तुलना में, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये शरणार्थी सहायता शुल्कों से 76 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान है। शेष व्यय, विदेशों से प्राप्त सहायता और बजट सम्बन्धी सामान्य साधनों से पूरा किया गया ।

सहरसा, बिहार में बैंक आफ इंडिया के अधीन काम कर रही सहकारी समितियां

6359. **श्री चिरंजीव झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के जिला सहरसा में "बैंक आफ इंडिया" के अधीन कितनी सहकारी समितियां काम कर रही ह;

(ख) गत वर्ष के दौरान इन समितियों को कुल कितनी राशि के ऋण दिए गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : सम्भवत: संकेत प्राथमिक कृषि ऋण संस्थानों का वित्त-पोषण करने वाले वाणिज्यिक बैंकों की योजना की ओर है । यह योजना अभी तक बिहार में शुरू नहीं की गई है । इस योजना के अन्तर्गत सहरसा जिला में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं का वित्तपोषण नहीं किया जा रहा है ।

Farmers' Saving Schemes

6360. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether in the last meeting of the Central Advisory Board on National Savings held in Bihar, the Finance Minister of States demanded the introduction of 'Farmers' Savings Scheme' and if so, the time by which it would be introduced and the brief outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministey of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : At the last meeting of the National Savings Central Advisory Board held at Patna on the 10th February, 1973, a suggestion was made by the Finance Minister of Uttar Pradesh for introduction of a 'Kisan Savings Certificate', which could be sold through co-operative societies, etc. to boost the morale of the farmer who could plan his savings well. This will be considered further on receipt of detailed proposals from the Government of Uttar Pradesh.

Branches of Banks in Bihar and Loans given to Industrial and Agricultural Sector

6361. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of branches of the banks before and after their nationalisation in Bihar; and

(b) the amount of loans given by the nationalised banks to industrial and agricultural sectors respectively in Bihar during 1972 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The total number of branches of commercial banks in Bihar increased from 274 as on 19th July, 1969 to 575 as at the end of December, 1972.

(b) The available information is given below :

Advances of Nationalised Banks in Bihar as on the last Friday of June, 1972

(Rs. in lakhs)

	No. of Accounts	Limits Sanctioned Rs.	Amount outstanding Rs.
Agriculture*			
(a) Direct Finance	15,065	351·43	280·00
(b) Indirect Finance	966	229·54	186·05
Small Scale Industries** ..	1,100	990·60	592·11

*Provisional Figures.

**Particulars of advances to other Industries separately are not available.

पश्चिम बंगाल और कूच बिहार में तम्बाकू की खेती पर लगाए गए उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व

6362. **श्री आर० एन बर्मन :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और कूच बिहार जिले में तम्ब्राकू की खेती से सरकार द्वारा वसूल की गई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कल राशि का अलग-अलग वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल और विशेष रुप से कूच बिहार जिले में तम्बाकू में की खेती के लिए बैंकों ने जिन योजनाओं के लिए ऋण दिये हैं उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

वर्ष	तम्बाकू पर उगाही गई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कुल रकम	
	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार जिला
	(रु० 000)	(रु० 000)
1969–70	9,37,59	37,88
1970–71	9,14,31	39,01
1971–72	9,97,74	47,11

(ख) पश्चिम बंगाल अथवा कूच बिहार जिले में तम्बाकू के काश्तकारों को इस प्रकार बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने की कोई विशेष योजनाएं नहीं हैं। लेकिन वाणिज्यिक बैंक अपने नियमों और कार्यविधियों के अनुसार तम्बाकू के काश्तकारों को कृषि साख योजना के अन्तर्गत आवश्यक ऋण उपलब्ध करते हैं।

तम्बाकू विकास निगम की स्थापना

6363. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तम्बाकू विकास निगम स्थापित करने का अंतिम रूप से निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां तो एसा निगम कब गठित किया जायगा ? और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : एफ० बी० सी० तम्बाकू के लिए एक तम्बाकू विपणन बोर्ड स्थापित किये जाने की प्रस्थापना है। इसके गठन तथा कार्यों आदि से संबंधित विभिन्न ब्यौरों पर विचार किया जा रहा है ताकि बोर्ड की स्थापना यथासंभव शीघ्र की जा सके।

देश में सुखे के संबंध में भविश्यवाणी करने वाले कन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव

6364. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूखे के संबंध में भविष्यवाणी करने वाले केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत मौसम विज्ञान विभाग सूखे की स्थिति के बारे में देश में अपने विभिन्न पूर्वानुमान केन्द्रों से कुछ दिन पहले ही भविष्यवाणी जारी कर देते हैं। पूना का मौसम कार्यालय भी प्रायद्वीप तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के ऊपर मौनसून तथा सर्दियों के मौसम में संभावित वर्षा के बारे में प्रति वर्ष तीन मौसमी पूर्वानुमान जारी करता है। विभाग का नये तत्वों का समावेश कर के तथा कम्प्युटर सुविधाओं का प्रयोग कर के दीर्घ अवधि के मौसमी पूर्वानुमानों में गहन अनुसंधान करने का प्रस्ताव है। इन प्रयत्नों का उद्देश्य एक-समान क्षेत्रों के लिये 15 दिन से 4 मास तक के मौसम की अवधियों के लिये विश्वसनीय पूर्वानुमान जारी करना होगा। मध्यम अवधि के पूर्वानुमान तकनीकों में सुधार करने के लिये विश्व वायुमंडलीय अनुसंधान कार्यक्रम जैसे विशेष अनुसंधान प्रायोजनाओं की भी योजना बनाई जा रही है।

मनीपुर में कताई मिल की स्थापना

6365. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर में कताई मिल की स्थापना के लिये अपनी स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां तो उसकी प्रस्तावित क्षमता कितनी होगी तथा उस परियोजना पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : इम्फाल मनीपुर में 25000 तकुओं की क्षमता की एक नई कताई मिल स्थापित करने के लिए उद्योग निदेशक मनीपुर को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन दिनांक 3–4–1973 को एक लाइसेंस जारी किया गया है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार लाइसेंस जारी होने की तारीख से 12 मास की अवधि के अंदर प्रभावकारी कदम उठाये जाने हैं और परियोजना को लाइसेंस जारी होने की तारीख से 24 मास की अवधि के अंदर क्रियान्वित किया जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तुलिहल हवाई अड्डे (इम्फाल) में एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण

6366. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय तुलिहल हवाई अड्डे (इम्फाल) में इण्डियन एयरलाइंस के यात्रियों और चालकों के लिये सामान्य सुविधाओं के अभाव को देखते हुए सरकार वहां पर एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो यह निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब पूरा होगा तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी तथा इसमें कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इसके निर्माण में विलम्ब के कारण इस दूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) : चार लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एक यात्री हाल कार्यलय रैस्टोरैंट वी० आई० पी० कक्ष तथा टायलटों की व्यवस्था होगी। दो बार टैंडर आमंत्रित किए गए हैं परंतु कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नये टैंडर मंगाये जा रहे हैं। कार्य के उसके प्रारंभ होने के 12 महीनों के अंदर पूरा हो जाने की आशा है।

मनीपुर में पर्यटन का विकास

6367. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मनीपुर में पर्यटन की भारी संभावनाएं हैं जिनका अभी विकास किया जाना है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस राज्य में पर्यटन के विकास के लिये धन तथा विशेषज्ञों के रूप में विशेष सहायता देने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है और यदि हां तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी हां।

(ख) और (ग) : मणिपुर प्रशासन की प्रार्थना पर मणिपुर में पर्यटन संभावनाओं पर एक रिपोर्ट जिस में पर्यटन की अधिवृद्धि तथा विकास के लिये सुझाव दिये गये थे पर्यटन विभाग में तैयार की गयी तथा नवम्बर 1970 में प्रशासन को भेजी गयी। राज्य में प्रवेश-प्रतिबंधों के कारण सरकार फिलहाल पर्यटन के विकास के लिये केन्द्रीय योजना में इस क्षेत्र के लिये पूंजी-निवेश सम्मिलित करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी राज्य की चौथी योजना में कुछ पर्यटन संबंधी स्कीमें सम्मिलित की गयी हैं।

पटसन के लिए न्यूनतम मूल्य का निर्धारण

6368. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन की फसल पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावको देखते हुए पटसन के लिए निर्धारित न्यूनतम मल्य को पुनरीक्षित किया है ; और

(ख) पटसन के उत्पादकों को सहायता देने के लिए क्या अन्य कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) पटसन के विकास के लिए विभिन्न पटसन/मेस्टा उपजकर्ता राज्यों में अनेकों केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चालू हैं : सघन पटसन/मेस्टा जिला कार्यक्रम पटसन तथा मेस्टा पर विशेष पैकेज कार्यक्रम प्रमाणित सुधरे हुए पटसन के बीजों का इमदादी आधार पर वितरण क्वालिटी सुधार कार्यक्रम तथा तमिलनाडू में प्रारंभिक परिक्षण। इन योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार पटसन के बीजों तथा उर्वरकों के परिवहन पौध संरक्षण उपस्कर यूरिया छिड़कने संबंधी कार्य पर होने वाली प्रभार पटसन गलाने के तालाबों के निर्माण पर उपदान के रूप में प्रोत्साहन दे रही है। इन उपायों का उद्देश्य प्रति इकाई उपज में वृद्धि करना तथा पटसन की क्वालिटी में सुधार करना है।

निर्यात के लक्ष्यों को पुरा न कर पाना

6369. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू योजना के दौरान निर्यात के पूरे न किये जाने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इन लक्ष्यों को कहां तक पूरा किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी बाजारों का पता लगाना निर्यात उत्पादन बढ़ाना और निर्यात योग्य अतिरिक्त माल उत्पन्न करना ये सतत प्रक्रियाएं हैं। निर्यात प्रवृत्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और जब कभी आवश्यक होता है निर्यात संवर्धन उपायों में समुचित समायोजन किए जाते हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले 3 वर्षों के दौरान भारत के निर्यातों की वृद्धि दर भिन्न-भिन्न रही है जो 1969-70 में 4.1% और 1970-71 में 8.6% रही और 1971-72 में 4.6% हो गई और इस प्रकार औसत मिश्र दर लगभग 5.8% प्रतिवर्ष रही।

1972-73 के दौरान निर्यातों की प्रवृत्तियां काफी उत्साहवर्धक रही हैं। 1972-73 में (1971-72 की तुलना में) 13% से अधिक की अनुमानित वृद्धि को लेते हुए चौथी योजना के प्रथम चार वर्षों में निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित 7% के लक्ष्य से अधिक हो जाने की आशा है।

डालर के अवमूल्यन का प्रभाव

6370. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) हाल ही में डालर के अवमूल्यन के पश्चात डालर और स्टर्लिंग कितने मूल्य पर स्थिर हो गया है ; और

(ख) डालर और पाउंड स्टर्लिंग के मूल्यों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये के सम मूल्य को कहां तक प्रभावित किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जून 1972 से पौण्ड स्टर्लिंग के विनिमय-दर से मुक्त कर दिये जाने के कारण डालर और पौण्ड स्टर्लिंग के बीच कोई निर्धारित विनिमय-दर नहीं है। 2 अप्रैल 1973 को डालर-स्टर्लिंग दर 2.48 डालर प्रति पौण्ड स्टर्लिंग था।

(ख) रुपया-स्टर्लिंग दर 18.80 रुपये प्रति पौण्ड बनी हुई है लेकिन रुपया-डालर दर में स्टर्लिंग-डालर दर के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। 2 अप्रैल 1973 को रुपया-डालर दर में 7.61 रुपये प्रति डालर थी।

पर्यटन के विकास के बारे में पुर्वी राज्यों को सुझाव

6371. **श्री राज राज सिंह देव : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पूर्वी राज्यों से कहा है कि वे अपनी योजनाओं में पर्यटन विकास को प्राथमिकता दें और

(ख) यदि हां तो संबंधित राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पिछले महीने कलकत्ता में पूर्वी भारत में पर्यटन के संबंध में आयोजित सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर विचार-विमर्श किया गया था जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन की सिफारिशों में से एक में पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन संभाव्यता का विस्तृत अध्ययन करने पर्यटन विकास के स्थानों का अभिनिर्धारण करने तथा केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के विकास से संबंधित तथा उस में रुचि रखने वाले पक्षों को लेकर एक समिति गठन करने का आग्रह किया गया था।

भारत के विदेश व्यापार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भाग लेने में उत्तरोत्तर वृद्धि की नीति

6372. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के विदेश व्यापार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भाग लेने में उत्तरोत्तर वृद्धि की अपनी नीति जारी रखेगी ;

(ख) यदि हां,तो इसका कितना विस्तार किया जायेगा ;

(ग) यह विस्तार किन बातों पर निर्भर होगा ; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत विदेशी व्यापार के कुछ क्षेत्रों में गिरावट आई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जी हां।

(ख) जितना भी संभव होगा।

(ग) सरकारी अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकरण करने के लिए आयात तथा निर्यात की विभिन्न मदों की उपयुक्तता।

(घ) जी नहीं।

भारत और योगोस्लाविया के बीच व्यापार

6373. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पीलू मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के प्रधान मंत्री ने मार्च, 1973 के प्रथम सप्ताह में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके इस दौरे से यूगोस्लाविया को उपभोक्ता वस्तुओं तथा गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं ; और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा और यदि हां, तो किस प्रकार से बनाया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) इस दौरे के दौरान हुए विचार-विमर्शों में दोनों पक्ष भारत-युगोस्लाविया व्यापार संबंधों को बढ़ाने के उपायों का पता लगाने के लिये सहमत हुए। युगोस्लाविया के बाजार में भारतीय निर्मित माल का प्रवेश बढ़ाने का प्रश्न निस्सन्देह ध्यान में रखा जाएगा। तथापि इसमें किस हद तक सफलता मिलेगी यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात

6374. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग संवर्धन परिषद के अधययन ने यह सुझाव दिया है कि भारत को अब से इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में चीन से संभावित प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हांगकांग तथा अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चीन के स्ट्रक्चरल तथा इंजीनियरिंग, सामानों के उपलब्ध होने के बावजूद जिनका मूल्य भारतीय उत्पादों के मूल्यों से कम है, भारत के वस्तुओं की किस्म उनकी तुलना में उत्तम है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इस समय चीन से कोई कड़ी प्रतियोगता नहीं है। अन्यथा भी, इन बाजारों में हमारे निर्यात क्वालिटी तथा मूल्य की दृष्टि से प्रतियोगी रहे हैं।

छठे वित्त आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन

6375. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी राज्य सरकारों ने वित्त आयोग को अपने ज्ञापन प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) क्या केन्द्र ने आयोग को कहा है कि वह सभी राज्यों में जाकर वहां की सरकारों से विचार विमर्श करके अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ; और

(ग) यदि हां, तो आयोग अपना अन्तरिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के ढांचे का पुनरीक्षण करने के लिए चौथे वेतन आयोग की नियुक्ति

6376. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों के ढांचे का पुनरीक्षण करने और वर्तमान वेतनमानों में असंगतियों को दूर करने के लिये चौथा वेतन आयोग नियुक्त करने का नियर्ण किया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार के अपदस्थ होने से पूर्व आयोग की स्थापना करने के बारे में निर्णय नहीं लिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में पुन: निर्णय लेने तथा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, पिछले मंत्रि-मंडल ने यह निर्णय किया था कि राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी, समान्वय समिति तथा अन्य संस्थाओं की, वेतनमानों के ढांचे के पुनर्निमार्ण और सेवा शर्तों सम्बन्धी अनेक मांगों को देखते हुए, इस मामलों की समीक्षा करने और सिफारिशें देने के लिए एक वेतन आयोग का गठन ही उपयुक्त होगा।

(ग) राज्य सरकार से स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

सोने की तस्करी

6377. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सोने की चोरी छिपे लाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) जनवरी, 1973 से मार्च, 1973 तक समूचे देश में चोरी छिपे लाया गया कितना सोना जब्त किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में सोने का किस सीमा तक तस्कर-आयात किया जाता है, इसका विश्वसनीय अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है । तथापि, पकड़े गये सोने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेशों में सोने का भाव बढ़ जाने के कारण, वर्ष, 1971 से देश में सोने के तस्कर-आयात में गिरावट आई है ।

(ख) जनवरी, 1973 से फरवरी, 1973 की अवधि में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए तस्करी सोने की मात्रा 338 किलोग्राम थी । मार्च, 1973 माह के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं तथा सभापटल पर रख दिये जायेंगे ।

Development of Eastern Part of Bihar as a Tourist Spot

6378. Shri M.S. Purty : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have made a request to the Central Government for developing eastern part of Bihar as a tourist spot ;

(b) whether several historical sites exist in this part to attract foreign tourists; and

(c) if so, the reasons for not promoting tourism in this part of Bihar by the Central Government ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c): No such request has been received from the State Government. Places of tourist interest in Bihar are well-known. Due to limited resources and other priorities, the Department of Tourism is concentrating on the development of tourist facilities at Patna, Bodhgaya, Rajgir and Nalanda which draw a large number of tourists from Buddhist countries.

Arrest of Hippies for Smuggling of Hashish and other articles

6379. Shri M.S. Purty : Will the Minister of **Finance** be pleased to state

(a) the number of cases in which Hippies were arrested by the Customs Department in the country during the last two years on the charge of smuggling hashish (Charas) and other articles ;

(b) Whether some Hippies are under prosecution at present; and

(c) if so, the number of such cases ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) :(a) to(c): It is not possible to precisely define the term "Hippie". However, the required information about all foreign nationals arrested on charges of smuggling charas (Hashish) and other contraband is being collected and will be laid on the Table of the House.

वरुत से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में स्टेट बैंक की विदेशी ऋण नीति की आलोचना

6380. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मद्रास से प्रकाशित होने वाले 17 जनवरी, 1973 के "मेल" में स्टेट बैंक फौरेन लोन विजडम क्वश्चन्ड बाई बेरूत जर्नल (बेरूत में प्रकाशित होने वाली पत्रिका में स्टेट बैंक की विदेशी ऋण नीति की आलोचना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण : (क) जी, हां।

(ख) समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार, यूगोस्वालिया में निर्माणाधीन दो ओ बी ओ जहाजों के सम्बन्ध में विदेशी-मुद्रा की आवश्यकताओं के कुछ भाग को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा विदेशी-मुद्रा ऋण लेने के बारे में है। यह ऋण 5 वर्षों में 7 छमाही किस्तों में चुकाया जाना है; पहली किस्त ऋण की रकम की निकासी की तारीख के दो वर्ष बाद देय होगी। इस ऋण पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की निर्धारित दर पर ब्याज लगेगा और यह भारतीय आय-कर से मुक्त होगा। यह ऋण भारतीय राज्य बैंक द्वारा प्रामिसरी नोटों के एवज में लिया गया है। भारतीय राज्य बैंक को स्टाम्प शुल्क के रूप में 0.1 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ेगा।

लेबनानी पौंड एक ऐसी मुद्रा है जिसका मुक्त रूप से रूपान्तरण किया जा सकता है। ऋण दाता बैंकों और भारतीय राज्य बैंक के बीच हुए करार में एक विशिष्ट खण्ड यह शामिल किया गया था कि यदि ऋण राशियां रूपान्तरणीय नहीं होंगी तो यह करार रद्द हो जायेगा। ऋण की राशि का अमरीकी डालरों में रूपान्तरण करके और यूगोस्लाविया के जहाज निर्माण करने वाले कारखाने को अदायगी करके, ऋण का उपयोग किया जा चुका है। ऋण निकासी के समय किये गये रूपान्तरण से कोई घाटा नहीं हुआ था।

ऋण की वापसी-अदायगी दिसम्बर, 1974 में शुरू होगी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार लेबनानी मुद्रा को खरीदने के लिये जो मुद्रा-विनिमय किया जायेगा वह उपयुक्त समय पर विदेशी मुद्रा विद्यमान दरों के अनुसार किया जायेगा। यह एक ऐसा जोखिम है जो किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन में अन्तर्निहित होता है।

यह ठीक है कि इस बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां की गयी हैं, लेकिन इस लेनदेन के सम्बन्ध में जो कुछ टिप्पणियां की गयी हैं वे, कुल मिलाकर, इसके पक्ष में ही हैं।

लेबनानी बैंकों द्वारा जिन शर्तों पर यह ऋण दिया गया था, वे भारत सरकार को स्वीकार्य थीं। विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणों ने भी लेबनान और मध्य-पूर्व के बाजारों में ऋण लिये हैं।

सिने अभिनेता तथा अभिनेत्रियों पर आयकर कर की बकाया राशि

6381. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री सिने अभिनेता तथा अभिनेत्रियों पर अन्य कर बकाया राशि के बारे में 7 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न सं० 305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवरण में उल्लिखित व्यक्तियों पर आय कर की बकाया राशि वसूल करने के लिये इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उनके विभाग के अधिकारी श्री एम० जी० रामचन्द्रन के विरुद्ध करापवंचन के अभियोगों की जांच कर रहे थे ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बकाया को वसूल करने के लिये आयकार अधिनयम में दिये गये विभिन्न उपाय किये गये हैं जैसे—कारण—बताओ नोटिस जारी करना, धारा 221(1) के अधीन दण्ड लगाना, धारा 226 (2) के अधीन वेतन अभिग्रहण करना, धारा 226(3) के अधीन बैंक-खातों, ऋणों, किराये का अभिग्रहण करना, कर-वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना, चल तथा अचल सम्पत्तियां कुर्क करना, किस्तें मंजूर करना, दिवालिया घोषित होने के मामलों में सरकारी अधिन्यासी के पास दावे दाखिल करना, आदि। इनके परिणामत: बकाया की बहुत अधिक रकम वसूल कर ली गई है। लोक सभा में 7 अप्रैल 1972 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 305 के उत्तर में उल्लिखित व्यक्तियों की तरफ 29-2-1973 को बकाया पड़ी रकमों, वसूल/कम की गई रकम, 15-3-1973 को बकाया पड़ी रकम, बकाया को वसूल करने के लिए किये गये अतिरिक्त उपाय। टिप्पणियों, का ब्यौरा सदन के मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया 1 देखिये संख्या एल० टी० 4743/73)

(ख) और (ग) श्री एम० जी० रामचन्द्रन के विरुद्ध अब तक कर-अपवंचन का इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है, भले ही उनके आय-कर निर्धारणों में वृद्धियां विवादग्रस्त हैं और परिणामत: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (1) (सी) के अधीन कार्यवाही दो वर्षों के संबंध में शुरू की गई है। कार्यवाही अभी पूरी होनी है।

सरकारी क्षेत्र के होटलों का कार्य

6382. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 22 जनवरी, 1973 के "दि हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में "पब्लिक सेक्टर होटल्ज रिपोर्ट पूअर रिजल्ट्स (सरकारी क्षेत्र के होटलों का असन्तोषजनक कार्य)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कुल लाभ की दृष्टि से, भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने सभी वाणिज्यिक क्रियाकलापों से, जिन में होटल भी, सम्मिलित हैं, वर्ष 1971-72 के दौरान 101.84 लाख रुपये का लाभ कमाया जबकि उससे पिछले वर्ष यह 93.83 लाख रुपए था । 1971-72 के दौरान निगम के शुद्ध लाभ में प्रत्येक गिरावट, जिस का उल्लेख प्रेस रिपोर्ट में किया गया है, बढ़े हुए मूल्य-ह्रास तथा डेवलपमेंट रिबेट रिज़र्व के लिये व्यवस्था करने के कारण है ।

बोइंग 747 विमान में सीटों पर संख्या न लिखी होने के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा

6383. **श्री एस० एम० बैनर्जी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग 747 विमान में सीटों संख्या पर नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उन्हें इस कारण से यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) एयर इण्डिया के विमान-बेड़े के बोइंग 747 विमानों में, सीटों पर नम्बर दिये होते हैं तथा यात्रियों को विशेष सीटें आवंटित (अलाट) की जाती हैं । परन्तु, इण्डियन एयर लाइंस के विमान-बेड़े के बोइंग 737 विमानों में यद्यपि सीटों पर नम्बर दिये होते हैं तथापि यात्रियों की सुविधा के तौर पर उनमें "फ्री सीटिंग" (ऐच्छिक सीटों) की प्रणाली चालू की गयी थी । "फ्री सीटिंग" प्रणाली में परिवारों तथा समूहों में यात्रा करने वाले मित्रों द्वारा साथ-साथ सीटें न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । अतः, इण्डियन एयरलाइंस ने "फ्री सीटिंग" व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय किया है ।

कम्पनियों द्वारा धनराशि का बाहर भेजना

6385. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या वित्त मंत्री भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा धन विदेशों में भेजे जाने के बारे में 9 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2755 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 में इन कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी द्वारा कुल कितनी धनराशि बाहर भेजी गई और प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत अलग-अलग कितनी-कितनी राशि भेजी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1969-70 और 1970-71 में विदेशी कम्पनियों की 75 शाखाओं द्वारा लाभांश के रूप में भेजी गई रकमों का ब्यौरा दिया गया है, इनमें विदेशी बैंकों की वे शाखाएं भी शामिल हैं जिनका उल्लेख 9 मार्च 1973/18 फाल्गुन 1894 (शक) के लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2755 के उत्तर में किया गया था । (ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 4744/73) मर्केण्टाइल बैंक लिमिटेड, युनाइटेड किंगडम, और मर्केण्टायल बैंक लि० हांगकांग द्वारा प्रेषित लाभ की राशियों के बारे में सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी गई जायेगी ।

इन दो वर्षों के दौरान ई० आई० डी० पैरी लिमिटेड ही केवल एक ऐसी विदेशी निगमित कम्पनी है जिसने रायल्टी की अदायगियों के सम्बन्ध में बाहर रकमें प्रेषित की हैं तथा जिसके द्वारा 1969-70 और 1970-71 के वर्षों में क्रमशः 0.94 लाख रुपये और 1.06 लाख रुपए की राशियां प्रेषित की गयी थीं ।

भारत में 75 समृद्ध परिवारों से करों की वसूली

6386. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वित्त** मंत्री 9 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2724 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन 75 परिवारों में प्रत्येक परिवार से, गत दो वर्षों के दौरान, विभिन्न प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत कुल कितना कर एकत्र किया गया है ;

(ख) इन परिवारों में से प्रत्येक परिवार पर कर की कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) इन परिवारों में से प्रत्येक परिवार के लिये गत दो वर्षों के दौरान करों की कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) दिनांक 9 मार्च, 1973 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2724 के उत्तर में तीन सूचियां दी गई थीं जिनमें तीन वर्षों 1969-70, 1970-71, और 1971-72 में से प्रत्येक वर्ष में चोटी के 75 धन-कर निर्धारितियों के नाम दिये गये थे। इन तीनों सूचियों में अधिकांश नाम एक से हैं। तथापि इन तीनों सूचियों में निर्धारिती परिवारों की कुल संख्या 100 है। इन परिवारों के सम्बन्ध में सूचना इक्कठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

बंबई हवाई अड्डे पर 3 मार्च, 1973 को बिना टिकट यात्रा करने की घटना के बारे में जांच प्रतिवेदन

6387. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
श्री एम० एस० शिवस्वामी } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंबई हवाई अड्डे पर 3 मार्च, 1973 को बिना टिकट यात्रा करने की घटना के बारे पर में सरकार द्वारा नियुक्त एक-सदस्यीय जांच आयोग ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर हशीश का पकड़ा जाना

6388. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मार्च, 1973 को लन्दन जा रहे यात्री से दिल्ली हवाई अड्डे पर 1.5 लाख रुपये के मूल्य की हशीश पकड़ी गई ; और

(ख) यदि हां, तो उन यात्रियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) दिल्ली हवाई अड्डे पर 8 मार्च, 1973 को फ्रैंकफर्ट जा रहे तीन विदेशी राष्ट्रिकों के पास से (प्रचलित अवैध बाजार-मूल्य पर) लगभग 21,000 रुपए मूल्य की हशीश (चरस) पकड़ी गयी, जिसका वजन 21.250 किलोग्राम था।

(ख) तीनो विदेशी गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा आगे जांच-पड़ताल जारी है।

आयातित अनाज सहित खाद्यान्नों के लिए धन देने के बारे में वाणिज्यिक बैंकों को निदेश

6389. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य निगम द्वारा सम्भाले जा रहे आयातित अनाज सहित खाद्यान्नों के लिए धन देने के बारे में वाणिज्यिक बैंकों को निदेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह से निदेश का औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों को कोई निदेश नहीं दिये गये हैं। परन्तु, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 1970 में गठित बैंकों का सहायता संघ, जिसका नेता भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा निपटाए जाने वाले आयातित अन्न सहित अनाज वसूल करने वाले अभिकरणों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रमुखतः इसलिये करता है क्योंकि अनाज जो व्यापक रूप से उपभोग में लाई जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुएं हैं, के मूल्य का नियमन करने और वितरण करने में सामाजिक लक्ष्य निहित है।

Export of Monkeys

6390. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of monkeys exported to foreign countries during the financial years 1971-72 and 1972-73;

(b) the amount of foreign exhange earned thereby during the said period; and

(c) the target of estimated amount of foreign exchange to be earned from export of monkeys during 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of commerce (Shri A. C. George): (a) and (b) The number and value of monkeys exported during 1971-72 and 1972-73 (April—September, 1972) are given below :—

1971-72		1972-73 (April—September, 1972)	
No.	Value (Rs. Lakhs)	No.	Value (Rs. Lakhs)
53170	37·96	15875	16·19

(c) The exports to be allowed during 1973-74 would be under 30,000 monkeys. On the basis of the prevailing unit value, the utilization of the entire quota, may fetch about Rs. 30 lakhs in foreign exchange.

Foreign Exchange Earning from Export of Pig Tallow and Cow and Calf hides during 1972-73

6391. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned from export of pig tallow and cow and calf hides during the financial year 1972-73; and

(b) the target of estimated amount of foreign exchange to be earned from export of the said commodities during the financial year 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) Pig tallow has not been exported during the year 1972-73. Exports of E.I. and Chrome Tanned Cow hides and Cow-Calf skins during April, 1972 to February 1973 are estimated at Rs. 44·86 crores.

(b) Export of semi-processed hides and skins will be regulated by a quota system with effect from 1973-74. Decision about quota for different categories of this commodity will be fixed shortly. An estimate of export earnings with respect of this commodity in 1973-74 can be given thereafter.

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के नागरिक हवाई अड्डे को विमान यातायात के लिये खोलने का प्रस्ताव

6392. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से दिल्ली तक बरास्ता गोरखपुर विमान सेवा शुरू करके गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के नागरिक हवाई अड्डे को विमान यातायात के लिये खोलने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां; तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) गोरखपुर में एक सैनिक हवाई अड्डा है ; तथा वहां से विमान सेवाएं प्रारम्भ करके एवं एक सिविल एन्कलेव का निर्माण करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । ऐसी सेवाओं के मार्ग का निर्धारण यातायात के प्रवाह, वाणिज्यिक उपयोगिता, विमान-बेड़े की उपलब्धता आदि को दृष्टि में रख कर किया जाएगा ।

Credit facilities to Tea Growers

6393. Shri Mahadeepak Singh Shakya :Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Tea Research Committee has recommended to the Tea Board that with a view to boosting tea production and improving the quality there of it is necessary to extend adequate credit facilities to tea growers on easy terms; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) :(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Expenditure on Civil Services

6394. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of expenditure incurred on the Civil Services to the total receipts of Central Government;

(b) the percentage of expenditure incurred on development works to the total receipts; and

(c) whether the expenditure on these heads has increased or decreased during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) :

(a)	1970-71	1971-72	1972-73 (B.E.)
	83·0%	84·6%	82·4

(b) It is presumed that the Hon'ble Member has in view Plan expenditure the percentage of which to the total receipts is indicated below :

1970-71	1971-72	1972-73 (B.E.)
31·8%	31·0%	40·0%

(c) The expenditure on these heads which indicates the trend during the last three years is as follows :

(In crores of Rupees)

	1970-71 Actuals	1971-72 Actuals	1972-73 B.E.
Expenditure on Civil Services	4,474	5,626	5,404
Plan Expenditure	1,714	2,025	2,624

Expenditure on Publication and Tourist Literature Brought out by the Department of Tourism During the Year 1970, 1971 and 1972.

6395. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Department of Tourism brought out some publications and tourist literature during the years 1970, 1971 and 1972, and

(b) if so, the different languages in which these were published and the expenditure incurred on each of them?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes Sir.

(b) Publicity literature has been produced in English, German, French, Spanish, Italian and Hindi. A statement is attached. [Placed in Library. See No. L.T. 4745/73.]

केनिया को हल्की इंजीनियरिंग वस्तुओं की सप्लाई के बारे में भारत की पेशकश

6396. **चौ० राम प्रकाश** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केनिया को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर हल्की इंजीनियरिंग वस्तुओं की सप्लाई के बारे में पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं कौन-कौन से हैं ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे तम्बाकू के निर्यात में गिरावट

6397. **श्री राम प्रकाश** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तम्बाकू के निर्यात में अपेक्षाकृत गिरावट हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं । अप्रैल से फरवरी, 1972-73 की अवधि में, अनिर्मित तम्बाकू के हमारे निर्यात 58 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1971-72 की इसी अवधि के दौरान ये निर्यात 37.28 करोड़ रुपए मूल्य के रहे ।

भारत से चांदी की तस्करी

6399. **श्री भान सिंह भौंरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि तस्करों के एजेंट सभी उपलब्ध चांदी उत्तर भारत के गांवों से खरीद रहे हैं और इसे 35 किलोग्राम की ईंटों में बदल रहे हैं ;

(ख) क्या ये ईंटें बैंक के लाकर में रखी जाती हैं और कुछ विमान कम्पनियों की मदद से मौका पाकर ये ईंटें भारत से बाहर भेज दी जाती हैं ; और

(ग) यदि हां तो भारत में चांदी की तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। परन्तु चांदी बम्बई में जो देश का प्रमुख सर्राफा बाजार है तथा अन्य सर्राफा केन्द्रों पर प्राप्त होती है । चांदी देश के विभिन्न भागो से जिनमें उत्तरी भारत भी शामिल है प्राप्त होती है । यह अधिकतर सिल्ली के रूप में होती है जिसका वजन लगभग 30 से 35 किलोग्राम होता है ।

(ख) बैंक लाकरों में रखी गई चांदी की सिल्लीयों के बारे में सीमाशुल्क अधिकारियों को सूचना दे दी जाती है और वे तस्कर-निर्यात के लिये नहीं होती है। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कुछ एयरलाइनों की सहायता से चांदी का तस्कर निर्यात किया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि चांदी का तस्कर-निर्यात अधिकतर यंत्र चालित नौकाओं के जरिये किया जाता है ।

(ग) भारत से चांदी के तस्कर निर्यात को रोकने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना जिन व्यक्तियों पर तस्कर व्यापार करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, समुद्र तट एवं भूसीमाओं आदि पर सुगमता से वार कर सकने योग्य क्षेत्रों पर निगरानी रखना। प्रभावी रूप से मार्ग में रोकने तथा रोक-थाम करने आदि के लिए समय-समय तर अतिरिक्त मोटर-नौकाएं तथा वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सीमाशुल्क के समाहर्ता, सीमाशुल्क के अपर समाहर्ता तथा सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की देखभाल करने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। सीमाशुल्क अधिनियम 1962 को संशोधित किया गया है जिसमें उन नियामक उपायों की व्यवस्था की गयी है जो उस विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किये जाते हैं जो भारत के पश्चिमी समुद्र-तट से 50 किलोमीटर अन्दर तक फैला है तथा पूर्वी तट का वह भाग जो तमिल नाडु तथा पाण्डिचेरी के अन्तर्गत आता है। इन विनियमों में परिसरों के सीमाशुल्क विभाग को घोषित करने, वाउचर के अन्तर्गत चांदी को भेजने, निर्धारित हिसाब-किताब रखने तथा अवास्तविक व्यक्तियों के नाम से बिक्री नहीं करने देने के लिये उपयुक्त उपाय करने की व्यवस्था की गई है। स्थिति की सतत समीक्षा की जाती है ।

उत्तर प्रदेश में विदेशी कपड़ों का आयात करने वाले गिरोह का पता लगाना

6400. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग द्वारा हाल ही में विदेशी कपड़ों का आयात करने वाले एक बड़े गिरोह का उत्तर प्रदेश में पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस में कितने व्यक्ति शामिल थे और कितने मूल्य का कपड़ा पकड़ा गया ; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) ऊनी चीथड़ों के आयात-लाइसेंसों पर विदेशी उपेक्षित पोशाकों की बिक्री संबंधी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, उत्तर भारत और बम्बई के विभिन्न नगरों में की गई कार्यवाही के अंग के रूप में उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों से 1972 में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 926 गांठें पकड़ी गयी जिनके बारे में यह सन्देह था कि उनमें आयात किये गये उपेक्षित कपड़े थे । अभी तक उनकी कीमत का अनुमान लगाना व्यवहारिक नहीं है। जिन व्यक्तियों से ये गांटें पकड़ी गयी थी उनके नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं। (ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 4746/73)

(ग) सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कारण-बताओं नोटिस जारी कर दिये गये हैं और ये मामले न्याय-निर्णयाधीन है ।

इंजीनियरिंग सामान के निर्यात पर इस्पात की कमी का प्रभाव

6401. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस्पात की कमी से इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : स्टील की कम सप्लाई को देखते हुए इंजीनियरी माल के निर्यातकों की स्टील संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये थे:—

(1) निर्यात अधिमुख उद्योगों के लिए स्वदेशी साधनों से स्टील की सप्लाई को बहुत प्राथमिकता दी गई है।

(2) स्टील के विपुल आयात के लिए एक स्कीम तैयार की गई और उसे 18.4.1972 को घोषित किया गया जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि निर्यातक एककों को निश्चित आदेशों के आधार पर आयातित स्टील की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई की जाएगी।

(3) विद्यमान स्टील यंत्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक उपाय भी शुरू किये गये हैं।

विदेशों के भण्डारों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए चाय बोर्ड और पत्तन आयुक्त कलकत्ता के बीच करार

6402. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या विदेशों के भण्डारों को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये भारतीय चाय बोर्ड ने कलकत्ता के पत्तन आयुक्त के साथ हाल ही में करार किया है;

(ख) यदि हां, तो चाय बोर्ड द्वारा किन-किन देशों के भण्डारों को अपने नियन्त्रण में लिया गया है; और

(ग) इस करार के अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारतीय व्यापार में गिरावट

6403. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से पूर्व यूरोपिय देशों के साथ व्यापार में भारत को काफी हानि हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश की हुई हानि को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। भारत तथा पूर्व यूरोपीय देशों के बीच अन्य क्षेत्रों की तरह माल का विनिमय विश्व प्रतिस्पर्धा कीमतों के अनुसार होता है और इसलिए हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अल्प-बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा-खातों को बढ़ाना

6304. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष के दौरान पहले सात महीनों में अर्थात्: अक्तूबर 1973 तक अल्प बजत योजनाओं के अन्तर्गत 129.84 करोड़ रूपये शुद्ध जमा हुए जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एकत्र की गई राशि अर्थात्: 64.37 करोड़ रुपये के दो गुने से भी अधिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बाकी के 5 महीनों में यदि इसी गति को आनुपातिक रूप से बनाये रखा गया तो वर्ष 1972–73 में अल्प बचत के अन्तर्गत एकत्रित की गई सम्पूर्ण राशि वर्ष 1973–74 के बजट प्राक्कलनों से अधिक होगी अथवा कम ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अप्रैल से अक्टूबर 1972 तक की अवधि में अल्प बचतों से 123.23 करोड़ रुपये (लगभग) की शुद्ध राशि संग्रहित हुई थी जबकि इससे पहले वर्ष की इसी अवधि में 64.37 करोड़ रुपये की राशि संग्रह किया गया था।

(ख) अल्प बचतों की संग्रहीत शुद्ध राशियों के बिल्कुल हाल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे जनवरी 1973 तक के हैं। अप्रैल 1972 से जनवरी 1973 तक की अवधि में अल्प बचतों से 210.51 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि संग्रहीत हुई थी जबकि इससे पहले वर्ष की इसी अवधि में 126.15 करोड़ रुपये की राशि का संग्रह किया गया था। वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि 1972–73 में संग्रहीत अल्प बचतों की शुद्ध राशियां 1972–73 के संशोधित बचत अनुमान की 300 करोड़ रुपये की राशि से बढ़ जायेंगी। किन्तु इस समय यह कहना संभव नहीं है कि 1972–73 में संग्रहित अल्प बचतों की शुद्ध राशि 1973–74 के बजट अनुमान अर्थात 325 करोड़ रुपये तक पहुंच जायगी।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, कोटद्वार (उत्तर प्रदेश) द्वारा प्राप्त ऋण सम्बन्धी (आवेदन-पत्र)

6405. **श्री रामन सेन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों की ओर से ऋण के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया कोटद्वार (उत्तर प्रदेश) को वर्ष 1972 में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) क्या इनमें से कुछ का ऋण मंजूर किया गया है ; और

(ग) यदि हां तो कितने आवेदन-पत्रों के लिए ऋण मंजूर किया गया है और कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया कोटद्वार शाखा (उत्तर प्रदेश) ने कोटद्वार में स्थापित लघु उद्योगों से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किये हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

पांचवी योजना के दौरान केरल में पर्यटन-केन्द्रों का विकास

6406. **श्रीमती भार्गवी तकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान केरल में पर्यटन केन्द्रों के विकास की योजनाओं को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ; और यदि हां तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ; और

(ख) उक्त योजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय क्षेत्र में योजनागत स्कीमों को राज्यवार आधार पर तैयार नहीं किया जाता। पूंजी विनियोजन का कार्य देश के विभिन्न क्षेत्रों के पर्यटकों के लिये वास्तविक तथा संभावित आकर्षणों को ध्यान में रख कर किया जाता है। पर्यटन विभाग की पांचवीं योजना की स्कीमें अभी तैयार की जा रही हैं। निःसन्देह केरल सरकार भी राज्य क्षेत्र में पर्यटन विकास की योजनाएं तैयार करेगी।

Conference of Ministers of Tourism of Various Countries in Colombo on 20th March, 1973

6407. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Ministers of Tourism of India, Pakistan, Nepal, Afghanistan, Iran, Mongolia and Sri Lanka met in Colombo on the 20th March, 1973;

(b) if so, the main conclusion reached there; and

(c) the extent to which India is likely to be benefited thereby ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) The meeting in Colombo from 20th to 22nd March, 1973 was not at Minister level. It was a meeting of the South Asia Regional Travel Commission, whose permanent Secretariat in Colombo was inaugurated by the Prime Minister of Sri Lanka on the 20th March. Of the 7 countries of the Regional Commission, India, Pakistan, Iran and Sri Lanka were represented all at official level.

(b) The discussions covered, *inter alia*, the formulation of International Hotel Classification Standards, Joint Research Surveys in the major tourist generating markets, the Air-fare Structure to the South Asia Region and Regional Cooperation in Training, Publicity and Promotion. Two Working Parties were set up respectively to deal with Hotel Classification and Tourism Research. The Regional Secretariat was authorised to take up certain other Studies to enable joint decisions to be taken at the next meeting of the Council.

(c) India is a Member of the International Union of Official Travel Organisations and of the South Asia Regional Travel Commission of that Organisation. International and Regional cooperation in tourism development is likely to be of continuing benefit to India by way of inter-change of ideas, availability of expert advice and training facilities and cooperative schemes of development of tourism facilities.

भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर तस्करी को रोकने के लिए जांच समिति का गठन

6408. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर ऐसे लोग हैं जो तस्करी की गतिविधियों में संलग्न है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई जांच समिति गठित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस प्रकार के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जिनमें इक्के-दुक्के मामलों को छोड़कर हवाई अड्डे पर काम करने वाले कुछ गैर-सरकारी कर्मचारी तस्कर व्यापार की गतिविधियों में संलग्न पाये गये थे ।

(ख) तथा (ग) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

Export of Opium

6409. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether 60 per cent of the world's consumption of opium is exported by India;

(b) whether opium is cultivated in Uttar Pradesh, Rajasthan and Maha rashtra in India;

(c) whether the quality of opium which was being produced in Champaran (Bihar) was better than that produced in the above States but opium cultivation in Champaran was stopped by Government; and

(d) if so, whether Government propose to restart opium cultivation in Champaran (Bihar)?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) India's contribution in the total world's exports of opium is about 85%.

(b) Poppy for the production of opium is cultivated in certain districts in the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan. There is no cultivation of opium in Maharashtra.

(c) Poppy cultivation in Bihar was abandoned in the year 1910. It is not possible to say anything about the quality of opium which used to be produced in Bihar as the records pertaining to the year 1910 and before are not available.

(d) There is no proposal, at present, to start opium cultivation in Champaran (Bihar).

Proposal to Tighten the System of making Search of Passengers Travelling in the Planes of Indian Airlines and Air India

6410. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to further tighten the system of making thorough search of passengers travelling in the planes of Indian Airlines and Air India before undertaking the journey in view of the domestic and international situation ;

(b) whether Government also propose to make any arrangements to make search of all the persons of civil aviation Department concerned with their flights; and

(c) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Under the present security arrangements, all air passengers are frisked by specially deputed personnel before boarding the aircraft. Electronic devices have also been installed at selected airpots to screen them. The security arrangements are continually under review.

(b) and (c) While the staff handling flights are not individually searched, care is taken to ensure their reliability and they are required to carry identification cards/Badges.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम और औद्योगिक ऋण तथा पूंजी-निवेश निगम द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता

6411. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित निगम और औद्योगिक ऋण तथा पूंजी निवेश निगम ने कुछ राज्यों के दावों की तुलना में अन्य राज्यों को भेदभाव पूर्ण वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) उपरोक्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को गत तीन वर्षों में (क) 10 प्रतिशत अनुदान अथवा राज सहायता (दो) वित्तीय सहायता और (तीन) पुर्नवित सहायता के रूप में कितनी कितनी राशियां उपलब्ध की;

(ग) उपरोक्त अवधि में मंजूर किये गये तथा मंजूरी के लिये लम्बित आवेदनपत्रों का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता, अनुदान तथा सहायता के समान वितरण की नीति निर्धारित करने के लिये एक पुनर्विलोकन समिति बनाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं । वित्तीय संस्थाएं सहायता के लिए व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार करती हैं बशर्ते कि वे तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक क्षमता के मापदण्ड पर पूरे उतरते हों ।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्यवार आर्थिक सहायता का वितरण एवं स्वीकृत तथा वितरित पुनर्वित सहायता और 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय वित्त निगम और भारतीय ऋण और निवेश निगम द्वारा स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता का ब्यौरा कमश: 1, 11 और 111 विवरणों में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखे गये–देखिये संख्या एल०टी० 4747/73] केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य स्तर समन्वय समिति द्वारा 10 प्रतिशत सीधा अनुदान अथवा राज सहायता स्वीकृत हुई है । बहुत से अधिकरणों के द्वारा जिनमें वित्तीय संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, वितरण किया जाता है । उपर्युक्त संस्थाओं में अभी तक इस योजना के अन्तर्गत कोई वितरण नहीं किया है ।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय वित निगम द्वारा गत तीन वर्षों में स्वीकृत आवेदन-पत्रों का राज्यवार वितरण तथा 31–3–1972 तक रुके हुए आवेदन पत्र सम्बद्ध विवरण IV में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया–देखिये संख्या एल०टी० 4747/73] भारतीय ऋण और निवेश निगम सम्बन्ध में ऐसी सूचनाएं इकठ्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जाएंगी ।

(घ) जी नहीं ।

दम दम हवाई अड्डे को जम्बो जेट विमानों के लिये उपयोग में लाने का निश्चय

6412. **श्री समर गुह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दम दम हवाई अड्डे को जम्बो जेट विमानों के लिये भी प्रयोग में लाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये हैं ;

(ग) क्या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने भी अब दम दम हवाई अड्डे पर विमान रोकने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां तो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा इस निर्णय को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एयर इंडिया पांचवी योजना के प्रारम्भ में दम दम से होते हुए जम्बो जेट सेवाएं परिचालित करने की योजनाएं बना रही है। कलकत्ता पर टर्मिनल तथा परिचालन सुविधाएं इन विमानों के लिए पहले ही उपयुक्त हैं तथा थल संचालन सुविधाओं की व्यवस्था भी एयर इंडिया द्वारा यथा-समय कर दी जायेगी ।

(ग) सात अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां कलकत्ता से होते हुये पहले ही परिचालन कर रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

लीड बैंक के रूप में सैण्ट्रल बैंक द्वारा छोटे व्यापारियों, शिल्पियों, बुनकरों और खेतीहरों को दिया गया ऋण

6419. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेण्ट्रल बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 'लीड बैंक' के रूप में छोटे व्यापारियों, शिल्पियों, बुनकरों और खेतीहरों को कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं ; और

(ख) क्या कृषकों, खेतीहारों, बुनकरों को आसान शर्तों पर ऋण लेने के लिये आकर्षित करने को कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो उक्त योजना का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य नेता जिलों में सेण्ट्रल बैंक द्वारा विशिष्ट श्रेणी के ऋण-कर्ताओं को दिये गये ऋणों के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। फरवरी, 1973 को मांगी गयी सूचना इस प्रकार थी :

	फरवरी, 1973 के अन्त में	
	लेखों की संख्या	राशि
		(लाख रुपयों में)
1. छोटे व्यापारी	2,549	81.66
2. आत्म नियोजित व्यक्ति जैसे कामगर और बुनकर	4,508	41.54
3. कृषक	33,811	1418.00

नेता जिलों में बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को, जिसमें 42163 खाते शामिल हैं, दिये गये अग्रिमों की कुल राशि 19.34 करोड़ रुपये हैं।

(ख) बैंक द्वारा बनाई गई कुछ विशेष योजनाएं ये हैं :—

1. छोटी सिंचाई, ट्रैक्टरों की खरीद उत्पादन वित्त तथा दुग्धशाला, मुर्गीपालन मत्स्य पालन आदि जैसे कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए कृषि योजनाएं।

2. महाराष्ट्र के नेता जिलों में भैंसे खरीदने की योजनाएं।

3. सक्षम समुदाय बनाने के लिये गैर किफायती उन छोटे किसानों को, जिनकी जोतें बिखरी हुई और गैर-किफायती हैं, साथ मिलाकर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बहुत छोटी-छोटी जोतों वाल क्षेत्र में भूमि विकास के लिए वित्त व्यवस्था के प्रत्येक समुदाय को गहरे नल कूपों के निर्माण तथा नालियां बनाने के मिले जुले कार्यक्रम से लाभ होता है।

4. कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिये उद्यमकर्ताओं को सहायता देना तथा भूमि खरीदने के लिये बेरोजगार कृषि स्नातकों के लिये तथा कृषि कार्य करने के लिये वित्त व्यवस्था।

5. बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिये महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से बनाई गई योजना जिसके अन्तर्गत प्रति हथकरघा 1500 रुपये तक तथा प्रति बिजली करघा 5000/- रुपये तक कार्यचालन पूंजी ऋण दिया जायेगा। इन सभी मामलों में, ऋण स्वीकार करने के सम्बन्ध में प्रतिभूति, मार्जिन आदि सम्बन्धी सामान्य शर्तों में ढील दे दी जाती है ताकि वे स्थानीय शर्तों के अनुरूप हो जाएं।

कूच-बिहार (पश्चिम बंगाल) में "लीड बैंकों" की शाखाएं खोलना

६४१४. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में वर्ष 1972–73 तक 'लीड बैंकों' की कितनी शाखाएं किन किन स्थानों पर खोली गयी; और

(ख) जिला कूच बिहार में और कितनी शाखाएं खोली जायेंगी और किन किन स्थानों पर ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने, जो कूच बिहार जिला के लिये लीड बैंक है, 31 दिसम्बर, 1972 तक वहां 7 कार्यालय खोले हैं। ये कार्यालय हल्दीबाड़ी, माथाभांग, मेकलीगंज, तूफानगंज, कूच बिहार, दीवानहाट और पंदीबाड़ी में हैं। सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के पास दीनाहाट में कार्यालय खोलने के लिये लाइसेंस है। निम्नलिखित 7 स्थानों में, जिन्हें जिलों में विकास-केन्द्रो के रूप में पृथक किया गया है, यथा समय बैंक कार्यालय खोले जाने की आशा है :—सीतालकुची, गोसीनीमारी, निशिगंज, बनेश्वर, वामनहाट या चौधरी हाट जमालदाह और बक्सीर हाट।

तमिलनाडु में स्टेट बैंक की नागरकोइल शाखा के साथ धोखाधड़ी

6415. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनडु में स्टेट बैंक की नागरकोइल शाखा के साथ हाल ही में लोगों के एक समूह ने धोखाधड़ी की थी ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) क्या सरकार को स्टेट बैंक की नागरकोइल शाखा के प्रबन्धक से इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) 53,700 रुपये ।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी गयी है और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा भविष्य निधि लेखों की विवरणियां जमाकर्ताओं को भेजना

6416. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध, नई दिल्ली द्वारा सामान्य भविष्य निधि के जमाकर्ताओं को उनकी लेखा विवरणियां किस महीने तक भेजनी अपेक्षित होती हैं ;

(ख) वर्ष 1972–73 की लेखाविवरणियां किस महीने तक भेजी जायेंगी ;

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई विलम्ब है तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं कि उक्त विवरणियां निर्धारित महीने में ही जमाकर्ताओं को मिलें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) परवर्ती लेखा वर्ष के अगस्त के अन्त तक ।

(ख) जनवरी, 1974 तक ।

(ग) और (घ) : महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में दो बार में, अर्थात् 1 अप्रैल 1970 से और 1 अप्रैल 1971 से सामान्य भविष्य निधि लेखों को, बहुत बड़ी संख्या में, संगणक द्वारा तैयार किया जाने लगा है । महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण कार्य एवं विविध के कार्यालय में भी 1 अप्रैल 1971 से संगणक का प्रयोग आरम्भ कर दिया गया है । व्यक्तियों द्वारा रखने की प्रणाली को संगणकों के प्रयोग में परिवर्तित करने में संक्रमण कालीन विभिन्न कठिनाइयां और समस्याएं उपस्थित हुई, जिनके कारण 1971–72 और 1972–73 के खाते बन्द करने में विलम्ब हुआ । विलम्ब को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और कोशिश है कि निकट भविष्य में निर्दिष्ट महीने के पास पहुंचा जाय ।

चाय बोर्ड द्वारा दार्जिलिंग स्थित दुतेरिया और कलेज वैली टी एस्टेट्स को दी गई राज-सहायता

6417. **श्री बी०के० दासचौधरी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग स्थित दुतेरिया और कलेज वैली टी एस्टेट्स को ऋण तथा राज सहायता के रूप में कुल कितनी राशि प्रदान की ;

(ख) क्या ऋणों की वापसी के सम्बन्ध में प्रगति सन्तोषजनक है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन दोनों एस्टेट्स ने टी एस्टेट्स के गैर कानूनी रूप से बन्द होने के पश्चात पिछले वर्ष किए गए समझौतों के अन्तर्गत अपने श्रमिकों को बोनस तथा भविष्य निधि अंशदानों को छोड़ने को बाध्य किया ; और

(घ) क्या इन्हीं प्रबन्धकों के अधीन अन्य टी एस्टेटस को चाय बोर्ड ने, देश के श्रम नियमों के उल्लंघन के पश्चात भी, उदार शर्तों पर इस बीच ऋण एवं राज सहायता दी है और दी जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) दूतेरिया तथा कलेज वैली टी एस्टेट्स प्रा० लि० केवल दो चाय एस्टेटों अर्थात दूतेरिया टी एस्टेटस और कलेज वैली टी एस्टेट के मालिक हैं। बोर्ड की त्रिवर्षीय वित्तीय सहायता योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर किये गये, संवितरित किये गये तथा शेष रहे ऋण तथा राज सहायता इस प्रकार है :

	दूतेरिया टी एस्टेट्स	कलेज बैली टी एस्टेट्स
रोपण वित योजना		
मंजूर की गई	3,96,000 (1965 में)	2,20,770 (1967 में)
31–3–73 तक संवितरित की गई	3,30,000	1,30,635
पुनरोपण सहायता योजना		
मंजूर की गई	98,760	–
31–3–73 तक संवितरित की गई	17,190	–
चाय मशीनरी किराया खरीद योजना		
मंजूर किया गया	1,73,960.70	2,05,080.81
बकाया	29,028.56	23,028.05

एस्टेट द्वारा पुन:भुगतान कार्य संतोषजनक है।

(ग) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जनाकारी नहीं है।

(घ) दूतेरिया तथा कलेज वैली टी एस्टेटस प्रा० लि० के प्रबन्ध के अधीन अन्य कोई चाय एस्टेट नहीं है।

हवाई अड्डों की सुरक्षा का कार्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को सौंपने का प्रस्ताव

६४१९. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हवाई अड्डों की सुरक्षा का कार्य केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा दल को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां, सुरक्षा एवं तत्संबंधी कार्यों के लिये दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा दल नियुक्त करने का निर्णय किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों की वसूली के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण

६४२०. श्री अनादिचरण दास : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों की वसूली के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कितनी राशि के ऋण लिये हैं ;

(ख) क्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं राज्य सरकारों को किसी भी सीमा तक ऋण देने के लिए स्वतन्त्र हैं ; और

(ग) क्या बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अनाज वसूली के काम के लिये बैंकों के संघ (कंसार्शियम) से लिये गये ऋणों की बकाया रकम जून 1972 में अधिकतम अर्थात् 110.7 करोड़ और 9 मार्च, 1973 को न्यूनतम अर्थात् 23.4 करोड़ रुपये के बीच थी।

(ख) बैंकों का संघ (कंसार्शियम), जो अन्न की वसूली, संग्रह और वितरण के लिये राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों की बैंक-ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अनाज की वसूली के अनुमानित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम देता है।

(ग) बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकारों को ऐसे अग्रिम स्वीकार करने से पूर्व ही अनुमति लेनी पड़ती है। परन्तु राज्य-सरकारों का यह सावधानिक दायित्व है कि वे बैंकों से कोई भी ऋण-सुविधा लेने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमति लें।

कालीकट हवाई अड्डा

6421. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या योजना आयोग ने इस प्रकार का संकेत दिया है कि उक्त कार्य को पांचवीं योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 213.15 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा उसकी बाड़ लगा दी गयी है। व्यय के प्राक्कलन तैयार हैं। योजना आयोग के अनुमोदन के लिये एक संशोधित प्रायोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है तथा जल्दी ही भेज दी जाएगी।

गिरिडीह और झुमरीतलैया के अभ्रक निर्यातकों द्वारा कम राशि के बीजक बनाना

6422. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गिरिडीह और झुमरीतलैया के अभ्रक व्यापारियों द्वारा कम राशि के बीजक तैयार करके और गलत तरीकों से पूर्वी यूरोपीय देशों, अमरीका, जर्मनी और जापान को बहुत बड़े पैमाने पर अभ्रक का निर्यात किया जा रहा है जिससे सरकार को राजस्व और सीमाशुल्क की हानि हो रही है ;

(ख) क्या इस बारे में कभी कोई गोपनीय जांच की गई है और क्या इस कदाचार को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं ; और

(ग) क्या गिरिडीह के कुछ अभ्रक निर्यातकों पर निरन्तर नजर रखी जा रही है और यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) गिरिडीह तथा झुमरीतलैया के अभ्रक व्यापारियों द्वारा, न्यून-बीजकांकन तथा अधि-बीजकांकन के जरिये, पूर्व यूरोपीय देशों, अमरीका, जर्मनी तथा जापान को बड़े पैमाने पर किये जाने वाले अभ्रक के निर्यात के बारे में सरकार के पास कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है। गत तीन वर्षों में अभ्रक के न्यून/अधि-बीजकांकन के जिन मामलों का पता चला है वे कुल निर्यातों की तुलना में बहुत कम थे क्योंकि वर्ष 1970-1971, 1971-1972, तथा 1972-1973 में न्यून/अधि-बीजकांकन के क्रमश : 2, 5 तथा 7 मामले ही पकड़े गये थे। तथापि, विगत समय में अभ्रक के कुछ अभिग्रहणों को देखते हुए, जो वर्ष 1969 में 2,93,000 रूपये के मूल्य के वर्ष 1970 में 68,870 रु० के मूल्य के तथा वर्ष 1972 में 30,700 रु० के मूल्य के थे, इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत-नेपाल सीमा पर अभ्रक का कुछ तस्कर व्यापार हो रहा है।

(ख) तथा (ग) अभ्रक के उन निर्माताओं तथा निर्यातकर्ताओं के बारे में सूचना एकत्रित करने के प्रयास किये जा रहे हैं जो अनुचित तरीके अपनाते हैं। संदिग्ध खेपों की जांच करने में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी बरती जा रही है।

अभ्रक के निर्यातकर्ताओं द्वारा अपनाये जाने वाले अनुचित तरीकों को रोकने के लिए, निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

जहाज से माल भेजने वाले व्यापारियों द्वारा शिपिंग बिल पर घोषित मूल्य की सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य के संदर्भ में तथा प्रवर्तमान बाजार मूल्य के संदर्भ में भी जांच की जाती है। संरचित अभ्रक को छोड़कर, अभ्रक की खेपों के संबंध में निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी किये गये निरीक्षण-प्रमाणपत्र संलग्न किये जाते हैं और निर्यात-निरीक्षण अभिकरण के अधिकारी स्टेट्यूटरी क्वालिटी कंट्रोल तथा निरीक्षण योजना के अंतर्गत, कारखाने में माल की जांच करते हैं तथा पैकेजों को मुहरबन्द करते हैं और जहाज पर लादने के पहले सीमाशुल्क प्राधिकारी इन मोहरों की जांच करते हैं।

भारत-नेपाल सीमा पर माल के तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए, जिनमें अभ्रक का तस्कर-व्यापार भी शामिल है, सरकार द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त उपाये किए जा रहे हैं :—

(i) कोडर्मा तथा गिरीडीह से, जहां अधिकांश अभ्रक का उत्पादन तथा व्यापार किया जाता है, नेपाल को अभ्रक के तस्कर व्यापार के बारे में सूचना एकत्रित करने तथा उसका सम्प्रेषण करने के लिये, इन क्षेत्रों में अपेक्षित कर्मचारी दल तैनात किया गया है।

(ii) भारत से नेपाल को तथा नेपाल से भारत को माल के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए, जिसमें अभ्रक भी शामिल है, भारत नेपाल सीमा पर गश्ती निवारक दल तैनात किये गये हैं।

(iii) सीमा पर तैनात कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक गतिशील तथा प्रभावी बनाने के लिए जीपों ी व्यवस्था की गई है।

(iv) निवारक दलों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है।

(v) सीमा के आर पार माल के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये भारत नेपाल सीमा पर राज्य के प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(vi) इस संबंध में नेपाल के महामहिम की सरकार का भी बार-बार सहयोग मांगा गया है। नेपाल सरकार ने सूचित किया है कि गत डेढ़ वर्ष से उन्होंने नेपाल से अभ्रक के निर्यात के लिये नये लाइसेंस जारी करना बन्द कर दिया है। उन्होंने उपहार-पार्सलों द्वारा नेपाल से किये जाने वाले अभ्रक के निर्यात पर भी पाबन्दी लगा दी है।

(vii) भारत-नेपाल सीमा पर, सीमाशुल्क कार्यालयों के एकीकृत नियंत्रण के निमित्त, पटना में सीमाशुल्क समाहर्ता के एक पद का निर्माण किया गया है।

वीरणम परियोजना के लिए तमिलनाडु को विदेशी मुद्रा का आवंटन

6423. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीरणम प्ररियोजना नामक पेय जल परियोजना की क्रियान्विति के लिए तमिलनाडु सरकार को कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई है ; और

(ख) क्या उस मशीनरी का समय पर आयात कर लिया गया है जिसके लिए विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) वीरणम परियोजना के लिए तमिलनाडु सरकार को अब तक 360 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गयी है।

(ख) परियोजना के लिए एच० टी० तार की छड़ों को छोड़ कर अधिकतर मशीनें और इस्पात की वस्तुएं पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं।

कपड़ा मिलों द्वारा कपड़े के मूल्यों को अधिक बनाये रखने के लिये अपने उत्पादन के भाग को बाहर भेजना

6424. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्**
श्री त्रिदिब चौधरी } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मिलों के अभाव का वातावरण पैदा करने तथा देश की मंडियों में कपड़े के मूल्यों को ऊंचा बनाये रखने के उदेश्य से अमे उतपादन के एक बड़े भाग को निर्यात बाजार की ओर मोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कपड़ा मिलों द्वारा अपनाये गए इन हथकण्डों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात

6425. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम का निर्यात चालू वित्तीय व र्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य से कम पड़ जायेगा, ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त निगम द्वारा किए जा रहे निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : निर्यातों में कमी और अयस्क, कोयला तथा मैंगनीज अयस्क के संबंध में है । इस कमी के कारण है; ब्राजील और आस्ट्रेलिया का प्रमुख प्रतियोगियों के रुप में उभरना; जुलाई, 1972 से समुद्री भाड़ा दर में वृद्धि, अमरीकी डालर का अवमूल्यन, सितम्बर, 1972 तक स्टील उद्योग में मन्दी; देश में उत्पादन में कमी; मद्रास तथा पारादीप में चक्रवात व भारी वर्षा जैसी दैवी विपतिया और जापान में नाविकों की लम्बी हड़ताल । कोयले के संबध में कोयले के हमारे मुख्य आयातक बंगलादेश के अनुरोध पर लदान स्थगित करने पड़े निर्यातों को बढ़ाने के लिए निगम द्वारा हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं ।

ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश करने के पश्चात् भारतीय निर्यात व्यापार का अन्य समाज्यवादी देशों में विस्तार

6426. **श्री धर्मराव अर्फ जलपुरकर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने पहले यह आश्वासन दिया था कि ब्रिटेन द्वारा सांझा मण्डी में प्रवेश के बाद भी भारत से आर्थिक सम्बन्धों के बारे में पहले जैसी स्थिति बनी रहेगी और अब व्यापार के रुक जाने तथा कम हो जाने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य समाजवादी देशों से सम्बन्ध बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) ब्रिटेन ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है । तथापि, सरकार समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता से अवगत है ।

विभिन्न हवाई अड्डों पर पर्यटक यातायात को अविलम्ब निपटाने के लिये उपाय

6427. **श्री राम कंवर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न हवाई अड्डों पर अपर्याप्त प्रबंध तथा संचार सुविधाओं के बारे में बहुत से पर्यटकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इन शिकायतों की जांच की गई है ; और

(ग) इन संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विभिन्न हवाई अड्डों पर पर्यटक यातायात को अविलम्ब निपटाने तथा अनावश्यक झुझलाहट पैदा करने वाली असंख्य औपचारिकताओं को समाप्त करने के लिये यदि कोई प्रयास किए गये हैं; तो वे क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग): यद्यपि हाल ही में कोई भी शिकायतें प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती ; तथापि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रक्रिया विषयक औपचारिकताओं को सरल करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) शीघ्र निकासी को सुनिश्चित करने के लिये एक मात्र पर्यटकों के लिये एक अलग सारणी का चालू किया जाना ।

(ii) जो लोग 500 डालर से अधिक की विदेशी मुद्रा ला रहे हों उन के लिये मुद्रा पोषण प्रपत्र की समाप्ति ।

(iii) पर्यटकों के लिये कुछ साधारणतया प्रयोग में आने वाली वस्तुओं, (जैसे कैमरे, कुछ खेल का सामान इत्यादि) के बारे में "टूरिस्ट बैगेज-री-एक्सोर्ट फार्म" में प्रविष्टियां करने की आवश्यकता की समाप्ति ।

(iv) अलग से स्वास्थ्य घोषणा प्रपत्र की समाप्ति ।

(v) अधिक सरलीकृत अवतरण कार्ड का प्रयोग ।

(vi) 36 औंस लिकर के अलावा शराब की एक बोतल के आयात को शुल्क मुक्त करना ।

नई दिल्ली स्थित विभिन्न सरकारी होटलों द्वारा निर्धारित विशेष शुल्क दरें

6428. **श्री राम कंवर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित विभिन्न सरकारी होटलों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान नव वर्ष के उपलक्ष में निर्धारित की गई विशेष शुल्क दरों के संबंध में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख क्या उक्त शुल्क दरों में इस समय उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ; और यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1972 के "मदरलैंड" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के होटलों की दरें निजी क्षेत्र के होटलों की दरों के मुकाबले में तुलनात्मक हैं। इस वर्ष दरों की वृद्धि का कारण खाद्य सामग्री की कीमतों तथा साज-सामान की लागत व कलाकारों के शुल्क में अभिवृद्धि का होना था।

(ग) जी, हां, किन्तु लगाये गये आरोप सामान्य प्रकृति के हैं।

यूनियन कार्बाइड द्वारा श्रिम्पों के निर्यात के बारे में जांच

6429. **श्री दशरथ देव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व की एक एकाधिकार प्राप्त कम्पनी यूनियन कार्बाइड द्वारा श्रिम्पों के निर्यात के संबंध में जांच कार्यवाही में कोई प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के फलस्वरुप क्या क्या तथ्य सामाने आये हैं ; और

(ग) भविष्य में इस फर्म द्वारा निर्यात को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकार ने मैसर्स यूनियन कार्बाइड के मामले की जांच की है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि फर्म द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका को श्रिम्पों के अपने निर्यातों में कोई कदाचार किया गया था।

विदेशी मुद्रा निधि

6430. **डा० हरी प्रसाद शर्मा :**
श्री आर० पी० उलगन्बी } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा निधि में हाल ही में उल्लेखनीय कमी हुई है तथा मार्च–अप्रैल, 1973 के अन्त तक और भी कमी होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में फरवरी, 1973, फरवरी, 1972, अप्रैल 1972 तथा अप्रैल (अन्त में) 1973 और जून (अन्त) 1972 तथा जून (अन्त) 1973 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी मुद्रा की निधि में अनुमानतः कितनी कमी हुई है;

(घ) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) विदेशी मुद्रा निधि की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अन्तिम अनुमानों के अनुसार, भारत की विदेशी मुद्रा निधियां जिनमें सोना और विशेष आहरण अधिकार शामिल हैं, 31–3–72 को लगभग 848.7 करोड़ रुपये की थीं जो घटाकर 30–3–73 को लगभग 839.6 करोड़ रुपये की रह गयीं।

(ख) सोने और विशेष आहरण अधिकारों सहित विदेशी मुद्रा निधियों के तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	1972	1973
फरवरी	868.8	799.8*
अप्रैल	853.7	**
जून	845.1	**

*अनन्तिम

**इन आने वाली तारीखों को निधियों के स्तर की ठीक–ठीक जानकारी देना सम्भव नहीं है।

(ग) निधियों में कमी मुख्यतः डालर–निधियों में काफी कम होने के कारण हुई जो अन्य मुद्राओं में रखी निधियों में शुद्ध वृद्धि के कारण आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित हो गयी।

(घ) कमी के कारण हैं आयात सम्बन्धी अदागियां और ऋण परिशोधन सम्बन्धी लगातार की जाने वाली अदागियाँ। ये अदागियां निर्यात से होने वाली आय और शुद्ध सहायता प्राप्तियों से पूर्णतः प्रतिसन्तुलित नहीं हो सकीं।

(ङ) सरकार, देश के शोधन शेष को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आत्म निर्भरता प्राप्त करने में निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन मुख्य भूमिका निभाते हैं।

Revenue from Direct and Indirect Taxes

6431. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount realised from public through direct and indirect taxes during the last three years. ?

The Minister of State in the Ministry of Finance. (Shri K. R. Ganesh) : The amounts realised during the last three years from the direct and indirect taxes mentioned below are as indicated against each—

(In crores of Rs.)

	1970-71	1971-72	1972-73 (upto Dec, (1972)
Income-tax including Corporation Tax	839·64	1002·57	758·30
Whealth Tax	15·31	25·89	27·20*
Gift Tax ..	2·45	3·45	2·31*
Estate Duty ..	7·86	9·11	5·35*
Expenditure Tax ..	@	@	0·01
Customs Duty ..	524·02	695·67	617·28
Central Excise Duty	1767·67	2058·89	1732·18*
Inland Air Travel tax	..	0·53$	1·63
Foreign Travel tax	..	1·59**	3·03

*Unverified and Provisional Figures.
@Refunds more than collections.
$From 15-11-71 to 31-3- 72.
**From 15-10-71 to 31-3-72.

NOTE: The above amounts include taxes realized from the Government departments and Government owned corporations as well as from the public for which separate figures are not available.

Loans Advanced to Small Scale and medium Industries and For Agricultural Development by Nationalised banks.

6432. **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loans advanced for Small Scale and medium industries and for agricultural development by the nationalised banks during the last two years; and

(b) the break-up of the loans given to rural areas and urban areas in each State separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi). (a) Information pertaining to advances by the nationalised banks in regard to small scale industries and Agriculture as on the last Friday of June, 1970, 1971 and 1972 are given below:

(Rs. in lakhs)

	June 1970	June 1971	June 1972 (provisional)
1. Small Scale Industries	20632	24513	29574
2. Agriculture	15973	20555	25487

Information regarding advances to medium scale industries is, however, not separately available.

(b) Break-up of loans given to rural and urban areas is not separately available. However, Statewise advances given to small scale industries and agriculture by the nationalised banks as on the last Friday of June, 1970, 1971 and 1972 are given in the Statement below.

[Placed in Library. See No. L.T. 4748/73]

लीड-बैंकों द्वारा राज्यों के पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण

6433. **डा० कैलाश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीड–बैंकों ने विभिन्न राज्यों के विशेष रुप से उन पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है जिन्हें सरकार ने उद्यमियों को उन जिलों में छोटे पैमाने के उद्योग अथवा कृषि उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शनार्थ 10 प्रतिशत की राज सहायता पाने का पात्र घोषित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या लीड बैंकों ने उद्यमियों को आकर्षित करने के लिये छोटे उद्योग सेवा संस्थानों तथा राज्य के उद्योग निदेशालय के प्रयासों को समन्वित करने के उद्देश्य से एक विचार–गोष्ठी का आयोजन किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो यह सर्वेक्षण संभवतः कब पूरा होगा तथा क्या उन पिछड़े जिलों का भी सर्वेक्षण किया गया जिन्हें 10 प्रतिशत की राजसहायता नहीं दी गयी है परन्तु जिन्हें सरकार ने पिछड़े हुए जिले माना है; और

(घ) यदि हां, तो किन–किन जिलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा किस किस का सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ग) और (घ) : गोआ, दमन और दीव को छोड़कर सभी पिछड़े जिले लीड बैंक योजना के अन्तर्गत आते हैं। लीड बैंकों को सभी लीड जिलों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करना पड़ता है। उन पिछड़े जिलों के सम्बन्ध में जिनमें सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं अथवा किये जा रहे हैं, की सूचना अनुबन्ध में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4749–73]

(ख) : जिस प्रकार की गोष्ठी का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है सरकार की जानकारी के अनुसार किसी भी लीड बैंक ने उस प्रकार की गोष्ठी आयोजित नहीं की है।

अधिक मुनाफा कमाने हेतु सुती कपड़ा मिलों द्वारा अपने उत्पादन के एक अंश को सिन्थेटिक कपड़ों के स्थान पर सुती कपड़ों में परिवर्तित करना

6434. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों के कपड़ा मिलों ने उच्च मीडियम, फाइन तथा सुपरफाइन कपड़ों के मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है और क्या सूती कपड़े में अधिक मुनाफा देख कर बहुत सी मिलें अपने उत्पादन के एक अन्श को सिन्थेटिक कपड़ों के स्थान पर उक्त श्रेणी के शुद्ध सूती कपड़ों में परिवर्तित कर रहे हैं और

(ख) यदि हां तो इस स्थिति के हल के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विगत एक वर्ष में उच्चतर मीडियम, फाइन तथा सुपरफाइन किस्म के सूती वस्त्रों की कीमतों में 7-10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में हुई कीमत वृद्धि को देखते हुए यह कोई असांधारण बात नहीं है। संश्लिष्ट रेशों की कीमतों में भी वैसी ही वृद्धि हुई है। यह सही नहीं है कि मिलों ने संश्लिष्ट वस्त्रों के स्थान पर उच्चतर मीडियम, फाइन तथा सुपरफाइन सूती वस्त्रों का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वर्ष 1972 के दौरान निर्यात किये गये ताजा फल तथा अर्जित विदेशी मुद्रा

6435. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जिन्हें वर्ष 1972 के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ताजा फलों का निर्यात किया गया तथा ऐसे फलों की किस्मों तथा मात्रा का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) जिन देशों को निर्यात किया गया उनमें से प्रत्येक देश से कितनी–कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सलंग्न है।

विवरण

देश जिन को निर्यात किया गया	आम मात्रा मे० टनों में में	मूल्य लागत तथा भाड़ा हजार रु०	लीची मात्रा मे० टनों में में	मूल्य लागत तथा भाड़ा हजार रु०	संतरे मात्रा मे० टनों में	मूल्य लागत तथा भाड़ा हजार रु० में
ब्रिटेन	100	549	9.15	26.2	–	
कुवेत	2	9	–	–	–	–
फ्रांस	12	40	2.10	1.2	–	–
स्विटजरलैंड	0.5	4	–	–	–	–
पश्चिम जर्मनी	5.0	*	0.50	*	–	–
लेबनान	1.0	7	–	–	–	–
सिंगापुर	14.0	100	–	–	7.0	15
हांगकांग	2.0	12	–	–	–	–
योग	136.5	721	11.75	27.4	7.0	15

*वसूली की प्रतीक्षा की जा रही है।

मूल्य से अधिक तथा मूल्य से कम बीजक बनाने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

6436. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान मूल्य से कम तथा मूल्य से अधिक बीजक बनाये जाने के फलस्वरूप होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि के कितने मामलों का पता लगाया है ;

(ख) इस में अन्तर्गत पार्टियों के नाम क्या हैं, उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) वर्ष 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 (दिसम्बर, 1972 तक) के दौरान पकड़े गये उन मामलों की संख्या दिये अनुसार है जो अधिबीजकांकन/न्यूनबीजकांकन के फल स्वरूप हुई विदेशी मुद्रा की हानि से सम्बद्ध है :–

विवरण	1970–71	1971–72	1972–73 (दिसम्बर, 1972 तक)
(1) आयात का न्यून–बीजकांकन	35	29	14
(2) निर्यात का न्यून–बीजकांकन	16	30	47
(3) आयात का अधि–बीजकांकन	8	2	–
(4) निर्यात का अधि–बीजकांकन	14	4	7

(ख) तथा (ग) : एक विवरण–पत्र संलग्न है जिसमें सम्बद्ध पार्टियों के नाम, उनके विरुद्ध की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का स्वरूप तथा प्रत्येक मामले में अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा की रकम बतायी गई है ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 4750/73)

वर्ष 1972 के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातित कृत्रिम धागे का मूल्य

6437. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम और अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से वर्ष 1972 के दौरान कुल कितने मूल्य के कृत्रिम धागे का आयात किया गया ;

(ख) किन–किन पार्टियों को उक्त धागे का आवंटन किया गया और प्रत्येक को कितना–कितना धागा आवंटित किया गया; और

(ग) क्या उक्त पार्टियों को आयतित कृत्रिम धागा किसी निर्यात–गारंटी की शर्तों के आधार पर आवंटित किया गया था; और यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाई गई पार्टियों के क्या नाम हैं तथा यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गत दो वर्षों में राज्यों में पर्यटन के विकास पर खर्च किया गया धन

6438. **श्री आर पी० उलगनम्बी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य में पर्यटन के विकास पर कुल कितना व्यय किया है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1973–74 में कितना खर्च किया जायेगा; और

(ग) वर्ष 1969–70 से अब तक हरियाणा और जम्मू–काश्मीर में कुल कितना खर्च किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1973–74 के लिये बजट प्राक्कलनों में 400 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) फरवरी 1973 तक जम्मू और काश्मीर में पर्यटन स्कीमों पर कुल 55.22 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है । चौथी योजना के दौरान हरियाणा में 17.10 लाख रुपये के प्रत्याशित व्यय के मुकाबिले में 1972–73 के दौरान 4.30 लाख रुपये का व्यय किया गया है ।

विवरण

1971–72 तथा 1972–73 के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य–केन्द्र शासित क्षेत्र में पर्यटन स्कीमों पर व्यय किये गये धन का विवरण ।

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1971–72 (वास्तविक)	1972–73 (प्रत्याशित)
		(लाख रुपयों में)	
1	आंध्र प्रदेश	–	8.21
2	आसाम	0.82	2.60
3	दिल्ली	0.15	0.04
4	गुजरात	4.03	2.00
5	जम्मू और काश्मीर	15.29	26.75
6	केरल	–	0.70
7	महाराष्ट्र	0.11	1.23
8	मध्य प्रदेश	3.36	15.03
9	मैसूर	0.82	–
10	राजस्थान	5.15	13.28
11	तमिलनाडू	0.41	1.43
12	उत्तर प्रदेश	0·82	0.40
13	पश्चिमी बंगाल	–	0.20
14	हरियाणा	–	4.30
		30.96	76.17

होटल तथा परिवहन ऋण योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित ऋण दिए गये हैं :–

क्रम सं०	राज्य का नाम	1971–72	1972–73
		(लाख रुपयों में)	
1	आंध्र प्रदेश	–	2.00
2	जम्मू और काश्मीर	16.00	16.00
3	महाराष्ट्र	110.00	35.00
4	मैसूर	–	18.00
5	राजस्थान	45.00	15.00
6	तमिल नाडू	–	30.00
7	उत्तर प्रदेश	32.00	15.00
		203.00	131.00

परिवहन ऋण योजना

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1971–72	1972–73
		(लाख रुपयों में)	
1	दिल्ली	2.71	1.65
2	उड़ीसा	0.55	–
3	मैसूर	0.34	0.45
4	तमिल नाडू	0.29	1.02
5	उत्तर प्रदेश	0.11	0.14
		4.00	3.26

राज्य व्यापार निगम में प्रबंधकीय संवर्गों में अनुसुचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की नियुक्ति

6439. **श्री छत्रपति अम्बश :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने प्रबन्धकीय सवर्गों में आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिये अगस्त, 1972 में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के चुनाव के लिये साक्षात्कार परीक्षायें आयोजित की थीं ;

(ख) यदि हां, तो कितने अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया, कितनी आरक्षित पद उपलब्ध थे तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों के कितने अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये चुने गये ; और

(ग) अनुसूचित जातियों जनजातियों के अभ्यार्थियों के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित स्तर में रियायत की व्यवस्था होने के बावजूद यदि कोई अभ्यार्थी नहीं चुना गया तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ग) : आरक्षित पदों के लिए नहीं बल्कि निगम में सेवा के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की विशेष स्कीम के एक भाग के रुप में ।

(ख) जिन अभ्यार्थियों को इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया उनकी संख्या	64
जितने चुने गए	10

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

6440. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से उत्तराखण्ड अर्थात् उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयी हैं तथा राष्ट्रीयकरण से पूर्व वहा कितनी शाखाएं थीं ;

(ख) इन शाखाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से स्थानीय लोगों की प्रत्येक संवर्ग और वेतन-मान में संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) इन शाखाओं द्वारा गत 5 वर्षों में कितनी राशि जमा की गयी तथा कितनी राशि के ऋण दिये गये और किस-किस उद्देश्य के लिये दिये ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कमजोर वर्गों के लोगों को कितनी राशि दी गयी तथा किन-किन उद्देश्यों के लिए ऋण दिए गए तथा कमजोर वर्गों के लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुचाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) : बैंक राष्ट्रीयकरण से पूर्व उत्तराखण्ड के चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तर काशी जिलों में तीन वाणिज्यिक बैंकों के तीन कार्यलय थे । तब से 31 दिसम्बर, 1972 के दौरान इन तीन जिलों में 11 और कार्यलय खोले गये हैं ।

(ख), (ग) और (घ) : सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । यह सम्भव सीमा तक एकत्रित की जायेगी तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वित्तीय संस्थानों द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को रियायती दरों पर दिया गया वित्त

6441. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय योजना के आरम्भ से लेकर अब तक उत्तराखण्ड अर्थात् उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के औद्योगिक विकास के लिए कुल कितनी राशि का वित रियायती दरों पर प्रदान किया गया ;

(ख) उक्त वित्त किन-किन उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया; और

(ग) क्या उसका उचित उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) : योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित उत्तर प्रदेश के पहाड़ी प्रदेश के निम्नलिखित 6 जिलों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाएं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम, जिन्होंने 1970 में रियायती वित्त की योजनाओं की घोषणा की है, से रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता पाने के हकदार हैं ——

"अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी "।

योजना के लागू किये जाने के समय से लेकर 31 जनवरी, 1973 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को उपयुक्त जिलों में स्थित परियोजनाओं से वित्तीय सहायता के लिये कोई प्रार्थनापत्र नहीं मिला है । लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विविध रासायनिक उत्पादों के निर्माण के लिये टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में पुनर्वित्त सहायता के रुप में 2.55 लाख रुपये की रियायती सहायता मंजूर की है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता का वितरण अभी तक किया जाना है ।

एशिया 72 और राष्ट्रीय उद्योग मेले में भण्डार बनाने वाले मंत्रालयों, विभागों तथा स्वायत्त संगठनों के नाम

6442. **श्री नाथू राम अहिरवार :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नवम्बर और दिसम्बर 1972 में हुये तीसरे एशियायी अन्तराष्ट्रीय उद्योग मेले, 1972 और राष्ट्रीय उद्योग मेले में किन-किन केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों (स्वायत्त संगठनों सहित) ने अपने मंडप लगाये थे ; और

(ख) इस पर प्रत्येक मंत्रालय /विभाग द्वारा कितना खर्च किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जिन केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो ने तृतीय एशियाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले तथा राष्ट्रीय उद्योग मेले में भाग लिया उनके नाम संलग्न अनुबंध 1 में दिखाए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4751 / 73] उनके द्वारा किए गए व्यय का ब्योरा वाणिज्य मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

डैबोलिम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा

6443. **श्री इराजमों डि० सेक्विरा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

डेबोलिम को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा के संदर्भ में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 14.95 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय से ले ली गयी है तथा अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिये उपयुक्त एक सिविल एन्क्लेव के निर्माण की योजनाएं विचाराधीन हैं।

डैबोलिम में असैनिक हवाई टर्मिनल

6444. **श्री इराजमों डि० सेक्विरा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डेबोलिम में प्रस्तावित असैनिक हवाई टर्मिनल के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 14.95 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय से ले ली गयी है तथा एक सिविल एन्क्लेव के निर्माण की योजनाएं विचाराधीन हैं।

डैबोलिम और बैंगलौर के रास्ते बंबई से हैदराबाद तक विमान सेवा

6445. **श्री इराजमो डि० सेक्विरा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइंस सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार, डेबोलिम और बंगलौर के रास्ते बंबई से हैदराबाद तक विमान सेवा चलाने के प्रस्ताव पर क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : हैदराबाद पहले ही बंगलौर के मार्ग से बंबई के साथ विमान सेवा से जुड़ा हुआ है। इण्डियन एयरलाइंस की बंबई तथा हैदराबाद को डबोलिम के मार्ग से विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

बिड़ला, टाटा और साहू जैन समूहों को औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिया गया धन

6446. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि गत तीन वर्षों में **औद्योगिक वित्त निगम** द्वारा बिड़ला, टाटा तथा साहू जैन समूहों को अलग-अलग कितनी धन राशि दी गयी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : औद्योगिक वित्त निगम द्वारा, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट 11 में दर्ज बिरला, टाटा और साहू जैन के औद्योगिक घरानों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तीन वित्त-वर्षों अर्थात् 1969–70, 1970–71 और 1971–72 के दौरान स्वीकृत और वितरित सहायता का ब्योरा निम्नलिखित है :

लाख रुपयों में

	वित्तीय सहायता	
	स्वीकृत	वितरित
बिरला	324.66	153.48
टाटा	283.59	259.90
साहू जैन	–	–

टिप्पणी––वितरण में पहली स्वीकृतियों के संबंध में वितरित राशियां भी शामिल हैं।

N/B(D)3LSS—9

Expansion of Opium Factory, Ghazipur.

6447. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state :

(a) Whether any report has been received by Government in regard to the expansion of Ghazipur Opium Factory; and

(b) if so, the action being taken by the Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) & (b): A scheme for the modernisation and expansion of the Alkaloid Works, attached to the Ghazipur Opium Factory is under consideration of the Narcotics Commissioner. The same will be examined by the Government soon after its receipt.

अन्तर्राष्ट्रीय जूट एजेंसी की स्थापना

6448. **श्री लालजी भाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूट और कफ के अनुसन्धान, विकास और संवर्धन के लिये 'डि जूट इंटरनेशल' नामक एक नई अन्तर्राष्ट्रीय ऐंजसी बंगला देश, नेपाल और थाईलैण्ड के सहयोग से भारत में बनाई जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन होंगे तथा उसके कृत्य क्या होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में ढाका में हुए सम्मेलन के परिणाम स्वरुप गवेषणा, विकास तथा संवर्धन के क्षेत्र में पटसन अर्थव्यवस्था की समस्या का समाधान करने के लिए कतिपय निष्कर्ष निकले हैं। भारत में "जूट इन्टरनेशनल" के नाम से एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का उद्देश्य पटसन तथा केनाफ की खपत की को अधिकाधिक करने के प्रयोजनार्थ उनकी तीव्र तथा बढ़ती हुई मांग को बनाए रखना है। इसके व्यौरे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किये जाएंगे। सम्मेलन के निष्कर्ष उत्पादक देशों अर्थात् भारत, बंगला देश, थाइलैंड तथा नेपाल द्वारा अनुसमर्थन के आधीन है।

कराधान सम्बन्धी वांचू समिति की सिफारिशें

6449. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वांचू समिति की इन टिप्पणियों का पता है कि यदि उनके द्वारा सुझाये गये अन्य उपायों से अपेक्षित लाभ उठाने हैं तो कर प्रशासन सम्बन्धी सिफारिशों को प्राथमिकता देनी होगी ; और

(ख) क्या सरकार वांचू समिति की कर-प्रशासन सम्बन्धी सिफारिशों को लागू करने जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) **मामला** विचाराधीन है।

निर्यात करने हेतु रबड़ का उत्पादन

6450. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन राज्यों में निर्यात के लिये रबड़ का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) क्या त्रिपुरा और आसाम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रबड़ का उत्पादन करने के लिये कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस समय प्राकृतिक रबड़ का निर्यात नहीं किया जा रहा है। देश के रबड़ उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसकी कास्त मुख्यत : केरल, तमिलनाडू तथा मैसूर के राज्यों में वाणिज्यिक रुप से की जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) असम, त्रिपुरा आदि के वन विभागों ने सीमित क्षत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर इन राज्यों में रबड़ के पौधे लगाने का कार्य आरम्भ किया है।

अविलम्नीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मुख्य कोसी नहर के किसी भी समय ध्वस्त होने की सम्भावना के बारे में बिहार के सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा दिये वक्तव्य का समाचार

श्री भागवत झा आजाद (भागलपूर) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर वक्तव्य दें :

> "मुख्य कोसी नहर के किसी भी समय ध्वस्त होने की सम्भावना के बारे में बिहार के सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का कथित समाचार"।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : कोसी पर हनुमान नगर बराज से निकलने वाली मुख्य पूर्वी नहर शीर्ष रोच में 15,000 क्यूसेक जल का निस्सार करती है। इसमें से 13,600 क्यूसेक 1.8 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये है। 20 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता का एक चल-विद्युत केन्द्र भी शीर्ष नियामक से 2.5 मील की दूरी पर स्थित है।

कोसी नदी एक बड़ी मात्रा में गाद लाती है जिसे यह प्रतिवर्ष नेपाल में अपने पहाड़ी वाह क्षेत्रों से लाती है। यह गाद सतलुज नदी में ले जाई जाने वाली गाद की मात्रा का चार गुने से भी अधिक है।

1964 से 1971 तक जब नहर को आंशिक सिंचाई के लिए खोला गया था, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 21 करोड़ घन फुट गाद नहर में जमा हुई। इसमें से आधे से अधिक गाद को निकाल दिया गया है जिस पर एक करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

नहर में अधिक गाद को रोकनें कें लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. यथा संभव मोटी गाद के प्रवेश को रोकने के लिए ऊंचे भाग से अपेक्षाकृत गाद-रहित जल नहर में लिया गया।
2. नहर को उस समय बन्द कर दिया जाता है जब गाद-निस्सार 3 ग्राम प्रति लीटर (अर्थात् 0.3 प्रतिशत गाद) से अधिक हो जाता है।
3. 1971 में एक गाद निष्कासन संयंत्र चालू किया गया है और सूचित किया गया है कि यह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। दूसरे गाद निष्कासन संयंत्र की व्यवस्था के औचित्य की जांच की जा रही है।
4. नहर बन्द होने के दौरान, जमा हुई गाद का कुछ भाग साफ कर दिया जाता है और इस उद्देश्य के लिए ड्रेजर खरीदे गए हैं।

भारत सरकार ने दिसम्बर, 1972 में कोसी नहर की गाद-समस्या का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है जिसमें सदस्य (डी० एण्ड आर०), केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, निदेशक, केन्द्रीय चल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना और मुख्य अभियंता, कोसी परियोजना, शामिल हैं। यह समिति लघु कालिक और दीर्घकालिक समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करेगी, जिसमें अभियांत्रिक कार्य, भू-संरक्षण, वनरोपण आदि शामिल हैं। समिति के अगले तीन महीनों में रिपोर्ट देने की संभावना है।

यह देखा गया है कि किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप नहर में गाद के जमा होने को पहले वर्षों में 4 करोड़ घन फुट के प्रति अब घटा कर प्रतिवर्ष एक करोड़ घन फुट से कम कर दिया गया है।

नहर बन्द होने के दस दिन बाद, नियामक से बिजली घर तक लगभग एक मील में तटों का गंभीर रूप से कटाव देखा गया है। पहले यह विचार किया गया था कि छोटी ठोकरों (स्पर्स) का निर्माण करके नहर के ढलानों की सुरक्षा की जाए। चूंकि कटाव गंभीर है, नहर में पलस्तर करने जैसे अधिक स्थायी उपाय करने आवश्यक होंगे। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के एक प्रवर अधिकारी को राज्य के अभियंताओं के साथ विचार-विमर्श करने और अग्रिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया है।

N/B(D)3LSS—9(a)

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने विवरण में यह बात स्वीकार की है कि कटाव की स्थिति गम्भीर है। उन्होंने अत्यधिक गाद को रोकने के लिये विवरण में कुछ उपाय भी बताये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कोसी परियोजना का मुख्य पूर्वी नहर से, कई जगह पर भारी कटाव हो जाने के कारण, सिंचाई कार्य बिल्कुल बन्द हो गया है ? क्या यह भी सच है कि 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया कात्या बिजली घर मुख्य नहर से पानी न मिलने के कारण बन्द हो गया है। बिहार के सिंचाई मंत्री ने भी कहा है कि यदि इसके संरक्षण के लिये उपाय न किये गये तो यह किसी भी समय गिर सकता है। केन्द्रीय मंत्री द्वारा विवरण में बताये गये उपायों के उपरान्त भी बिहार के मंत्री महोदय के विचार में यह किसी भी समय गिर सकती है। सरकार इस मामले में भविष्य के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है। क्या कटाव को स्थायीरूप से रोकने के लिए कोई बाइपास चैनल बनाने का विचार है ? क्या बांध नियंत्रण कक्ष में भी गाद की समस्या है ? इस सम्बध में स्थायी उपाय क्यों नहीं किये जाते हैं ?

राजपुर नहर का बहाव बिल्कुल रुक गया है। इससें उत्तर बिहार की रबी की फसल की सिचाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

10 करोड़ रुपयें की लागत से तैयार हुई कात्या परियोजना को किस प्रकार उपयोग में लाया जायेंगा ? इस परियोजना का डिज़ाइन ही क्यों तैयार किया गया ? क्या यह तकनीकी रूप सें सुदृढ़ है ? यदि ऐसा नहीं है तो सरकार इसे किस प्रकार ठीक करेगी ? क्या सरकार का विचार वर्तमान सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोसी परियोजना पर सम्यक रूप सें विचार करने का है ?

मंत्री महोदय नें बताया है कि दिसम्बर, 1972 में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गयी थी। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति कें गठन सें अब तक चार माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी इस समिति ने कोसी परियोजना से होने वाली क्षति की ओर कोई ध्यान दिया है। क्या समिति नें कोई अन्तरिम प्रतिवेंदन प्रस्तुत किया है। क्या उन्होंनें सरकार को बताया है कि परियोजना खतरें में हैं, गाद बहुत अधिक एकत्र हो गई है और यह किसी भी समय गिर सकती है ? यदि ऐसा किया गया है तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि कोई प्रतिवेंदन नहीं दिया गया है तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें में कितना समय और लगेंगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये जिसका उत्तर दिया जाएगा।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मामला कोसी नहर के विषय में है जिसके बारे में मुझे जानकारी है..

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की बातें न करिये, प्रश्न पूछिय जिससे कि उत्तर दिया जा सके।

श्री भागवत झा आजाद : सदस्यों के प्रति आपके इस प्रकार के व्यवहार का मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, आप यही कहेंगे। नियमों के अनुसार मैं हस्तक्षेप करके प्रश्न पूछने के लिये कह सकता हूं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरे कहने पर भी आप अपनी बात कहते चले जायें। मैं इसे सहन नहीं कर सकता।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे नियमों का पता है। नियमों के अन्तर्गत मुझे वह सब कहने करने का अधिकार है जो मैं कर रहा हूं विरोध स्वरूप मैं बैठता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : हमें इस घटना को भूलकर उनसे दो मिनट और बोलने के लिये रहना चाहिये। मुझे आशा है कि अब ऐसी बात पैदा नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार सदस्य एक प्रश्न पूछ सकता है। जब सदस्य एक से अधिक प्रश्न पूछे है तो उनका ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि वह सभी प्रश्नों को निरन्तर सम्बद्ध बनाकर एक प्रश्न के रूप में पूछे।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे बोलने का अधिकार है और मैं सदन में बिना तैयारी के नहीं बोलता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : श्रीमन् मुझे कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं नियमों की सीमा में हूं। मुझे सदन का एक सदस्य समझा जाना चाहिए। किसी कक्षा का छात्र नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा दुर्व्यवहार सहन नही कर सकता। मैं इसे सहन नहीं कर सकता।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे भी अध्यक्ष पीठ से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूं नियमों की सीमा में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। आपके अपने ही विचार हैं। (व्यवधान) मुझे खेद है, आप किस तरह की बातें करते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई योजना बेकार पड़ी है और इससे कोसी परियोजना के क्षेत्रवासियों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने उत्तर-बिहार के लोगों के साथ, जो कोसी परियोजना क्षेत्र में आते हैं, जो व्यवहार किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण मांगा है। प्रश्न नहर से सिंचाई के सम्बन्ध में था। वास्तव में हुआ यह है कि नहर रबी की फसल समाप्त होने पर वार्षिक रख रखाव के लिये 1 अप्रैल को बन्द कर दी गई थी।

माननीय सदस्य ने दो बाते उठायी हैं। पहली यह कि क्या इस नहर से सिंचाई कार्य पर कोई प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं। मैं बता चुका हूं कि इससे सिंचाई कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरा प्रश्न बिजली घर के विषय में पूछा गया है। कहा गया है कि इस बिजली घर पर सरकार की 10 करोड़ रुपये की लागत आयी है फिर भी इसका उपयोग नहीं किया जा सका है। वास्तव में इस बिजलीघर पर 7 करोड़ रुपये की लागत आई है परन्तु मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं, यह सफल सिद्ध नहीं हुआ है। इससे पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं होती है। जहां तक बीरपुर तथा अन्य उत्तरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है वहां विद्युत की कमी है। वास्तव में उन दिनों वहां बिजली की सप्लाई बिल्कुल नहीं थी इसी लिये इस बिजली घर के लिये स्वीकृति दी गई। यह ठीक है कि यह बिजलीघर लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ है।

एक अन्य प्रश्न मुख्य पूर्वी नहर की सुरक्षा अथवा स्थायित्व के विषय में पूछा गया है। कोसी के सम्बन्ध में दो समस्याएं सामने हैं। इसे दुख-दायी नदी (रिवर आफ सारो) कहा जाता है। उत्तर बिहार को यह नदी क्षति पहुंचाती है। पिछले 12 वर्षों से इस पर नियंत्रण किया गया है। इसमे बहुत गाद जमा हो जाती है। सतलुज की तुलना में इस नदी में चारगुना गाद जमा हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिये हमने उपाय किये हैं कि अधिक गाद न आने पावे।

दूसरे हमने एक गाद निष्कासन संयंत्र लगाया है। इससे नहर में गाद कम हुई है। यह संयंत्र बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ है। हम एक ऐसा ही दूसरा संयंत्र लगाने के विषय में भी सोच रहे हैं जिससे गाद को और अधिक रोका जा सके। सौभाग्य की बात है कि कोसी नदी से अभी तक कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई है। नदी का बहाव पश्चिम की ओर को नहीं मुड़ा है।

हमने जो परियोजना आरम्भ की है वह बहुत अच्छी है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इसमें हमें सफलता मिली है। बिजलीघर के विषय में मैं ऐसी बात नहीं कह सकता। इस समय मुख्य समस्या कटाव की है गाद की नहीं। जिस पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। राजस्थान नहर की भी ऐसी ही परिस्थिति है और उस पर नियंत्रण पाने के लिये नहर में पलस्तर कराया जा रहा है। पश्चिमी कोसी नहर में भी हम पलस्तर करा रहे हैं। पूर्वी नहर के कम से कम अगले भाग में पलस्तर कराया जाना आवश्यक है। पलस्तर के अभाव में कटाव होना आरम्भ हो जाता है। वहां एक विशेषज्ञों का दल भेजा जा रहा है जिससे पलस्तर का कार्य इस वर्ष पूरा हो सके।

दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपायों का सुझाव देने हेतु जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। उन्हें कम से कम पलस्तर के विषय में तो अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिये थी। किसी भी स्थिति में यह कार्य 1 अप्रैल से पूर्व तो आरम्भ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय नहर में रबी की फसल के लिये पानी चल रहा था।

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosere): The Hon. Minister has also accepted this fact that Kosi is a river of sorrow. Before the barrage was constructed it was very often that the course of the river changed and the millions of acres of fertile land was unindated.

As regards control of the silt, Kanwarsain committee recommended Construction of Kotar dam but the Government did not pay any heed to it and consequently silt went on increasing. Now there is fear all around that if no positive or permanent steps are taken to control it, the canal will be completely destroyed. The Government have not undertaken any permanent measure so far, the measures adopted are temporary. May I know whether the Hon-Minister is going to take immediate steps for permanent solution of the problem ?

It has been urged upon the Government once and again that steps be taken for the safety of the people residing in Kosi Catchment area. But nothing has been done so far.

We are going to construct Western Kosi Canal. What precautionary steps in this case have been taken to tackle the problems created by Eastern Kosi Canal?

Is it a fact that there would have been no silting at the present rate had the Government accepted the recommendation of Kanwarsain Committee Report?

डा० के० एल० राव : मैं पहले प्रश्न के उत्तर में इन प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। मुझे इन्हें फिर से दोहराना होगा। कोसी परियोजना के सम्बन्ध में दो समस्यायें हैं, कटाव तथा गाद। गाद के लिये हमने जो उपाय किये हैं उनमें हमें सफलता मिली है। कटाव के सम्बन्ध में हमें और भी उपाय करने हैं। हम नहर में तीन चार मील तक पलस्तर कराने के विषय में सोच रहे हैं। जिससे कटाव को रोका जा सकेगा।

कोसी तटबन्धों पर राज्य सरकार अच्छी तरह ध्यान दे रही है। उनके पास इस कार्य के लिये एक संगठन की व्यवस्था है। वे इस कार्य पर प्रत्येक वर्ष 80 लाख और 1 करोड़ रुपये के बीच व्यय करते हैं। पश्चिमी कोसी नहर में हम पलस्तर करायेंगे जो पूर्वी कोसी नहर में नहीं है।

कंवरसैन समिति की रिपोर्ट के उल्लंघन की बात मेरी समझ में नहीं आयी। कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। हम सभी ठोस परामर्श स्वीकार करते हैं।

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) It is really unfortunate that we are facing the same problem even after the Completion of Kosi project. People within and without the embankment areas are not safe.

About irrigation, it has been stated that 18 lakh acres will be irrigated from Eastern Kosi Canal. But irrigation facilities have so far been provided **only** in 2 or 3 lakh acres of land. This is a sorry state of affairs.

The Government have drawn a plan to supply 2700 Cusecs of water from Rajpur branch Channel. There is only 1700 cusecs of water in it. There is a heavy silt in Rajpur canal and it has adversely affected the Rabi crop.

As regard Katya Power House, the Hon. Minister has admitted the non-availability of power there. The people of Kosi project area have not so far been properly rehabilitated. The Government should look into it and take immediate steps to provide permanent and proper rehabilitation facilities.

We do not object to the Ceiling of land holdings. But the Ceiling should differ in the areas of assured irrigation and where proper facilities are not available for the purpose.

May I know whether the Government will immediately Constitute a technical committee to look into the problems of entire Kosi project so that more than 1 crores of people of the area may be protected. May I also know whether they will provide irrigation facilities from eastern Kosi canal in 14 Lakh acres of land if so by what time? I would also like to know the time by which Katya Power House will be put into operation ?

The Government of Bihar are not capable of solving all these problems by themselves. They require Central assistance. May I know whether the Central Government, in order to have early solution of all these problems, will take that over?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न तटबन्धों के विषय में पूछा है। तटबंन्धों का रखरखाव बहुत आवश्यक है। इस कार्य पर प्रतिवर्ष धनराशि व्यय करनी होती है। रखरखाव के प्रति जितना अधिक सजग रहा जायेगा उनसे उतनी ही उत्तम सेवा उपलब्ध हो सकेगी। यदि रखरखाव ठीक प्रकार नहीं किया जाता है तो इनमें दरार पड़ जाती है और सुरक्षित क्षेत्र जलमग्न हो जाता है।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है मैंने 18 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के विषय में कभी नहीं कहा है। मैंने बताया था कि परियोजना 18 लाख एकड़ भुमि की सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गयी थी। वास्तव में इस परियोजना से 3½ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो पाती है। इसके दो तीन कारण हैं। एक कारण यह है कि वहां सट्टा प्रणाली थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत सिंचाई करना न करना किसान की इच्छा पर निर्भर है। हमने इस प्रणाली को समाप्त किया है। अब प्रत्येक किसान के लिये पानी लेना और उसका शुल्क भुगतान करना अनिवार्य हो गया है। सिंचाई कम होनेका एक अन्य कारण यह है कि उस क्षेत्र में शाखा नहर नहीं बनायी गई है। हम इन समस्याओं के प्रति सजग है। हमने विभिन्न राज्यों के मंत्रियों की एक समिति बनायी है जो परियोजना, विशेषतया कोसी परियोजना, के सिंचाई कार्य पर ध्यान देगी।

एक अन्य बात तटबन्धों के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के विषय में उठायी गई है। यह एक बड़ी समस्या है और राज्य सरकार इसका समाधानकरेगी।

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : Sir this calling Attention notice was given in view of the statement made by the Bihar Irrigation Minister on 28th March in Farvisganj. The Hon. Minister is of the view that the position is serious.

I would like to draw the attention of the Hon-Minister to the statement made by the irrigation Minister of Bihar. He has stated that irrigation has been affected due to erosion at many places in Eastern Kosi Canal. Is it a fact, as he has said, that the Power House is closed due to non-availability of water.

May I know whether the measures taken for the protection of the Canal have proved a failure ?

There are certain Complex problems like soil erosion, irrigation and Collection of soil in the middle of the river. I would like to know from the hon. Minister whether any recommendation has been made for setting up a high level Committee for solving these problems and whether Bihar Government has drawn the attention of the Central Government towards these problems.

The people have not been benefited as they expected to be benefited from the Kosi Project.

The hon. Minister has replied to Shri Chiranjib Jha that the rehabilitation work would be done by the Government of Bihar. The people are facing difficulties as the work has not been done by the Bihar Govt. I would like to know whether the proposal to have embankment between Buxar and Koyalvar would be re-considered and Ganga Barrage Project would be postponed till the people are rehabilitated.

डा० के० एल० राव : मुख्य तटबन्ध पर दबाव के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे बिहार सरकार से कोई पत्र नहीं मिला है। जैसे ही मुझे मिट्टी के कटाव का पता चला, मैंने शीघ्र ही वहां जांच करने के लिए एक अधिकारी भेजा। तटबन्धों के बीच रहने वाले लोगों की समस्या कठिन है, क्यों कि ऐसे 2,00,000 व्यक्ति रहते हैं। कोयलवर, बक्सर तटबन्ध गंगा नदी की दाहिनी ओर स्थित है। इस समस्या का सावधानी से अध्ययन किया जाना चाहिए और तटबन्धों के बीच रहने वाले लोगों का उचित पुर्नवास होना चाहिये। मैं इस समस्या की ओर बिहार सरकार का ध्यान दिला रहा हूं।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : The basis of to-day's Calling Attention is a news item published in "Indian National" in which it has been said that "Minister fears collapse of the main Kosi Canal."

I would like to draw the attention of the Minister towards the problem of silting of the Canal.

I would also like to know from the hon. Minister whether he would go there and examine this problem and whether any report has been submitted by the Senior Officer who was sent there. Has any reply been received from the Chief Minister of Bihar ?

I would also draw the attention of the hon. Minister towards a very important matter. Kosi is Controlled from Nepal, but when our Officers or Ministers go there, they can not don the Indian flag on their cars and have to seek permission from the Nepalese authorities for this. This matter should be discussed with them and sorted out.

डा० के० एल० राव : मुझे अभी हाल में हुए भूमि-कटाव के बारे में बिहार सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने वहां स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक अधिकारी भेजा है! वहां मिट्टी के जमाव की समस्या गंभीर नहीं है, जितनी समस्या भू-कटाव की है। अगर नहर चौड़ी हो जाती है, तो उस पर अधिक धन व्यय करना होगा। अगर नहर चौड़ी नहीं होती, तो लाइनिंग पर केबल $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए व्यय होंगे। खरीफ के मौसम की शुरुआत होने से पहले ही कुछ कार्यवाही करने के लिए अधिकारी को वहां शीघ्र भेजा जा रहा है।

नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध काफी सौहार्दपूर्ण हैं और हमें नेपाली क्षेत्र में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

श्री शंकर दयाल सिंह : मंत्री महोदय उस क्षेत्र का निरीक्षण करने कब जा रहे हैं ?

डा० के० एल० राव : पहले समिति वहां जाकर क्रियान्वयन कार्य आरम्भ करेगी और मैं मई के महीने में वहां जाऊंगा।

Shri Chiranjib Jha : May I know whether this project will be taken over by the Government of India, as it is not possible for the Bihar Govt. to spend huge amount on it.

डा० के० एल० राव : इस कार्य के महत्व और स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार बिहार सरकार की सहायता करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम समिति नें तीसरी बार पिछले सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर लगने वाले समय के मामले पर विचार किया था और यह निर्णय किया था कि ध्यानाकर्षण सूचना परिचर्चा में अधिक से अधिक 45 मिनट लगनें चाहिए। मंत्री और प्रथम वक्ता में से प्रत्येक को दस दस मिनट और अन्य सभी सस्दयों को पांच पांच मिनट मिलने चाहिए । नियम समिति के निर्णय को तो आपको मारना चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : हमें कभी भी इसकी जानकारी नहीं दी गई । अगर यह निर्णय है, तो आज से ही इसे लागू कीजिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हारबर) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर जरुरत होगी तो मैं उनसे वक्तव्य देने के लिये कहूंगा । मैं स्थान प्रस्ताव पर इसकी अनुमति नहीं दे रहा । आप कृपया बैठ जाइए ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

धन-कर (संशोधन) नियम, दानकर (संशोधन) नियम कम्पनी (लाभ) अतिकर संशोधन नियम तथा अधिसूचनायें आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) धन–कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धन–कर (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 154 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4731/73)

(2) दानकर अधिनियम, 1958 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दानकर (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 155 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4732/73)

(3) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 156 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4733 73)।

(4) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक एक प्रति लिपि :–

(एक) आय–कर (संशोधन) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 159 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आय–कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 160 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4734/73)।

(5) आपात संकट (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात संकट, (माल) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 148 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

(6) आपात संकट (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात संकट (उपक्रम) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 मार्च, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 149 (ङ) में प्रकाशित हुई थी । (ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4735/73) ।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव :

मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमित प्राप्त निम्नलिखित ग्यारह विधेयक सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (रेल) विधेयक, 1973

(2) विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1973

(3) आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973

(4) आन्ध्र प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973

(5) आन्ध्र प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973

(6) उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973

(7) उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1973

(8) शरणार्थी सहायता कर (उत्पादन) विधेयक, 1973

(9) संघराज्य क्षेत्र कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1973

(10) कोयला खान (प्रबन्ध–ग्रहण) विधेयक, 1973

(11) मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

श्रीमति सुभद्रा जोशी : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं :

(1) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(2) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रशासी बोर्ड की समिति की हाल की बैठक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING RECENT MEETING OF THE COMMITTEE OF BOARD OF GOVERNORS OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

वित्त मंत्री (श्री वाई० बी० चौहान) :

अध्यक्ष महोदय,

हाल ही में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के सुधार और सम्बद्ध मामलों के बारे में अन्तराष्ट्रीय मुद्रा निधि के गर्वनरों के बोर्ड की समिति की बैठक 26 और 27 मार्च, 1973 को वाशिंगटन में हुई थी।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हाल के वर्षों में अन्तराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 1971 के मध्य से मुद्रा बाजारों में लगातार जो अनिश्चितता बनी हुई है उससे विश्व के व्यापार और भुगतान के सुचारु क्रियान्वयन पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है।

अब इस बात पर आम सहमति है कि विदेशी मुद्रा बाजारों में अनिश्चित की स्थिति का बुनियादी कारण, मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया का ठीक ढंग से काम न करना है। पिछले कई वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधन–शेष में लगातार घाटा रहा है और इसके विपरीत दूसरी ओर जापान और जर्मन संघीय गणराज्य के शोधन–शेष में भारी अधिशेष रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधन–शेष की निरन्तर कमजोरी से, न केवल डालर के सम्बन्ध में भारी सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिला है, बल्कि प्रारक्षित मुद्रा के रूप में डालर की भूमिका के बारे में भी सन्देह प्रकट किया जाने लगा है। पांच या छः वर्ष पहले तक, इस तथ्य के कारण, कि डालर को निर्धारित मूल्य पर सोने में रुपान्तरित किया जा सकता था, अन्य देशों को इस बात की भारी प्रेरणा मिलती थी कि वे अपनी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी राशियों को डालरों के रूप में रखें। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधन–शेष में लगातार घाटा रहने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय बैंकों के पास जमा डालरों में भारी वृद्धि हो जाने से कई देशों को, डालर की सोने में रूपान्तरित किये जा सकने की क्षमता के बारे में सन्देह होने लगा। अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा अपने डालरों को सोने के रूप में बदलने क लिये किये जाने वाले किसी प्रयास की पहले से रोकथाम करने के उद्देश्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने अगस्त 1971, में डालर के सोने में रूपान्तरित किये जाने पर पाबन्दी लगा दी। इससे इस बात को और भी अधिक महत्व प्राप्त हो गया कि एक ऐसी नयी मुद्रा प्रणाली तैयार की जाय जिससे विश्व की विस्तारशील अर्थ–व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार विश्व मुद्रा (लिक्विडिटी) के सुव्यवस्थित विकास की व्यवस्था हो सके। यह तथ्य, कि अमरीकी डालर अथवा पौंड स्टर्लिंग यह भूमिका नहीं निबाह सकता, उस समय स्वीकार कर लिया गया था जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने 1968 में, उस समय मौजूदा अन्य प्रारक्षित परिसम्पत्ति के अनुपूरक के तौर पर विशेष आहरण अधिकारों के रूप में एक नयी प्रारक्षित परिसम्पत्ति का निर्माण करने का निश्चय किया था। लेकिन, 1971 की घटनाओं से यह निष्कर्ष निकला कि एक ऐसी प्रणाली के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें विशेष आहरण अधिकारों जैसी कोई ऐसी परिसम्पत्ति, जिसका सम्बन्ध किसी खास देश से न हों, इस प्रणाली की मुख्य प्रारक्षित परिसम्पत्ति बन जाय।

यद्यपि अन्तराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता कई वर्षों से स्वीकार की जाती रही है लेकिन अभी हाल तक पश्चिम के मुख्य विकासशील देशों की प्रवृत्ति यह रही है कि इन मामलों पर दस के समूह जैसे विशिष्ट मंचों पर ही विचार–विमर्श किया जाय – चूंकि विश्व की मुद्रा प्रणाली के सुचारु संचालन में विकासशील देशों के हित विकसित देशों के हितों से किसी भी प्रकार कम नहीं है, इसलिये हमने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमें यह बात स्वीकार नहीं है कि विश्व की मुद्रा प्रणाली के भविष्य के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय समिति देशों के समूह द्वारा किये जाते रहें। मुख्यतः यह विकास शील देशों द्वारा किये गये प्रबल विरोधों का ही परिणाम है कि अन्तराष्ट्रीय मुद्रा निधि ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार के सम्बन्ध में गवर्नरों के बोर्ड को सलाह देने के लिये सितम्बर 1972 में 20 की समिति की नियुक्ति की थी। विभिन्न देशों के वित्त मंत्री इस समिति के सदस्य हैं।

20 की समिति की पहली बैठक सितम्बर 1972, में गवर्नरों के बोर्ड की वार्षिक बैठक के समय हुई थी। उस बैठक में, समिति ने तकनीकि विषयों की जांच करने और सुधार के सम्बन्ध में समिति को सिफारिशें देने के लिये डिप्टियों के एक दल की नियुक्ति की, जिसमें विभिन्न देशों के वरिष्ठ मुद्रा अधिकारी शामिल थे। अब तक डिप्टियों के दल की चार बैठकें हो चुकी हैं और उसकी एक बैठक मई, 1973 में फिर होने वाली है।

बीस की समिति की दूसरी बैठक वाशिंगटन में 26–27 मार्च, 1973 को हुई थी। बैठक की कार्य सूची की मुख्या मद डिप्टियों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम का अनुमोदन करना था – समिति ने इस बैठक में डिप्टियों के अब तक के कार्य पर डिप्टियों के अध्यक्ष श्री जरमी मोर्स द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर विचार किया। डिप्टियों ने समायोजन प्रक्रिया तथा प्रारक्षित परिसीमाओं के सुधार और सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली में परिवर्तनीयता से सम्बन्धित प्रमुख मामलों की प्रारंभिक समीक्षा का काम पूरा कर लिया है। श्री मोर्स की रिपोर्ट से जो सार्वजनिक प्रलेख नहीं है, यह पता चलता है कि डिप्टियों ने अपने कार्य में पर्याप्त प्रगति की है। किन्तु यह बात स्पष्ट हो गयी कि गवर्नरों के बोर्ड की अगली वार्षिक बैठक से पहले सुधार की रूपरेखा तैयार करने में आगे की प्रगति, सुधार की दिशा में कतिपय स्थूल मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने के लिये बीस की समिति की निपुणता पर निर्भय करेगी। ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के बिना, डिप्टियों के काम में उचित संकेन्द्रण तथा परिप्रेक्ष्य के अभाव रहने की सम्भावना है। अतः बहस में औपचारिक रूप में भाग लेते समय अथवा समिति के कई सदस्यों के साथ अनौपचारिक तौर पर विचारों का आदान–प्रदान करते समय समिति द्वारा सुधरी हुई प्रणाली के कतिपय बुनियादी सिद्धांत निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि डिप्टी अपने कार्य, की गति को तेज कर सकें। इस सम्बन्ध में समति में विकासशील देशों के अन्य सदस्यों का भी यही मत था। हमारा काम आसान न था विशेषत: इसलिये क्योंकि समिति की बैठक फरवरी–मार्च 1973 के उस मुद्रा संकट के तत्काल बाद हो रही थी, जिसके कारण दो वर्ष से भी कम अवधि में दूसरी बार सम–मूल्य प्रणाली छिन्न-भिन्न हो गयी। गई विकसित देशों की राय शुरू में यह थी कि अभी इतना जल्दी सुधरी हुई प्रणाली की रूपरेखा का सुस्पष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कुछ वाद–विवाद के पश्चात् कुछ बुनियादी

सिद्धांतों पर सहमति हो गयी जिसके द्वारा हम निश्चित रूप से एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। यह निश्चित है कि इन सिद्धांतों और मार्गदर्शक अनुदेशों से डिप्टियों के काम में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। स्पष्टतः इस समय कोई भी व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता कि सुधार की रूपरेखा गवर्नरों के बोर्ड की वार्षिक बैठक से पहले निश्चित रूप से तैयार हो जायेगी। सुधरी हुई प्रणाली की कई महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में अभी भी मतभेद हैं। लेकिन जब पिछले एक दो महीनों की तुलना में, इस बात की सम्भावना बढ़ गयी है कि सितम्बर 1973 तक सुधार की रूपरेखा तैयार हो जायेगी।

बीस की समिति की बैठक के निष्कर्षों का वर्णन किए जाने के पूर्व सदन यह जानना चाहेगा कि इस बैठक के लिये हमारे उद्देश्य क्या थे। सबसे पहले, हम इस बात के लिये बड़े उत्सुक थे कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी मामलों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, न कि 10 का समूह या 14 का नया समूह, बातचीत का प्रमुख यंत्र होना चाहिये। दूसरे अन्य, विकासशील देशों की भांति, हम भी यह बात बड़े जोर से महसूस करते हैं कि एक स्थिर किन्तु समायोजन-योग्य सममूल्य प्रणाली एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है, जो विश्व व्यापार के विस्तार के लिये सर्वाधिक अनुकूल हो। विनिमय बाजारों की दीर्घावधिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिये विकासशील देशों के पास कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होती। तीसरे, हम इस बात के लिये भी इच्छुक थे कि सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली में सोने या राष्ट्रीय मुद्राओं के बजाय विशेष आहरण अधिकारों को मुख्य प्रारक्षित परिसम्पत्ति बनाया जाना चाहिये। चौथे, हम सट्टे के प्रयोजन से पूंजी के प्रवाह का नियंत्रण करने के पक्ष में हैं, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि विनिमय दरें सदा सट्टेबाजों के रहम पर न रहें। पांचवें, पिछले कुछ वर्षों में हम ने विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयोजन में नकदी या नकदी जैसी नई अन्तर्राष्ट्रीय परिसम्पत्ति (लिक्विडिटि) के उपयोग के पक्ष में बराबर तर्क किया है। हमारा यह मत है कि इन नई अन्तर्राष्ट्रीय परिसम्पत्ति का परिणाम केवल विश्व की अर्थ-व्यवस्था के मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये; यह व्यवहार्य और बांछनीय भी है कि इस प्रकार निर्मित परिसम्पत्ति का विकासशील देशों के लिये अतिरिक्त वास्तविक साधनों की व्यवस्था करने के लिये उपयोग किया जाये। इस प्रस्ताव को, जिसे सम्पर्क प्रस्ताव कहा जाता है, हाल के वर्षों में बुद्धि जीवियों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया है, यद्यपि कई विकसित देशों की सरकारों द्वारा अब भी इसका विरोध किया जा रहा है।

समिति के विचार-विमर्श के निष्कर्ष बैठक के अन्त में जारी की गई विज्ञप्ति में बातायें गए हैं। इस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर भी रख दी गई है। स्पष्टतः सुधार की रूपरेखा के विषय में एक समझौते तक पहुंचने से पूर्व हमें कई अनिर्णीत मामलों को निपटाना है। साथ ही, यह बैठक डिप्टियों के कार्य को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध हुई है।

यह संतोष का विषय है कि समिति ने इस बात की पुष्टि की है कि सुधरी मुद्रा प्रणाली में विनिमय दर स्थिर, किन्तु समायोजन-योग्य सममूल्यों पर, आधारित होनी चाहिये। किन्तु पहले के वर्षों की अपेक्षा, विनिमय दर में अधिक लचीलापन के पक्ष में दृढ़ भावना पाई जाती है और यद्यपि सममूल्य प्रणाली को सम्भवतः कायम रखा जायेगा लेकिन विकासशील देशों को भविष्य में विनिमय दरों में और जल्दी होने वाले परिवर्तनों के परिणामों की समस्या से निपटना सीखना होगा।

बीस की समिति इस बात पर भी सहमत है कि प्रारक्षित निधियों की भूमिका को कम किया जाना चाहिये और सुधरी प्रणाली में विशेष आहरण अधिकारों को मुख्य प्रारक्षित परिसम्पत्ति बन जाना चाहिये। यह मत इस विषय पर हमारे बिचारों से मेल रखता है।

समिति इस बात पर भी सहमत है कि असन्तुलनकारी पूंजी प्रवाह की समस्या को हल करने के लिये कारगर उपायों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिये।

अन्त में, हम समिति को इस बात के लिये राजी करने में असमर्थ रहे कि वह सम्पर्क प्रस्ताव के महत्वपूर्ण विषय का सिद्धांत रूप से अनुमोदन करे और उसकी क्रियाविधि को बाद में तैयार किये जाने के लिये छोड़ दे। इस मामले में कुछ विकसित देशों को गंभीर सन्देह हैं। किन्तु समिति ने मुद्रा सुधार के अवसर पर आर्थिक विकास को प्रोत्सहान देने तथा विकसित देशों से विकासशील देशों को वास्तविक संसाधन मुहैया करने की बांछनीयता को पुष्टी की है। यद्यपि इसे सम्पर्क प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं कहा जा सकता फिर भी विज्ञप्ति की भाषा से यह प्रतिबिम्बित होता है कि इस दिशा में निश्चित रूप से प्रगति हुई है।

हमारे विचार में, सम्पर्क प्रस्ताव, समिति द्वारा अनुमोदित उद्देश्य को प्राप्त करने का एक व्यावहारिक माध्यम है। यह सुझाव देना भ्रांतिपूर्ण होगा कि सम्पर्क प्रस्ताव को किन्हीं भारी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। किन्तु यदि बिकास शील देश संगठित रहें तो संभव है कि सम्पर्क प्रस्ताव सुधरी प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग बन जाए।

बीस की समिति की बैठक होने से पहले 24 मार्च 1973 को 24 विकासशील देशों के समूह की बैठक हुई थी। यह समूह, पिछले वर्ष इस उद्देश्य से बनाया गया था कि विकासशील देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार से सम्बन्धित विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान कर सकें और एक सामान दृष्टिकोण अपना सकें। हमारे सुझाव पर, 24 के समूह ने सम्पर्क प्रस्तावों के सम्बन्ध में एक ऐसी सामान्य व्यवस्था तैयार करने के लिये, जो सभी विकासशील देशों को स्वीकार्य हो, और उसे 20 की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये एक कार्यकारी पार्टी की नियुक्ति की है। हम 24 के समूह के कार्य को विशेष महत्व देते हैं क्योंकि विकासशील देशों के संगठित होने पर ही इस बात की संभावना है कि उनकी आवाज 20 की समिति में सुनी जाय। अपनी ओर से हम, एक ऐसी नयी मुद्रा प्रणाली की संयुक्त खोज में, जो विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल हो, विकासशील देशों की एकता को कायम रखने का प्रत्येक संभव प्रयास करेंगे।

विज्ञप्ति

1 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के सुधार और सम्बद्ध मामलों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों को बोर्ड की समिति (बीस की समिति) की दूसरी बैठक इण्डोनेशिया के वित्त मंत्री श्री अली वर्धन की अध्यक्षता में 26 और 27 मार्च 1973 को वाशिंगटन में हुई थी। यह बैठक आर्गेनाइजेशन आफ अमेरिकन स्टेटस के सौजन्य से पान अमेरिकन यूनियन बिल्डिंग में हुई थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रबन्ध निदेशक श्री प्यारे पोल इवाइत्जर ने भी इस बैठक में भाग लिया और उनके अतिरिक्त यूरोपीय सांझा बाजार के उपाध्यक्ष श्री विलहेम हफेरकैम्प, बी०आई० एस० के, महाप्रबन्धक श्री रेन लोर, व्यापार तथा निर्यात आयात शुल्क संबंधी सामान्य करार के महानिदेशक श्री ओलिवर लांग संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के महा सचिव श्री मैन्युएल पेरेज-जयुरेरो, अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिमाण और विकास बैंक के उपाध्यक्ष सर डैनिस रिकेट्ट और यूरोपीय सहयोग और विकास संगठन के महासचिव श्री एमिलि वान लेन्नेप भी इस बैठक में उपस्थित थे।

2 समिति को एक रिपोर्ट मिली जिसमें डिप्टियों के अध्यक्ष श्री जर्मी मोरसे ने, डिप्टियों द्वारा समायोजन प्रक्रिया और विनिमय दर संबंधी क्रियाविधि, प्रारक्षित परिसम्पत्ति और रुपान्तरित तथा पूंजी प्रवाह के संबंध में अब तक किए गए विचार विमर्शों का सारांश प्रस्तुत किया था।

3 समिति के सदस्यों ने इस बात की फिर से पुष्टि की कि एक ऐसी विश्व मुद्रा व्यवस्था होनी चाहिये जो एक सुदृढ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के ढांचे के अन्तर्गत सहयोग और परामर्श पर आधारित हो और जिसमें विश्व व्यापार और रोजगार तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले और समूचे विश्व में मुद्रा-स्थिति की रोकथाम करने के लिये मुद्रा प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले आन्तरिक प्रयत्नों को समर्थन प्राप्त हो।

4 समिति के सदस्यों ने विनिमय बाजारों में हुई हाल की घटनाओं तथा इन घटनाओं के संदर्भ में देशों की नीति संबंधी प्रतिक्रियाओं को ध्यान मे रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार संबंधी निष्कर्ष के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया और अपने डिप्टियों को यह अनुदेश दिया कि वे इन घटनाओं को तथा अपने काम को जारी रखने में इन घटनाओं के प्रभाव को ध्यान में रखें। समिति के सदस्यों ने यह बात स्वीकार की कि सुधार के विभिन्न पहलू आपस में एक दूसरे स जुड़े हुए हैं। सुधरी प्रणाली के बारे में उन लोगों ने जो विचार विमर्श किया वह इन बातों पर केन्द्रित है :—

(क) समायोजन प्रक्रिया को सुचारु रुप से क्रियान्वित किया जाना चाहिये, जिसमें अधिशेष तथा घाटा वाले दोनों प्रकार के देशों द्वारा शोधन शेष का ठीक समय पर तथा कारगर ढंग से समायोजन करने के लिये सुनिश्चित व्यवस्था करने की ऐसी पर्याप्त कार्यप्रणालियां अपनायी जानी चाहियें जो निधि के अन्तर्गत सुधरे हुए अन्तर्राट्रीय परामर्श की सहायता से तैयार की गयीं हों जिनमें उद्देश्यपूर्ण निर्देशक भी शामिल हों। यह बात देखी गयी थी कि डिप्टी, निर्देशको के अनुसार एक तकनीकी समूह की स्थापना कर रहे हैं। शोधन-शेष के समायोजन के लिये कारगर आन्तरिक नीतियों के महत्व को स्वीकार किया गया कि समिति के सदस्यों ने यह बात स्वीकार की कि विनिमय दरों से संबंध विषय, अन्तर्राष्ट्रीय हित और परामर्श का विषय होना चाहिये और सुधरी व्यवस्था के अन्तर्गत विनिमय दर स्थिर किन्तु समायोजन योग्य सममूल्यों पर आधारित होनी चाहिये। यह बात भी स्वीकार की गयी थी कि विशेष परिस्थितियों में विनिमय दरों से मुक्त दरें एक उपयोगी तकनीक उपलब्ध कर सकती है। विनिमय बाजार में स्थिरता लाने की आवश्यक्ता तथा विनमय दर संबंधी नीतियों पर निधि की देख रख के महत्व के बारे में सामान्य रूप से सहमति व्यक्त की गयी।

(ख) विश्व की नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्तियों के विषय में एक अच्छा अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध होना चाहिये प्रारक्षित मुद्राओं की भूमिका को कम करना चाहिये और सुधरी व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष आहरण अधिकारों को मुख्य प्रारक्षित परिसम्पत्ति का स्थान प्राप्त होना चाहिये। डिप्टियों से कहा गया है कि व फिर से सामान्य रुपान्तरनीयता की स्थिति उत्पन्न करने के लिये आवश्यक वातावरण का अध्ययन करें जिसमें अतिरिक्त प्रारक्षित मुद्रा की शेष राशियों के समेकन और निपटारे की प्रणालियों के प्रश्न शामिल हैं।

(ग) असंतुलनकारी पूंजी प्रवाहों की समस्या पर विभिन्न तरीकों से काबू पाने के कारगर उपायों का और वित पोषण द्वारा इन्हें प्रतिसंतुलित करने का गहन अध्ययन किया जाना चाहिये जिनमें इन्हें प्रभावित करने वाले नियंत्रण भी शामिल हैं । यह बात नोट की गई थी कि डिप्टी असंतुलनकारी पूंजी प्रवाहों के संबंध में जिनमें यूरोपीय मुद्रा बाजारों से सम्बद्ध पूंजी प्रवाह भी शामिल हैं, एक तकनीकी समूह की स्थापना कर रहे हैं ।

(घ) शोधन–शेष के प्रयोजनों के लिये व्यापार नियंत्रणों का उपयोग किए जाने के लिये जोरदार आवाज उठाई जानी चाहिये । किन्तु जहां संभव हो वहां विकासशील देशों को अन्य देशों द्वारा लगाये जाने वाले व्यापार और पूंजी नियंत्रणों से मुक्त कर देना चाहिये और ऐसे नियंत्रणों के बारे में विचार करते समय जिनके बारे में वे स्वयं महसूस करते हों कि उन्हें लागू करना आवश्यक है, उन देशों की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिये ।

5 समिति के सदस्यों ने वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत विकासशील देशों की चिन्ता और सुधरी प्रणाली के अन्तर्गत उनके हितों को स्वीकार किया । उन्होंने मुद्रा सुधार के अवसर पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा विकसित देशों से विकासशील देशों को वास्तविक संशोधन मुहैया करने की वांछनीयता का जोरदार समर्थन किया ।

6 समिति ने अपने डिप्टियों के भावी कार्यक्रम का अनुमोदन किया । सुधार के उन पहलुओं की ओर डिप्टियों का ध्यान आकर्षित करते हुए, जिनका वर्तमान स्थिति से महत्वपूर्ण संबंध है, उन्होंने यह बात स्वीकार की कि निधि के कार्यकारी निदेशकों तथा डिप्टियों के कामों में तालमेल बढाने के लिये पहले से ही कार्यप्रणाली निश्चित कर दी गयी है उन्होंने यह बात नोट की है कि डिप्टी अपनी बैठक के कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार कर रहे हैं । उन्होंने डिप्टियों को यह अनुदेश दिया कि वे सुधार के संबंध में तत्काल ही एक मसौदा तैयार करें जिसमें मुख्य मामले समिति के निर्णय के लिये प्रस्तुत किये जायें ।

7 डिप्टियों के काम की प्रगति को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तावित समय पर समिति की फिर बैठक होगी ।

टैक्सटाइल समिति (संशोधन) विधेयक पुनः स्थापित

Textiles Committee (Amendment) Bill—Introduced

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं 6 अप्रैल, 1973 के 'स्टेट्समैन" में मुख्य शीर्षक के रूप में प्रकाशित उस समाचार की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसके अनुसार वेतन आयोग के कुछ सदस्यों को इस बात का पता चला है कि रिपोर्ट में उनकी सिफारिशों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है । सदस्यों को शायद पता नहीं था कि वे जिस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसमें क्या है । आई० ए० एस० सम्बन्धी अध्यक्ष को सदस्य सचिव श्री एच० एन० राय और दो अन्य आई०ए० एस० अधिकारी—श्री आर० डी० थापर और श्री नरेश चन्द्र ने तैयार किया था ।

मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये और इस बारे में जांच करने के लिये आयोग नियुक्त करें और अगर यह सही निकले, तो सदस्य सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि कर्मचारी संघों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जानी चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It has been reported in the "Statesman" that Members of the Commission had signed the Pay Commission's Report without having read it. How can employees believe in the report? The honourable Finance Minister should take the house into confidence.

श्री समर गुह (कन्टाई) : सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि रिपोर्ट में सिफारिशों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या नहीं दी गई है और न उसमें अध्याय ही है। हस्ताक्षर करने से पहले सदस्यों को पूरी, रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं दिया गया। सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये कि क्या यह समाचार सही है क्योंकि यह काफी गम्भीर मामला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): सरकार को इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये, क्योंकि सरकारी रिकार्ड में हेराफ़ेरी की गई है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आयोग के सभी सदस्यों ने मुझे रिपोर्ट पेश की थी। उसमें उनके हस्ताक्षर थे और उसे मैंने सभा पटल पर रखा था। संभव है कि समाचारपत्रों के लिये जो संक्रिय सारांश जारी किया गया है, उसमें कुछ सिफारिशों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो।

सदस्य चाहें, तो वे पूरी रिपोर्ट को स्वयं देख सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस पर चर्चा की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट काफी बड़ी है और जब आप सब पढ़ लेंगे, तो चर्चा के लिये कुछ समय अवश्य दिया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास साइक्लोस्टाइल की हुई वेतन आयोग की रिपोर्ट की काफी प्रतियां नहीं थी इसलिये मेरा विचार था कि संक्षिप्त सारांश को मुद्रित कराके सभापटल पर रखा जाय। सदस्यों ने स्वयं यह कहा कि संक्षिप्त सारांश पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, इसलिये इसे सभा पटल पर नहीं रखा जाय। इसलिये मैंने पूरी रिपोर्ट ही सभा पटल पर रखने का निर्णय किया।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सारांश प्रतिवेदन का भाग होता है। यदि सारांश में कोई बात तोड़-मरोड़ कर लिखी जाती है तो उसकें लियें किसे उत्तरदायी ठहराया जायेंगा ? क्या आयोग के सदस्य उत्तरदायी नहीं हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि सारांश देने के बाद........

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं वित्त मंत्री पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब इसे समाप्त करो। आखिर सभा की कार्यवाही चालू करनी चाहिये ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सभा का ध्यान नेफ़ा में कुओं मास किमीतु स्थान पर दफला आदिवासियों द्वारा पिकनिक पर गए कुछ छात्रों के मारे जाने और आठ के घायल हो जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। शासन का दफला आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा ? क्या इन वर्षों में प्रशासन वहां जीवन के तरीके में कोई परिवर्तन ला सका है ? इन लोगों को एकान्त में रखनें की यह प्रक्रिया हमें कहां ले जा रही है। इस पर मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये या इस विषय पर चर्चा करनें की अनुमति दी जानी चाहियें।

Shri Hukam Chand Kachawi (Morena) : I would like to draw the attention of the Government to the Stenton Pipe and Foundry Factory, Ujjain. The workers are agitated there because the report of the Wage Board has not yet been implemented inspite of the fact that it was submitted three years ago. Strike is going on for the last 42 days. The Central Government is responsible for this because they took over this factory two years ago.

Shri Jharkhanade Rai (Ghosi) : The Government of India imposed Control on yarn on the 9th March and the Mills implemented that order on the 12th or 13th. Now there is acute shortage of yarn and the Handloom and Power loom industries are not getting yarn.

श्री पी० जी० मावलंकर (ग्रहमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसी विषय पर मैंने दो दिन पहले ग्रापका ध्यान दिलाया था परन्तु ग्रापने ग्रनुमति नहीं दी थी ग्रब इसे उठानें की ग्रनुमति कैसे दी गई है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप ठीक कहतें हैं कि माननीय सदस्य मुझसे मिले थे ग्रौर मैंने ग्रपनी ग्रनुमति नहीं दी थी । यह मेंरी समझ में नहीं ग्राता कि यह नया तरीका कैसे है ।

श्री ग्रटल बिहारी बाजपेयी : (ग्वालियर) सरकार ने सूत का वितरण ग्रपने हाथ में ले लिया है परन्तु सूत मिल नहीं रहा है ।

Mr. Speaker : I would have allocated time for this matter but as I have already said that this matter has come in the House. Now you can speak when the Demands of the Ministry of Commerce are taken up.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Can this matter be postponed till the demands of the Ministry of Commerce are taken up ?

Mr. Speaker : But how can it be taken up under this.

Shri Jharkhande Rai : In the district of Azamgarh 30,000 handlooms out of 40,000 and 2,700 powerlooms out of 4,000 have been closed due to non-availability of yarn.

श्री पी० जी० मावलंकर : गुजरात में 25,000 विद्युत करघे बंद हो गयें हैं। जिन में से 6,000 विद्युत करघे केवल ग्रहमदाबाद में हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to give a personal explanation. When the discussion was going on on the Demands of the Ministry of Education on the 4th April, Shri Chandrappan said one thing while mentioning my name. I want to quote his words :

"...............the leaders of the syndicate are taking interest in this University (Aligarh Muslim University)............Shri Atal Bihari Vajpayee visited the University and had discussions there."

Neither have I visited that University so far nor do I intend to do so in near future. Shri Chandrappan should have correct information. This is just to willify me or my party.

ग्रनुदानों की मांगें 1973-74

Demands for Grants—1973-74

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय—जारी

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun) : I was saying that certain changes are to be brought about for the expansion of education by this Government that is commandable.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

The Government has allotted Rs. 29 Crores in the Budget for providing employment to the unemployed. Separate institutions have been opened for

technical, technological and engineering education. But the question is who can afford to send their children to these institutions because they are very costly. If we want to impart such education to the children of the poor, we shall have to make this education cheap.

There are three-four types of schools in the country under the present educational system. The Sainik Schools and other Public Schools are costly. Last year the Government proposed to provide 25 seats in such schools but that is like a drop in the Ocean.

We talk much about monopoly houses these days. But is it not a fact that even in the field of education a kind of monopoly has taken place? Only the Children of the rich are receiving the best education. The monopoly in the field of education has to be put an end to.

The arrangement for the people of lower class is in deplorable condition.

In the Universities and Colleges the student belonging to the poor goes to receive education but he is threatened by the wicked students. Indiscipline is prevalent in these Colleges.

The Government should nationalise the education in order to remove the disparities in the field of education.

Education should be made free and compulsory for the weaker sections of the society. So long as this is not done, our goal of socialism will remain a mere dream and a slogan.

So far as the question of Hindi is concerned, it is the responsibility of the Central Government to promote and encourage it. It seems that there is no scheme in that direction.

I would like to say few words about social welfare. The work of social Welfare is being done with a view to providing employment to the people. Grants are given to various institutions in order to curb beggary, to check corruption among women. The Government should see that these grants are not misused by these institution.

Prof. S.L. Saksena (Maharajganj) : When the new Minister took charge of Education I hoped that there would be all round improvement in the field of education under his guidance but I was surprised to see the budget allocation for education. Out of a total of Rs. 75,000 crores only Rs. 123 crores have been allocated for education which comes to only 1·5 percent. It is a matter of shame. Other advanced countries spend 25 per cent on education.

How little importance we attach to education is evident from the fact that there is no Minister of Cabinet rank in the Ministry. Why the Cabinet rank has not been given to Prof. Nurul Hasan ?

The way in which the grants given by the University Grants Commission are spent is also a matter of shame. 88 per cent of the students are reading in Colleges and only 12 per cent of them in the Universities. But Rs. 23 Crores

are spent on the Universities and only Rs. 7 Crores are spent on Colleges Sixty per cent amount should be given to the Colleges and the remaining 40 per cent to the Universities.

In order to improve our performance in Olympics, it is essential to pay greater attention to the sports in Colleges.

The facilities provided for primary education are very unsatisfactory. Unless these primary schools attain the status of kindergortens, no progress can be achieved.

Shri Dalip Singh (Outer Delhi) : I am thankful to the hon. Minister who has succeeded in getting the Delhi Education Bill passed and has given much relief to the Delhi School teachers.

There are many public schools in the cities but the education system in the villages is not satisfactory. There should be only one syllabus for all schools. As a result of that the children of the poor will read the same books as the children of the rich.

Recently I had the apportunity to visit a co-eductional college. I was pained to see their discipline at their annual function. When the girls came to receive prizes, the boys started hooting them.

The hon. Minister should consider the opening of a college in my constituency.

There are nursery schools in the cities. But there are no nursery schools in the rural areas. Nursery schools should be opened in the villages.

In the Higher Sceondary Schools in rural areas of Delhi, science is taught through Hindi medium but these students cannot seek admission to the I.I.T. If Science is taught through English medium in the cities. it should also be taught in English in the villages.

It is learnt that some centres, which were opened to train women and girls in sewing and embroidery, are proposed to be closed. I would like to request the hon. Minister to have a dialogue with the Delhi Education Directorate and ask them not to close these centres.

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kasganj) : The jurisdiction of the Ministry of Education and Social Welfare is very wide but the amount allotted for it is very small. This is really regrettable. The allocation in the budget for this Ministry should be more.

It is said that there has been much progress in the field of education during the last 25 years. But has the Government ever tried to find out as to how many schools are really imparting education and how many are merely making money ?

The Standard of education is going down. The youth need employment. The Government never paid any attention to it. Has any survey been conducted as to which sections of the society are left-untouched in respect of education ?

To-day we see that demonstrations take place. The Railway Property is being damaged. It is all due to unemployment.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr) : During the last 25 years the number of schools have increased but the standard of education has gone down. As a result when the boys come out in search of jobs and do not get jobs, they resort to immoral practices and indulge in violence and indiscipline in the universities. It shows that the money we are spending goes waste. Changes in the entire educational system are needed.

Previously religious education was given. To-day in some of the private schools and colleges, religious education is given but due to immaturity and less knowledge of religious matters there are clashes. The main tenets of every religion should be given place in education.

The history books taught in our universities are those which were written during the British regime. So many persons have written new history books in our country. That should be compiled, reshaped and taught in our universities.

Sanskrit is being neglected in our country. It has been official language in our country. If we do not provide proper education in Sanskrit, we shall be deprived of the knowledge of our cultural and literary heritage.

So far as the basic education is concerned, Mahatma Gandhi initiated the basic education but the way in which it is being imparted to day is ridiculous. If that system is to be introduced, if should be introduced on the lines of Wardha Education Scheme.

श्री पाश्रोकाई हाश्रोकिम (बाह्य मनीपुर) : हमारे यहां विद्यार्थियों, श्रध्यापकों श्रौर प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों की समस्या हमेंशा ही रही हैं। संविधान के निर्देशों के श्रनुसार 1960 तक निशुल्क तथा श्रनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध कया जाना था परतुं श्राज तक यह नहीं हो सका है। पिछले वर्ष शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 1975–76 तक 6 से 11 वर्ष की श्रायु सीमा के बच्चों के लिए श्रौर 1980–81 तक 11 से 14 वर्ष की श्रायु सीमा वाले बच्चों के लिए निशुल्क एंव श्रनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जा सकेगा। परतुं वर्तमान गति के साथ इन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव प्रतीत नहीं होती।

हम दोपहर के भाजन के सबंध में बहुत बातें करते हैं परन्तु दूरस्थ तक ग्रामीण क्षेंत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए इस सुविधा की व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहियें।

शिक्षा का विषय राज्य तथा केन्द्र दोनों के क्षेत्राधिकार में श्राता है। राज्यों पर इस के लिए प्रर्याप्त धनराशि का नियतन नहीं किया जा रहा। इसी कारण में इस दिशा में पर्याप्त सुधार नहीं है किन्तु इस विषय को श्रपनें श्रधिकार में लेंना चाहियें।

यह देश सब से बड़ा लोक तन्त्रात्मक देश है। लोकतन्त्र की सफलता के लिए भी शिक्षा का प्रसार श्रावश्यक है शिक्षा कें स्तर में सुधार बिना विभिन्न स्तरों पर श्रच्छा नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सकता।

शिलागं में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशंनीय है। मनीपुर राज्य में भी एक बिश्वविद्यालय की स्थापान की श्रावश्यकता है। नये राज्य में सड़को, रेल श्रादि जैसे विकास कार्यो के साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना की भी श्रावश्यकता है।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसीरहाट) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमने श्राज तक कोई शिक्षा नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो इसकें उद्देश्य क्या हैं ? क्या हमारी शिक्षा नीति पर उदेश्य केवल मात्र नौकरियों के पीछे भागने वाले लोग बनाना ही है श्रथवा विश्वास के साथ जीवन की वास्तविकताश्रों को सामने रखने वाले लोग बनाना है ? यदि हमारा उद्देश्य यही है तो हम उसमें कहां तक सफल हो पा रहे हैं।

ग्राज लाखो लड़के स्कूलों से निकल रहे हैं। उनमें से कुछ कालजो में प्रवेश पा लेते हैं ग्रौर शेष समाज में ग्रपने को नि:सहाय पातें हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रुप धारण करती जा रही है। शिक्षा प्रणाली ने इस स्थिति को बढ़ावा ही दिया है। देश में उपयोगी नागरिक बनाने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। देश में बेसिक दिशा के केन्द्र खोले गये। परन्तु ग्रब उन का कहीं भी पता नहीं चलता। हमारे देश में परीक्षा पद्धति भी बड़ी ग्रजीब है। उससे विद्यार्थी कें मानासिक गुणों का निर्धारिण नहीं हो पाता। वर्तमान परीक्षा पद्धति के ग्रन्तर्गत एक साधारण विधार्थी भी ग्रच्छे ग्रंक प्राप्त कर सकता है ग्रौर ग्रच्छे विद्यार्थी कें इस ग्रंक प्राप्त करने की भी संभावना रहती है यह सब मुख्यता ग्रवसर पर निर्भर करता है यह शिक्षा पद्धति हमारे विदेशी शासको ने लागू की थी। उन्हें नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की ग्रावश्यकता थी। क्या हम ग्राज भी यही चाहते हैं। क्या सरकार देश में ग्रनुशासित नागरिक नहीं चाहती? शिक्षा संस्थाग्रों में ग्राज ग्रनुशासन नाम की कोई बात नहीं रह गई। यदि ग्राज हम स्कूलों तथा कालजों में ग्रनुशासन लागू कर सकें तो यह दें‍श की बहुत बड़ी शक्ति होगी।

सरकार ग्राज शिक्षा संस्थाग्रों के प्रशासन में ग्रतिक्रमण कर रही है। हमें शिक्षक समुदाय पर विशवास करना चाहिये। यदि उन्हें स्वतन्त्रता पुर्वक कार्य करने की ग्रनुमति दी जाये तो मेरे ख्याल से वे देश के विकास में बहुत योगदान दे सकते हैं।

शिक्षा नीति इस प्रकार की है कि होनहार होत हुए भी गरीब परिवार के बच्चों को देश के विकास में ग्रपना योगदान देने का ग्रवसर प्राप्त नहीं होता। सरकार को देश के विकास के लिए नीति में परिवर्तन करना चाहिये।

हमारे देश में राजा राम मोहन राय का विशेष स्थान है। वह एक बहुत बड़े सुधारक थे। सरकार ने उन के पुण्य-स्मरण के लिए कुछ नहीं किया है। राजा राम मोहन राय के मकान को राष्ट्रीय स्माकर दिया जा सकता है। पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने केंन्द्रीय सरकार से उस मकान का ग्राभीगृह करने का ग्रनेक बार ग्रनुरोध भी किया है। परन्तु उस महान सुधारक के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है।

Shri Chandrika Prasad (Balia): Budget provision made for Education is not adequate. To-day we are having two types of education. One produces Officers through Public Schools and the other produces clerks. For the second category there are Municipal and District Board Schools. Development during 25 years in the field of education has not been in the right direction. Our Schools are characterised by indiscipline, party politics and Casteism. If this situation continues our country can not prosper.

Education system is producing job-seekers. Students do not want to do physical labour after completing their studies. Government should make Social science compulsory for students. It will help them cultivate love for manual labour.

Government should close Public Schools and the money thus saved should be spent in backward areas. Unless this is done we will not be able to usher in Socialism.

There should be a Primary School in every village for boys as well as girls. There should be an Intermediate College at block level and a Degree and a Post-Graduate College at District level. There should be a university for an area of 100 miles. There is no University for Balia, Azamgarh and Gazipur. Therefore Government should set up a Central University at Balia.

Government have launched two Schemes, namely Extensive Educational Development Programme Project Scheme and Educational District Development Project. Only Sultanpur District of U.P. has been included in the second Scheme. I am to request that Balia. Azamgarh and Gazipur should also be included in the Scheme. U. P. has been excluded from Extensive Development Project, I request that is should be included in this Scheme.

There is one Degree College for girls in Eastern Districts. But U. G. C. is not giving any aid to it. This should be looked into. Nationalisation of education is good but it should not lead to Governmentalisation.

Bhojpatri language is spoken by 4 crores of people but nothing has been done for its development. Our education should be based on our Cultural heritage. Unless it is done objectives of education would not be achieved.

शिक्षा मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : चर्चा के दौरान जो सुझाव दिये गये हैं वे पांचवी योजना को अन्तिम रूप देते समय मूल्यवान सिद्ध होगे मैं आश्वासन देता हूं कि हम मे जो विश्बास प्रकट किया गया है हम उसके अनुरूप कार्य करने का यथा शक्ति प्रयास करेंगे।

चर्चा के दौरान जो बाते उठाई गई हैं वे समान्यता तीन श्रेणियों में आती हैं प्रथम श्रेणी की बातें सामन्यता नीतियों के प्रश्नों से संबंधित हैं। दूसरी श्रेणी में मुख्य घटनाएं आती हैं और तीसरी श्रेणी में व बातें आती हैं जिनके संबंध में कुछ जानकारी और स्पष्टीकरण अपेक्षित हैं। समय की कमी के कारण में पहली दो श्रेणीयों के संबंध में मैं सरकार का दृष्टीकोण स्पष्ट करूगा। शेष बातों के संबंध में मैं सदस्यों को पत्र भेजूगां।

यद्यपि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास का विषय अब गृह मंत्रालय के अर्न्तगत आता है फिर भी शिक्षा समाज कल्याण और सांस्कृतिक मंत्रालय अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक है। समाज के दलित वर्गों और विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को और अन्य वंचित देखे गये सामाजिक वर्गो को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हर संभव प्रयत्न करने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी संस्थानों में उपरोक्त समुदायो के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण हैं परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण इसे पूरा नहीं किया जा पा रहा था। स्थिति का पुनरावलोकन करके नियमों में परिवर्तन करके जुलाई के सत्र से कोटे को पूरा करने के बारे में सोचा जा रहा है।

यह सच है कि हमने बाल नीति सकंल्प जारी नहीं किया गौर राष्ट्रीय बाल बोर्ड की नियुक्ति नहीं की है। इसके संबंध में मैं यह क्रहना चाहता हूं कि जब तक योजना में आवश्यक उपबन्ध न कर लिये जाये तब तक यह संकल्प जारी करंना व्यर्थ होगा। इस पर भी बाल कल्लाण के प्रमुख कार्यक्रमों पर कार्य जारी है।

बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम और तीन से छः वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कुल पूर्व शिक्षा के कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए स्कुल-पूर्व शिक्षा के कार्यक्रम समाज के निर्बल और विशेष रूप से गांवो के बच्चों तक ही सीमित हैं।

जहां तक संस्कृति का संबंध है हम अपने प्राचीन स्मारकों और संस्कृतिक विरासत के सरंक्षण के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि धन की कमी के कारण इन कार्यो की उपेक्षा नहीं की जायेगी। पाचंवी योजना मे एक ऐसी योजना सम्मिलित की जानी है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एंव राज्य सरकारें अपनें अपने अधिकार क्षेत्र मे आने वाले ऐतिहासिक स्मारकों के सरंक्षण के कार्यक्रम आरभ करेंगी।

सरकार प्रत्येक गावं में पुरातत्वीय सर्वेक्षण की योजना भी आरभं कर रही है। इतिहास तथा पुरातत्वशास्त्र के स्नातकोत्तर छात्रों का योगदान प्राप्त करके इस कार्य को पाचंवी योजनावधि में पूरा किये जाने का प्रस्ताव है। पुरातन तथा कलात्मक वस्तुओं की तस्करी एंव उनके अनाधिकृत व्यापार को रोकने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में केन्द्रीय संग्रहालयों को सुचारू किया जा रहा है। सरकार हस्तलिखित ग्रंथों के पुस्तकालयों को भी सहायता देना चाहती है। इस दिशा में केन्द्रोय सरकार ने हस्तलिखित ग्रंथों के तन्जौर स्थित एक महत्वपूर्ण सग्रंहालय का प्रबंध करने के लिए तामिल नाडु सरकार की सहायता करने का प्रस्ताव किया है।

सीमित साधनों के होते हुए भी अकादमियों ने मूल्यवान योगदान दिया है। परन्तु यह भी टीक है कि उनके कार्यकरण में सुधार की अपेक्षा है सरकार को आशा है कि पाचंवी योजना मे इस स्थिति में सुधार होगा। नई राजकीय अकादमियां स्थापित की जाएंगी और राजकीय अकादमियों के सबंध में खोसला समिति की मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर के अधिक धनराशि उपलब्ध की जायेगी।

भारतीय संस्कृति का विकास सरकार के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति के विशिष्ट लक्षण हैं। इसकी विभिन्नताओं में भी एकता की नदी बहती है जिसने इसे सहनशीलता तथा उदारता की परम्परा दी है। इसे बनाए रखना है व इसका विकास करना है। हमे यह प्रयास करना है कि हमारी प्राचीन संस्कृति भविष्य के लिए हमारे लोगों की आवश्यकताओं को हल करने के लिए फले फूले।

यह सच है कि हमने 26 औपचारिक सास्कृतिक समझौते किए हैं परन्तु सास्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम इन 26 देशों के साथ ही सीमित नहीं हैं। पिछले वर्ष एशिया के देशों के साथ कार्यक्रम नियत करने की दिशा में विशेष प्रयास किए गए।

यह ठीक है कि शिक्षा मंत्रालय ने जितनी धन राशि की मांग की उतनी नहीं दी जा रही। परन्तु हमें सारी परिस्थितियों पर ध्यान देना है। यद्यपि औपचारिक रूप से इस मंत्रालय के बजट में कटौती की गई है फिर भी हमें आश्वासन दिया गया है कि अतिरिक्त धन राशि का प्रबंध किया जायेगा। यदि हमने धनराशि की कमी के कारण किसी कार्यक्रम को प्रभावित होता देखा तो उस अवसर पर अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जायेगी।

यहां पर में यह बताना चाहूंगा कि पाचंवी योजना में शिक्षा के लिए अधिक धन राशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। पहली पंच वर्षीय योजना में शिक्षा के लिए 153 करोड़ रुपये अर्थात कुल परिव्यय के 7 प्रतिशत की व्यवस्था है। दूसरी योजना में यह व्यवस्था 273 करोड़ अर्थात 5.8 प्रतिशत थी और तीसरी योजना में व्यवस्था 584 करोड़ रुपये अथवा 6.9 प्रतिशत थी चौथी योजना में 824 करोड़ अर्थात 5.2 प्रतिशत की व्यवस्था की गई। अब पांचवी योजना में 2200 करोड़ रुपये अर्थात 6.4 प्रतिशत व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। यह व्यवस्था पहली चारों योजनाओं की कुल व्यवस्था से भी अधिक है। इससे देखा जा सकता है कि सरकार योगदान के प्रति सचेंत है।

Shri Krishan Chander Pande (Khalilabad): Sir, I rise on a point of order. There is a need for a change in Education policy..........

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है। कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही वृतान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Shri. Krishan Chander Pande:*

प्रो० एस० नूरूल हसन : दिल्ली में चयन ग्रेड में पदोन्नत किए गए प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की सूची में गलती का मुझे दुख है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सूची में सम्मिलित अध्यापकों में से कुछ सेवा से त्यागपत्र दे चुके हैं व कुछ मर चुके हैं आदि आदि। दिल्ली प्रशासन ने उत्तरदायी व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मागां है।

अध्यापकों के सामाजिक व अर्थिक स्तर को सुधारने और उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। मैं उन सब बातों को स्वीकार करूंगा। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकार की है उसमें भी अध्यापकों के महत्वपूर्ण योगदान पर बल दिया है। मुझे आशा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय स्कूलों में अध्यापकों की सेवा शर्तों में और सुधार होगा। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी हमारे निर्धारित मुख्य सिद्धातों को स्वीकार करेगीं।

जहां तक विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों का संबंध है विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समिति ने इनकी सेवा शर्तों के संबंध में अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। यह प्रतिवेदन सरकार को शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

अध्यापकों के पारिश्रमिक का प्रश्न एक बहुत ही जटिल समस्या है। इस दिशा में पहला प्रयास अध्यापक समुदाय को उचित दर्जा देना है। दूसरा उपाय सभी सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में मितव्ययता की शिक्षा में प्रयास करना है जिससे कि अर्थव्यवस्था को विकास का पर्याप्त अवसर मिल सके।

मैं इस बात से सहमत हूं कि तमिल नाडु सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की है। परन्तु यह कहना ग़लत है कि तामिल नाडु में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त नहीं हैं क्योकि श्री दंडपाणि ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह एक बहुत ही उन्नत राज्य है। यदि क्षेत्रिय असन्तुलन दूर करने है तो हमें उन क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता देनी होगी जिनका विकास उचित स्तर पर नहीं हो सका है जो पिछड़े हुए है और जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।

संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृ भाषा में प्राप्त कर सकता है। सरकार इस बात का समर्थन करती है और वह राज्य सरकारों पर जोर डालती रही है कि वह इस संवैधानिक व्यवस्था को लागू करें। जहां पर स्कुलों में उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त है वहां माध्यमिक स्तर पर उर्दू की पढ़ाई के लिये सुविधाएं उपलब्ध करने की भी हमारी नीति है। इसी आधार पर केन्द्रीय सरकार ने आदेश दिया है कि 27 केन्द्रीय स्कूलों में उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये और अब जिन विद्यार्थियों ने चालू शिक्षा वर्ष में उर्दू पढ़ना आरम्भ किया है उनकी संख्या 1 876 है। इससे पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार की नीति न्यायोचित है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड शिक्षा सम्बन्धी साहित्य वैज्ञानिक पुस्तके बाल साहित्य और संदर्भ विश्वकोष बनाने के काम में जुटा हुआ हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड नें मूल लेखन अथवा अनुवाद क लिये 542 शीर्षक चुने हैं। यह बोर्ड अंग्रेजी-उर्दू और उर्दू-उर्दू शब्द-कोश तथा विश्वकोश तयार कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आठवी और माध्यमिक कक्षाओं के लिये प्रकाशित 49 पुस्तकों का अनुवाद करवाना आरम्भ कर दिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्या राज्य सरकारों को भी कोई निर्देश गये है ? हमारी शिकायत यह है कि वे इस स्थिति को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।

प्रो० एस० नूरूल हसन : उत्तर प्रदेश से मुझे सरकारी तौर पर सूचना मिली है कि आगामी शिक्षा वर्ष से प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में प्रत्यक प्राथमिक स्कुल मे कम से कम एक अध्यापक नियुक्त किया जायेगा। आशा है कि निकट भविष्य में उर्दू पढ़ाने वाले 3 000 अध्यापक भर्ती किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश ने एक उर्दू अकादमी भी स्थापित की है। इसके मुख्य कृत्य उर्दू भाषा और इसके साहित्य का संरक्षण एवं विकास करना साहित्यिक एवं शैक्षणिक महत्व की मूल रचनाओ को प्रकाशित करना उर्दू में संदर्भ ग्रंथों को प्रकाशित करना निर्धारित अवधि के लिये उर्दू विद्वानो को उंची पढ़ाई के लिये वित्तीय सहायता सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करना तथा पुराने और जरूरतमन्द लेखको को मासिक वित्तीय सहायता देना है।

जहां तक इतिहास लिखने का सम्बन्ध है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण न अपना कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयत्न किया जाता है। हमारे इतिहास के लेखकों को वैज्ञानिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और ऐसे लेखकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसी विचार से भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसी प्रयोजन से इतिहास की तीन पाठ्य पुस्तक् प्रकाशित की हे। मेरे विचार मे कुल मिला कर ये 6 पुस्तके होंगी—तीन आठवीं कक्षा और तीन माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जायेंगी। वे केन्द्रीय विद्यालयो में चल रही है और कुछ राज्य सरकारों ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में अर्थात् केन्द्रीय सूची में रखा जाना चाहिये। इस सम्बन्ध मे मुझे यही कहना है कि राज्य शिक्षा मंत्रियों और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में इस बात पर सहमति है कि हमे एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मिलकर काम करना है। इसी लिये केन्द्रीय शिक्षा बोड की स्थापना को गई थी जिसमें सभी राज्यों के चाहे वे किसी भी दल के हो शिक्षा मंत्री शामिल किये गये हैं जिससे एक सामान्य नीति बनाई जा सके। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की अधिकांश सिफारिशें योजना आयोग को स्वीकार्य होंगी।

अनेक सदस्यों ने शिक्षा प्रणाली बदलने पर जोर दिया है। हमने मिल कर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में योजनाएं बनाई हैं उन से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में काफी परिर्वत आयेगा। इस कार्य में केवल भारत सरकार के प्रयत्नों की ही आवश्यकता नहीं बल्कि राज्य सरकारों और छात्रों के माता-पिता के प्रयत्नों की भी आवश्यकता है। यदि शिक्षा पर व्यय पर ध्यान दिया जाये तो रक्षा पर व्यय के बाद शिक्षा पर सब से अधिक खर्च किया जाता है। इस समय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 100 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे है। अतः हमें कुछ समय तक धैर्य रखकर प्रतीक्षा करनी होगी। शिक्षा का मुल उद्देश्य मन और हाथों को प्रशिक्षित करना है और एक प्रकार का समन्वय लाना है तथा प्रतिभा, व्यक्तित्व एवं चरित्र का इस प्रकार विकास करना है जिससे भावी युवक उन चुनौतियों का सामना कर सके जो भाविष्य में उसके सामने आ सकती हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा को व्यापक रूप से व्यावसायिक बनाया जायेगा ताकि लोग कोई व्यवसाय कर सकें और यदि भाविष्य मे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो वह ऐसा कर सकेंगे। जहां तक पब्लिक स्कुलों का सम्बन्ध है भारत सरकार की नीति का शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति संकल्प में स्पष्ट उल्लेख ह। हमारा विचार यह है कि चालू योजना अवधि में 10 प्रतिशत प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कुलों का दर्जा बढ़ाया जाये और भौडल स्कुल खोले जायें। प्राथमिक स्तर पर ये स्कुल ब्लाक-वार होंगे और उनमें कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। वास्तव मे इन में 25 प्रतिशत स्थान अत्यन्त निर्धन वर्ग के लिये आरक्षित रहेंगे जिन्हें रखरखाव के लिये पूरा अनुदान दिया जायेगा। इन स्कलो मे उंची श्रेणी के छात्रों को दाखिल करने का कोई इरादा नहीं है। अधिकांश तथाकथित स्कूल सेंट्रल बोर्ड आफ हायर सैंकण्डरी एज्यूकेशन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को अपना रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 2 000 पाठ्य पुस्तकों की छानबीन पूरी कर ली है और राज्य सरकारों को बताया है कि उनके विचार में कहां कुछ परिर्वतन किये जाने चाहिये। फिर यह परिषद स्वयं भी कुछ पुस्तके तैयार कर रही हैं जिनमें इस प्रकार के दोष नहीं होंगे। आगामी योजना अवधि में हम इस कार्यक्रम को और भी तेजी से चलाना चाहते हैं।

जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है में भी माननीय सदस्यों की तरह बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों मे साम्प्रदायिक गतिविधियों के बारे में चिन्तित हूं। हम इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे कि इस स्थिति के साथ कैसे निपटा जा सकता है। सरकार इस बात से सख्त नाराज है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति को बदनाम करने के लिये लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सरकार उपकुलपति और वैध तरीके से गठित विश्व-विद्यालय के प्राधिकार के उन कार्यो का हमेशा समर्थन करती रही है और करती रहेगी जिन से विश्वविद्यालय में अनुशासन स्थापित हो सके और शिक्षा कार्य ठीक ढंग से चल सके।

इसी प्रकार सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के उन सभी निर्णयों का समर्थन करती रहेगी जो विश्वविद्यालय में अनुशासन स्थापित करने और शिक्षा कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये किये जायेंगे।

जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्वरूप का सम्बन्ध है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 30 उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय को अल्प संख्यक संस्था कभी भी स्वीकार नहीं किया है। सरकार का विश्वविद्यालय का स्वरूप बदलने का कोई इरादा नहीं है और न ही संविधान के उपरोक्त उपबन्ध के अन्तर्गत अल्प-संख्यक संस्था घोषित करने का है। सरकार का इस विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्वरूप बदलने का कोई विचार नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय कोर्ट कार्यकारी परिषद, शिक्षा परिषद में मुसलमान सदस्यों का बहुमत है। यद्यपि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त हो गई है अथवा इसका विधान लोकतंत्रीय नहीं है। विश्वविद्यालय की स्टाफ एसोसिएशन ने कुछ संशोधन रखे हैं और शिक्षा समुदाय कुछ संशोधन चाहता है हम इन संशोधनों पर खुले दिल से विचार करने के लिये तैयार हैं और शिक्षा तथा कार्यकारी परिषद द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। परन्तु इसके साथ हम यह नहीं चाहते विश्वविद्यालय राजनीतिक गतिविधियों का अखाड़ा बन जाये।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (कोजीकोड): उप-कुलपति ने कहा था कि विश्वविद्यालय का शिक्षा कार्य ठप्प हो गया है और कुछ समय के लिये इसको बन्द करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। दूसरी ओर तथ्य यह है कि वहां पर स्थिति बिलकुल सामान्य है और किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। वहां के अध्यापकों और छात्रों को विश्वविद्यालय के बन्द होने के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। मंत्री महोदय आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना): क्या सरकार ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि वर्ष 1974-75 के अन्त तक प्राथमिक स्कूलों में शत प्रतिशत बच्चे अपना नाम लिखवा सकेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : May I know whether it is a fact that Central Government propose to set up a Central University in every State, if so, the time by which it will be done ?

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has said that he will not allow the Aligarh University to become a football in a political play field. May I know the time for which Banaras Hindu University will continue to be a football in Political play field and whether any change is proposed to be made there ?

उपाध्यक्ष महोदय: हमने इस मद पर काफी समय लगा दिया है। अब केवल एक या दो से अधिक सदस्यों को अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल): क्या सरकार का विचार हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का है?

प्रो० एस० नूरूल हसन: केन्द्रीय सरकार का हैदराबाद में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। जहां तक दक्षिण प्रदेश का सम्बन्ध है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने सम्बन्धी पांडीचेरी सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया है और अब वह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जहां तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है हम श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा दिये गये सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे क्योंकि हम भी वहां की स्थिति के बारे में उतने ही चिन्तित हैं जितने कि वह हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों के बारे में प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

All the cut Motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा अस्वीकृत हुई ।

The following Demands in respect of Ministry of Education and Social Welfare were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
25	शिक्षा विभाग	2,21,48,000
26	शिक्षा	97,98,94,000
27	समाज कल्याण विभाग	22,09,52,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संस्कृति विभाग से सम्बन्धित मांगों के बारे में प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The Cut Motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संस्कृति विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands in respect of Department of culture were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
92	संस्कृति विभाग	5,59,34,000
93	पुरातत्व	2,18,08,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैरसरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य पर चर्चा करेंगे ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 62 और 65 उसका संशोधन) पुरः स्थापित

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLES 62 AND 65) : Introduced

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :– "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री अर्जुन सेठी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
(सातवीं अनुसूची का सशोधन)--वापस लिया गया

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

BY SHRI ARJUN SETHI (AMENDMENT OF SEVENTH SCHEDULE)--WITHDRAWN

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री अर्जुन सेठी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे :–

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : (उलुबेरिया) : शिक्षा के सम्वर्ती विषय बनाकर राज्यों के अधिकारों को नहीं छीना जाना चाहिए। इस बारे में समस्या यह है कि हमारे अधिकांश संशोधन केन्द्र तक ही सीमित हैं और राज्य सरकारें पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं।

राज्यों को शिक्षा के विकास के लिये पूरे अधिकार दिये जाने चाहिये और केन्द्रीय सरकार को शिक्षा के विकास के लिये आवश्यक धनराशि देनी चाहिये।

देश में प्रत्येक भाषा का अनिवार्य रूप से विकास किया जाना चाहिये और इस बारे में राज्य सरकारों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

यदि सब कुछ केन्द्र के नियंत्रण में आ जायेगा तो राज्यों में भाषाओं का विकास नहीं हो सकेगा। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को प्राथमिक शिक्षा के विकास का दायित्व लेना चाहिये।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।

(Shri K. N. Tiwari in the Chair)

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का काम बहुत व्यापक है और केन्द्रीय सरकार के पास प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कर्मचारी नहीं हैं। राज्य सरकारें सम्बन्धित राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कार्य को छोड़ने के लिये अनिच्छुक होंगी। अतः इस सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच संघर्ष होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में शिक्षा का स्तर स्थानीय वातावरण और राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार इस मामले में अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकती।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पहले ही अधिक वेतन और भत्तों की मांग कर रहे हैं। जैसे ही केन्द्रीय सरकार प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का भार सम्भालेगी इन स्कूलों के अध्यापक स्वतः सरकारी कर्मचारी बन जायेंगे और वे राज्य सरकार के अधीन प्राप्त कर रहे वेतन से अधिक वेतन की मांग करेंगे।

केन्द्रीय सरकार के संसाधन और कार्यक्षमता सीमित हैं। जब केन्द्रीय सरकार केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही उचित रूप से काम नहीं कर रही है तो यह कैसे आशा की जा सकती है कि वह अतिरिक्त भार पड़ने पर उचित रूप से काम कर सकेगी? अतः मैं विधेयक का विरोध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य सरकारें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को क्रियान्वित करने में पूर्णतया उपयुक्त हैं।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur)

The State Governments are responsible for their own subjects. It is not proper that the control of all the subjects of the States should be taken over by the Centre. If all the subjects of the States are transferred to the Centre there will not be any use of State Governments.

It is true that the present education system requires a change. We have been hearing the slogan of making improvement in the present education system for the last 25 years. But very little has been done in this respect.

The Government is not paying any attention towards the quality of education. It is true that literacy should spread in the country but the standard of education should also be raised.

The work done by the states with regard to education is not satisfactory. It requires some more reformation.

There is no justification in bringing this Bill. The Central Government have also the responsibility to improve the standard of education.

Our education system should be job-oriented. The Central Government should issue necessary instructions to the State Governments in this connection.

The Government should orient its policy in a way as would remove the discontent among the students. The Central Government should feel its responsibility in this respect. I am cf the view that this subject should not be taken over from the State Governments.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : (निजामा बाद) : हमारे देश में 38 करोड़ से अधिक अशिक्षित हैं। देश में केवल 35 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है।

हमारे देश की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अतः जब तक परिवार नियोजन नहीं किया जाता देश में निरक्षरता को दूर नहीं किया जा सकेगा।

साक्षरता की वृद्धि की वर्तमान दर केवल एक प्रतिशत प्रतिवर्ष है। इस दर से हम देश से निरक्षरता को दूर नहीं कर सकते। इस समस्या का केवल एक समाधान यह है कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन में एक प्रौढ़ अशिक्षित व्यक्ति को पढ़ाये। जब तक यह तरीका अपनाया नहीं जायेगा इस पर खर्च किये जाने वाला धन व्यर्थ ही जायेगा।

देश में विद्यार्थी और अध्यापक छः महीने हड़ताल पर रहते हैं। शिक्षकों पर किया जाने वाला व्यय जनता का धन है। विद्यार्थियों का खेतों और कारखानों में काम करना अनिवार्य होना चाहिये। तभी वे देश के अच्छे नागरिक बन सकेंगे। सब राजनीतिक दलों का यह उद्देश्य होना चाहिये कि वे कुछ लोगों को अवश्य पढ़ायेंगे। छोटे बच्चों के पढ़ाने का दायित्व राज्य सरकारों का होना चाहिये।

देश में कुछ स्कूल बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ स्कूल साम्प्रदायिकता की शिक्षा दे रहे हैं। सरकार को उन स्कूलों पर रोक लगानी चाहिये।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है तो शिक्षा के विषय को राज्य सूची से संघ सूची में लाना पड़ेगा।

यदि केन्द्रीय सरकार गत 25 वर्ष में शिक्षा क्षेत्र में ठोस प्रगति नहीं कर पाई है तो इस बात में संदेह है कि शिक्षा को संघ सूची में लाने पर वह इस बारे में कुछ करने में सफल होगी। कल्पनाहीन शैक्षिक कार्यक्रमों से राज्यों के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा के मामले में पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार ने अनेक आयोगों की नियुक्ति की है लेकिन किसी भी आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही नहीं की गई है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के बारे में डा० लक्ष्मी स्वामी मुदलियार द्वारा दी गई उपयोगी सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

केन्द्र स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्यों से परामर्श किये बिना राज्यों के कालेजों को अनुदान देता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्राइमरी शिक्षा स्तर से कालेज शिक्षा स्तर तक आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर पुस्तकें निकालने का प्रयास कर रही है।

राज्यों में वर्तमान सेंट्रल स्कूलों के अतिरिक्त सरकार का राज्यों में आदर्श स्कूल स्थापित करने का विचार है। केन्द्रीय सरकार इस प्रकार अपनी शक्ति का दूर दूर तक विस्तार करना चाहती है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*English Translation of speech delivered in Tamil.

इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में शिक्षा के लिये केवल 25 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जो कुल बजट का केवल 1.6 प्रतिशत है। राज्य सरकार शिक्षा को अधिक महत्व देती हैं। उदाहरणार्थ तमिलनाड़ सरकार ने अपने बजट में शिक्षा के लिये जिसमें चिकित्सा शिक्षा कृषि शिक्षा आदि शामिल हैं 113 रुपये की धनराशि आवंटित की है जो कुल बजट का लगभग 33 प्रतिशत है।

राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपना पूरा दायित्व निभा रही हैं।

यदि सभी इस विधेयक को स्वीकार कर लेती है तो इससे केन्द्रीय सरकार के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों पर हिन्दी लादने का रास्ता खुल जायेगा और देश के अल्पसंख्यक समुदाय और बड़ी संख्या में अहिन्दी भाषी लोगों का हित खतरे में पड़ जायेंगे।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : I am of the view that education should be nationalized. We should overhaul our educational system. If education is nationalized it will be easy to foster national integrity. Uptil now our education policy has been without any aim.

There should be uniform education system in the country. There is no justification in giving one type of education to the poor people and different type of education to the rich-people. We could understand this type of education during the time of the Britishers but now it is not justified.

There is a feeling of hatred towards physical labour in our students. The Government should try to remove this feeling.

There should be uniformity in our education system. Private institutions of education should be abolished. The Central Government alone cannot do this work. It requires the assistance of the State Governments in this matter. Education should be a central subject.

Corruption is rampant in private institutions and it is within the knowledge of the principals and the managers of the schools and the colleges. So Centre should take over education and I hope the Government will consider my suggestion in this respect.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : समस्त देश में इस विषय पर विचार किया जा रहा है कि क्या केन्द्रीय सरकार शिक्षा का विषय अपने हाथ में ले ले ?

यह विचार व्यक्त किये गये हैं कि केन्द्रीय सरकार को इस विषय को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये क्योंकि इसके संसाधान सीमित हैं। लेकिन ऐसी दलीलें उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि शिक्षा का विषय ऐसा है जिसकी वित्तीय साधनों के अपर्याप्त होने के आधार पर उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार देश के भौतिक संसाधनों के विकास के लिये इस्पात, कोयला और इसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है इसी प्रकार देश में मानसिक तथा नैतिक विकास के लिये शिक्षा आवश्यक है।

प्रश्न यह है कि क्या इस विषय को राज्य सूची से संघ सूची में लाने से शिक्षा प्रणाली में पूर्ण और अपेक्षित परिवर्तन हो सकेगा। ऐसा सोचना केवल कल्पना मात्र ही होगा।

अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलीया में शिक्षा राज्य का विषय है। राज्य सरकारें आज तकनीकी शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक पूरे संसाधन नहीं हैं। अतः सामान्य शिक्षा को सम्बन्धित राज्यों को अपने अधिकार में रखना चाहिये और तकनीकी शिक्षा का विषय केन्द्र को सौंप दिया जाना चाहिये।

सूची एक में संशोधन करने का यह उचित समय है। इस बात में संदेह है कि विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय नियंत्रण में लेने से शिक्षा के विकास में सहायता मिलेगी।

मद संख्या 66 उच्चत्तर शिक्षा संस्थाओं अथवा अनुसंधान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं के स्तर-समायोजना और निर्धारण से सम्बन्धित है। उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों से मद संख्या 66 की व्याख्या से भ्रान्ति उत्पन्न हुई है। सरकार को इस बारे में ठोस नीति अपनानी चाहिये। अमूक शिक्षा का माध्यम निर्धारित करने से शिक्षा का स्तर घटेगा अथवा बढ़ेगा इस बात का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा न किया जाकर शैक्षिक प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना चाहिये क्योंकि जब विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम निर्धारित करता है तो वह ऐसा काफी सोच विचार करने के बाद ही करता है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश यह निर्णय देने में समर्थ नहीं हैं कि शिक्षा के माध्यम का निर्धारण करने से शिक्षा स्तर में वृद्धि होगी अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का दायित्व शिक्षा विदों और विश्वविद्यालय अधिकारियों पर है ।

शिक्षा को समान और अधिक व्यापक बनाने के लिये विभिन्न अनुसूचियों में संशोधन करना आवश्यक है ताकि इस बारे में उचित नीति बनाई जा सके और समस्त देश में उसका पालन किया जा सके ।

राज्य सरकारों के पास तकनीकि शिक्षा देने के लिये संसाधनों की कमी है अत: तकनीकि शिक्षा को केन्द्र का विषय बनाया जाना चाहिये । अब उचित समय आ गया है जब हमें देश के सब भागों में शिक्षा के माध्यम के बारे में फैले भ्रम को दूर करना चाहिये ।

Shri Ram Kanwar (Tonk)—I support the Bill presented by Shri Arjun Sethi regarding education. We have to bring the subject of education under the control of the Centre if we want to make our children good and disciplined citizens of the country.

Under the present education system people are not able to get correct type of education to get employment. There is a discontent among the educated people as a result of it. The discrimination against the scheduled castes and Harijan boys not living in the cities should be removed.

The attention of the State Governments have been drawn to this fact but nothing has been done in this matter. The Government should pay greater attention towards educating rural public.

'Banish poverty' is merely a slogan. Poor man's son cannot be an officer. Public schools are meant for rich students only. Nothing has been done to improve the economic conditions of the poor. I am sorry to say that no steps have been taken to help the children of the poor communities.

The Government should issue instructions to the State Governments to arrange for the education of the children belonging to the weaker sections of the society.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : इस विधेयक का उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को केन्द्र का विषय बनाना है । हमारी शिक्षा सैद्धांतिक बन गई है जबकि शिक्षा में सैद्धांतिक और व्यावहारिता दोनों ही आवश्यक हैं ।

आज शिक्षा का उद्देश्य केवल डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त करना रह गया है । शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे मनुष्य का जीवन बने ।

शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाना चाहिये जिससे हम आत्म निर्भर हो सकें । स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों की पूरी जांच होनी चाहिये जिससे शिक्षा के दोषों को दूर किया जा सके । हमें आज से ही वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाना चाहिये ।

प्राथमिक स्कूलों में अच्छे शिक्षक नियुक्त किये जाने चाहियें जो बच्चों का भविष्य बनाने में सहायक हों । अत: सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने में प्राथमिकता देनी चाहिये ।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । कोठारी आयोग ने भी यही विचार व्यक्त किये थे । हम सांस्कृति, समाजिक और शिक्षा सम्बन्धी क्रांति चाहते हैं जिससे हमारे जीवन में सुधार हो । यदि हम कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करेंगे तो न केवल हमारा भविष्य ही सुधरेगा बल्कि वर्तमान भी अच्छा रहेगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा को केंद्र का विषय बनाना है। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

यह तर्क दिया गया है कि राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं अतः शिक्षा को केन्द्र का विषय बनाना चाहिये। शिक्षा का केन्द्र का दायित्व होने की भी बात कही गई है।

भारत एक बहुत विशाल देश है और इसमें अनेक विभिन्नताएं हैं अतः शिक्षा सम्बन्धी पूर्ण दायित्व केन्द्र को सौंपना दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

शैक्षिक संस्थाओं, और केन्द्रों और प्रशिक्षण संस्थाओं को नये विचारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। यदि शिक्षा का विषय केन्द्र का हो जायेगा तो केन्द्र सभी राज्यों तथा क्षेत्रीय संस्थाओं को विशेष शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं लागू करने का आदेश देगा। यह बात अच्छी शिक्षा के सिद्धांत के विरुद्ध होगी। अच्छी शिक्षा में विभिन्नताएं तो होती ही हैं। हमें विविधता में एकता स्थापित करनी है। इस विधेयक से राज्यों का व्यक्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा का विषय राज्यों के हाथ में ही रहे।

शिक्षा का उद्देश्य लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं और विभिन्न रुचियों को पूरा करना होना चाहिये। अतः शिक्षा को केवल संघीय विषय बनाया गया तो यह एक खतरनाक बात होगी। इसका एक मात्र उपचार यही है कि शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया जाना चाहिये इस सम्बन्ध में कुछ अच्छी प्रक्रियाएं और स्वस्थ-प्रद नियम बनाये जाने चाहिये।

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : Today the question is not whether the education should be the subject of the centre or that of the State. The main problem is how to have qualitative control over education. We have had lot of discussion on vocationalisation and restructuring of education but little has been achieved in this regard.

Our's is a vast country and we want to give assistance to the States in the matter of education. We provided 30,000 teachers to the States in 1971-72.

We have set up a National Council of Educational Research and Training to improve the quality of education. That Institute has reached the take off stage and has developed the capacity to bring about uniformity among the schools. It has printed a number of text books. We have four regional colleges of education which will also help in this task.

Sending of circulars to Secretaries of Education Departments of States with regard to implementation of various schemes has not proved effective.

At present our officers go to the states and discuss matter with the State officers and take on-the-spot decisions. We have also started exchange of officers. We are also setting up National Staff College. We are also conducting seminars of District Education Officers or Directors of Education so as to have information about the actual situation in the matter.

So far as the question of qualitative Control of education is concerned it needs money. The planning Commission has assured that it is going to spend Rs. 226 crores on the development of education. We will be able to make a lot of improvement with that huge amount.

Centre has never the intention to concentrate all the powers in its hands. We have stated our position fully with regard to various aspects of education. in reply to the discussion of Demands for grants. I hope taking it into consideration, the mover will withdraw his Bill.

श्री अर्जुन सेठी : (भद्रक) आज शिक्षा की समस्या बहुत जटिल हो गयी है और जब तक इस समस्या के समाधान के लिये शीघ्र ही कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी हमारा देश अच्छी स्थिति में नहीं होगा।

विधेयक प्रस्तुत करते समय मैंने इस संशोधन के अनेक उद्देश्यों का उल्लेख किया था। जब तक हम उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लते तब तक देश की एकता बनाये रखना सम्भव नहीं। यह सच है कि हमने शिक्षा के विकास के लिये कुछ कार्यवाही की है। जब तक हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। इस महत्वपूर्ण विषय में राजनीति को घसीटे बिना यदि सब राज्य और सब सदस्य इस सम्बन्ध में मिलकर काम करें तो हमारी शिक्षा की समस्या शीघ्र हल हो सकती है।

उपमंत्री द्वारा शिक्षा के सुधार के बारे में दिये गये आश्वासन के बाद मैं सभा की अनुमति से अपना विधेयक वापिस लेता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

श्री अर्जुन सेठी को भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

"**श्री अर्जुन सेठी** : मैं विधयक वापिस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 335 का प्रतिस्थापम)

Constitution (Amendment) Bill. (Substitution of Article 335)

श्री सी० टी० दण्डपाणि (धरमपुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि भारत के संविधान का आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

मैं अनुच्छेद 335 में संशोधन करने सम्बन्धी संशोधन इस आशा से लाया हूं कि माननीय मंत्री मेरे विधेयक के प्रस्ताव से सहमत होंगे।

(श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए)

(Shri S. A. Kadar in the chair)

विधेयक का उद्देश्य दलित तथा शोषित वर्ग को संरक्षण देना है। हमें यह विदित है कि पुरातन काल में हम लोगों को शिक्षा पूजा तथा सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने के अधिकारों से वंचित रखा गया।

हरिजनों का स्वर्ण जातियों के हिन्दुओं ने अपने स्वार्थ के लिये दमन किया है और उन्हें हमेशा के लिये अपना गुलाम बनाकर रखा है। उन्हें अछूत समझा गया। ऐसा समझा जाता रहा है कि इन हरिजनों को स्वर्णों की सेवा किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती।

पौराणिक युग से लेकर आधुनिक युग तक जाति प्रथा का समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा है अनेक समाज सुधारकों ने जाति प्रथा पर आक्रमण किये लेकिन सब विफल रहे। गांधीजी और डाक्टर अम्बेदकर की सच्ची सेवाओं के फलस्वरूप हरिजनों के अंदर नई आशा का संचार हुआ। गांधी जी ने उनका नामकरण हरिजन किया। आजादी के बाद हरिजनों और आदिवासियों को इस बात का विश्वास हो गया कि अब उनकी चिर आकांक्षायें पूरी हो जायेंगी।

केन्द्रीय नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि पंचवर्षीय योजनायें अपने लक्ष्य पूरा करने में असफल रही हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु इन पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत कम राशि प्रदान की गयी। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इनके कल्याण हेतु कुल 15,190 करोड़ रुपये में से केवल 72.46 करोड़ रुपये प्रदान किये गये जो केवल 0.48 प्रतिशत है।

रोज़गार के मामले में इन जातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी प्रतिशतता भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। सभी–राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत एक समान होना चाहिये।

पदोन्नति और भर्ती के मामले में जीवनबीमा निगम तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी इन जातियों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता बहुत कम है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी स्थिति ऐसी ही है। देश के कुल 103 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किसी भी हरिजन को श्रेणी 1 अधिकारी नहीं नियुक्त किया गया है।

इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की केन्द्रीय सेवाओं में उपेक्षा हो रही है। स्वर्ण लोग अपने कारखानों में अपने ही लोगों के नियुक्त करते हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सभी लोग खेति हर श्रमिक हैं जिन्हें बहुत कम सहायता प्रदान की जाती है। इनके कष्टों में वृद्धि ही होती जा रही है। हर जगह उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। उनके साथ अब भी अत्याचार होते हैं। इन अत्याचारों से इनकी रक्षा की जानी चाहिये। मैं सदन से इस विधेयक को पास करने का अनुरोध करूंगा।

यह सरकार संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं कर सकी। इन पर होने वाले अत्याचार अब भी जारी हैं। ये लोग अब भी जमींदारों तथा स्वर्णोंकी कृपा पर आश्रित रहते हैं।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के सभी–विभागों में इनके लिये 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जाने चाहिये ताकि आर्थिक और सामाजिक समानता लायी जा सके।

Shri Shambhu Nath (Saidpur) : I support this bill inspite of the fact that it came from the opposition side. It is a fact that the Backward classes have benefited very much during 25 years after Independence.

So many ideologies have developed during the present age of socialism. Some plead the withdrawal of facilities to Harijans whereas some are in favour of retaining the same.

It was stated that the Harijans being incompetent could not be absorbed in Government services. During the post independence period the harijans have attained adequate efficiency and still they are not getting adequate representation in the services.

The Scheduled castes are not getting representation in the services according to the fixed quota. The Administrators do not want that Scheduled caste people should enter the services.

The administration is being run through the autonomous bodies and corporations in the present age of socialism. Injustice is being done to the Harijans in the name of qualification and efficiency and this country can no longer tolerate it. The efficiency should be measured on the basis of economic factors. It is also the duty of the Government to see that Harijans are made efficient for technical jobs.

Mischief has been played with the interest of harijans during 25 years of independence under this Article of the constitution.

It is generally argued that inquiries should be made for the reasons for which Harijans could not be provided jobs according to the fixed quota. A legislation to provide justice to the harijans needs to be enacted.

M/B(D)3LSS—490—24-9-73—GIPS